रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092026-275961
CG-DL-E-03092026-275961

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948
No. 690] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त , 2026

सा.का.नि. 756(अ).— केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 44 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क) से (य), (यक) और (यख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (भारतीय पोतों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1960, यथा संशोधित उन बातों के सिवाए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हो निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय - 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य जलयान परिवहन (जलयानों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** – ये नियम पाल जलयानों के सिवाय सभी समुद्री पोतों पर लागू होंगे।

परन्तु यह कि नियम 4 के उप नियम (1) के प्रायोजनों के लिए मछली पकड़ने वाले जलयानों पर भी लागू होंगे।

3. **परिभाषाएँ —** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अभिकर्ता" से पोत के स्वामी या चार्टरर द्वारा या परिस्थिति हो, उनकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "निर्माता का प्रमाण पत्र" से पोत निर्माता या शिपयार्ड या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है; जिसमें नव निर्मित जलयान की सुपुर्दगी के समय जलयान और उसके निर्माण के वर्ष का विवरण विनिर्दिष्ट हो, और यह प्रमाणित किया गया हो कि जलयान का निर्माण पूर्णत: स्वीकृत योजनाओं और विनिर्देशों के अनुसार किया गया है, उपस्कर लगाए गए है और सुसज्जित किया गया है;

(घ) "खोदाई और अंकन नोट" से रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया वह शासकीय दस्तावेज़ अभिप्रेत है, जो किसी जलयान के रजिस्ट्रीकरण के विवरण को अनंतिम रूप से मंज़ूरी मिलने के बाद जारी किया जाता है स्वामी को यह निर्देश देते हुए कि वह नियम 9 के उप-नियम (2) के अधीन यथा निर्दिष्ट जलयान के ढाँचे पर जलयान का नाम, शासकीय नंबर और रजिस्ट्रीकरण वाले पत्तन का नाम उकेरे या अंकित करे;

(ड.) "केन्द्रीय रजिस्टर" से महा निदेशक द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला वह रजिस्टर बुक, अभिप्रेत है भौतिक या डिजिटल प्ररूप में, जो प्ररूप 1 में दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रार द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर बुक्स में दर्ज सभी प्रविष्टियां शामिल होंगी;

(च) "रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र" से रजिस्ट्रार द्वारा पोत के स्वामी को जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है, जो रजिस्ट्रीकरण वाले पत्तन पर जलयान के विधिक रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि करता है;

(छ) "सर्वेक्षण का प्रमाण-पत्र" से नियम 10 के अधीन, जलयान का सर्वेक्षण पूरा होने पर सर्वेक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(ज) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) "प्रथम रजिस्ट्री" से इन नियमों के उपबंधों के अधीन रजिस्टर बुक में पहली बार किसी जलयान का रजिस्ट्रीकरण होना अभिप्रेत है;

(ञ) "ध्वज देश प्रशासन" से उस देश की सरकार या समुद्री प्रशासन अभिप्रेत है जिसका ध्वज लगाने का अधिकार जलयान को है, या जिसके अधिकार क्षेत्र में वह चल रहा है;

(ट) "भारत द्वारा नियंत्रित टनभार जलयान" से अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (3) के अधीन परिभाषित भारत द्वारा नियंत्रित टनभार जलयान अभिप्रेत है;

(ठ) "एमएमएसआई" से समुद्री मोबाइल सेवा पहचान, जो नौ अंकों की एक श्रृंखला अभिप्रेत है इसे किसी जलयान या स्टेशन की विशिष्ट पहचान करने के लिए रेडियो आवृत्ति चैनल पर डिजिटल प्ररूप में भेजा जाता है;

(ड) "मान्यता प्राप्त संगठन" से कोई वर्गीकरण सोसायटी या अन्य संस्था अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार की ओर से विधिक सर्वेक्षण, लेखा-परीक्षा, निरीक्षण, मंज़ूरी और प्रमाणन के काम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने मान्यता दी हो;

(ढ) "रजिस्टर बुक" से नियम 4 के अधीन उपबंध किए अनुसार डिजिटल प्रपत्र में बुक अभिप्रेत है, जिसे रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (9) के अनुसार अनुरक्षित करता है;

(ण) "रजिस्ट्रीकृत लंबाई" से वाणिज्य पोत परिवहन (लोड लाइन) नियम, 2026 के अधीन परिभाषित लंबाई अभिप्रेत है;

(त) "पुनः रजिस्ट्रीकरण" से किसी ऐसे जलयान का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है जो पहले भारतीय ध्वज के अधीन रजिस्ट्रीकृत था, और जिसका रजिस्ट्रीकरण, जलयान को त्यागने, विक्रय करने, विदेशी ध्वज में अंतरित करने, बाद में विदेशी रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकरण कराने, या किसी भी अन्य कारण, जो महा निदेशक द्वारा उचित समझा जाए, से बंद या हटा दिया गया था, और जिसे बाद में इन नियमों के अनुसार भारतीय ध्वज के अधीन फिर से रजिस्ट्रीकृत कराने का अनुरोध किया जा रहा है;

(थ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(द) "तकनीकी मंज़ूरी" से रजिस्ट्रार द्वारा जलयान की अतिरिक्त समीक्षा और निरीक्षण, जैसा महा निदेशक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, के बाद रजिस्ट्री के आशयित पत्तन की दी गई मंजूरी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और जो परिभाषित नहीं है किंतु जो अधिनियम में परिभाषित हो, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

अध्याय - 2
जलयानों का रजिस्ट्रीकरण

4. **रजिस्टर बुक—** (1) प्रत्येक रजिस्ट्रार डिजिटल प्रपत्र में 'रजिस्टर बुक' नाम की एक बुक रखेगा और उसमें प्ररूप 1 में इस प्रकार प्रविष्ट करेगा—

(क) किसी जलयान की संपत्ति को सौ भागों (शेयरों) में बांटा जाएगा;

(ख) संयुक्त स्वामियों या हस्तांतरण से बने स्वामियों के मामले में, किसी एक जलयान के स्वामी के रूप में एक ही समय में सौ से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकते;

परन्तु यह कि स्वामित्व हक का अनुपात वही हो जो अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है;

परन्तु यह भी कि, इस नियम की कोई भी बात किसी रजिस्ट्रीकृत स्वामी या संयुक्त स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले, या उनके अधीन या उनके माध्यम से दावा करके कितनी किसी भी संख्या में लोगों के लाभकारी हित पर प्रभाव नहीं डालेगी;

(ग) किसी व्यक्ति को जलयान में किसी भाग (शेयर) के आंशिक भाग के स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हक नहीं होगा;

(घ) संयुक्त स्वामियों को एक ही व्यक्ति माना जाएगा और उन्हें अलग-अलग रूप में जलयान में ऐसे किसी भी हित या उसमें किसी भी भाग को बेचने के हक नहीं होगा, जिसके लिए वे रजिस्ट्रीकृत हैं।

(2) कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है, और सरकार द्वारा जारी वैध पहचान दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और अनुसूची में यथा निर्दिष्ट फीस का भुगतान करने पर, रजिस्टर बुक की जांच कर सकता है या उसमें दर्ज किसी भी प्रविष्ट की प्रमाणित प्रति *प्ररूप 2* में यथा निर्दिष्ट प्ररूप में प्राप्त कर सकता है।

5. **जलयानों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन—** (1) भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का इच्छुक जलयान का स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता *प्ररूप 5* में रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा।

(2) किसी जलयान से भारत के किसी भी पत्तन पर भौतिक रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं होगी, और न ही उसके रजिस्ट्रीकरण के बाद, केवल इन नियमों के अधीन पंजीकरण के प्रयोजन से भारत के किसी पत्तन पर आना अपेक्षित होगा।

6. **जलयान की आयु—** महा निदेशक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है, -

(क) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी भी जलयान के लिए आयु संबंधी मानदंड।

(ख) ऐसे किसी भी जलयान के लिए, जिस पर आयु की शर्तें लागू नहीं होतीं, के संबंध में, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के प्रयोजन से तकनीकी मंज़ूरी प्राप्त हेतु आयु।

स्पष्टीकरण—इस उप-नियम के प्रयोजन से, "जलयान की आयु" वह तारीख अभिप्रेत है जिस दिन बिल्डर द्वारा जलयान को जलयान के स्वामी को सौंपा गया था जैसा कि बिल्डर के प्रमाण-पत्र में दर्ज है या सुपुदगी की वह तारीख जो यथा लागू सुरक्षा निर्माण प्रमाण-पत्र में दी गई है।

7. **स्वामित्व हक़ की घोषणा** – (1) स्वामित्व हक़ की प्रत्येक घोषणा प्ररूप 3 में रजिस्ट्रार या विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट या शपथ-आयुक्त या भारतीय राजदूत या सर्वेक्षक के समक्ष की जाएगी:

परन्तु यह कि अगर ऐसी घोषणा रजिस्ट्री वाले पत्तन के बाहर की जाती है, तो उसमें सत्यापन की जगह निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) घोषणा ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की जा सकती है।

8. **जलयान का नाम**, **शासकीय नंबर**, **एमएमएसआई नंबर और परिचय पत्र** – (1) जलयान का स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता एजेंट, उस तारीख जिस दिन वह जलयान का रजिस्ट्रीकरण करवाना चाहता है, कम से कम सात दिन पहले, रजिस्ट्रीकरण के लिए चुने गए पत्तन पर रजिस्ट्रार को जलयान के नाम का प्रस्ताव करते हुए और शासकीय नंबर आबंटित करने का अनुरोध करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक साधन द्वारा, आवेदन करेगा।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, अपवाद स्वरूप मामलों में, सात दिन की अपेक्षा को कम करके न्यूनतम एक दिन कर सकता है।

(2) जलयान का स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता, ऐसे आवेदन के साथ, जलयान के लिए एमएमएसआई नंबर और परिचय पत्र आबंटित करने के लिए भी आवेदन कर सकता है।

(3) ऐसा आवेदन मिलने पर, रजिस्ट्रार, अपेक्षित विवरण का सत्यापन करने बाद, प्रस्तावित नाम का अनुमोदन प्रदान करेगा और प्ररूप 4 में शासकीय नंबर, एमएमएसआई नंबर और परिचय पत्र आबंटित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जो इस बात का समाधान होने के अध्यधीन होगा कि प्रस्तावित नाम, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य जलयान के नाम जैसा नहीं है या उस भ्रामक रूप से वैसा दिखने वाला नहीं है और यह कि जलयान अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करता है।

(4) शासकीय नंबर, एमएमएसआई नंबर और परिचय पत्र आबंटित होने के बाद, जलयान का स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता, आबंटन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर प्ररूप 5 में जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, वैधता अवधि खत्म होने से पहले जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने और अनुसूची में यथा निर्दिष्ट फ़ीस के भुगतान पर, नाम की मंज़ूरी और एमएमएसआई नंबर व परिचय पत्र के आबंटन का एक बार में एक और वर्ष के लिए नवीकरण कर सकता है।

(5) अनुमोदित नाम, एमएमएसआई नंबर और परिचय पत्र की वैधता अवधि, उप नियम(3) के अधीन इनके आबंटन की तारीख से दो वर्ष होंगी।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, वैधता अवधि खत्म होने से पहले जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने और अनुसूची में यथा निर्दिष्ट फ़ीस के भुगतान पर, नाम की मंज़ूरी और एमएमएसआई नंबर व परिचय पत्र का एक बार में एक और वर्ष के लिए नवीकरण कर सकता है।

9. जलयान पर निशान लगाना— (1) नियम 8 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जलयान के नाम को मंज़ूरी देने और शासकीय नंबर आबंटित करने पर, जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता को प्ररूप 6 में एक 'खोदाई और अंकन नोट' जारी किया जाएगा, जिसमें जलयान पर लगाए जाने वाले निशानों की जानकारी और जगह निर्दिष्ट होगी।

(2) प्रत्येक जलयान पर, रजिस्ट्रीकरण से पहले, 'खोदाई और अंकन नोट' में दी गई जानकारी के अनुसार और रजिस्ट्रार की संतुष्टि के अनुरूप, नीचे यथा निर्दिष्ट रीति से स्थायी और साफ़-साफ़ निशान लगाए जाएँगे:—

(क) जलयान का नाम और रजिस्ट्री के पत्तन, अगले भाग और पिछले भाग पर पेंट किया जाएगा;

(ख) ये निशान हिंदी और अंग्रेज़ी में लगाए जाएँगे, जिसमें हिंदी का निशान अंग्रेज़ी निशान के ऊपर होगी, और अक्षर गहरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद या पीले रंग में, या हल्के पृष्ठभूमि पर काले रंग में पेंट किए जाएँगे, जहाँ अक्षरों की कम से कम ऊँचाई 10 सेंटीमीटर और कम से कम चौड़ाई 1.3 सेंटीमीटर होगी;

(ग) जहाँ ढांचागत सीमाओं के कारण पिछले भाग पर नाम और रजिस्ट्रीकरण वाले पत्तन को पेंट करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, वहाँ इसे जलयान के पिछले भाग के दोनों किनारों पर पेंट किया जा सकता है;

(घ) शासकीय नंबर और रजिस्ट्रीकृत टनभार दर्शाने वाला नंबर 30 cm x 6 cm चौड़ी पीतल की प्लेट पर उकेरा जाएगा, और इसे जलयान के नेविगेशन ब्रिज पर साफ़ दिखने वाली जगह पर लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "रजिस्ट्रीकृत टनभार" अभिव्यक्ति से है रजिस्ट्रीकृत जलयान का सकल और निवल टनभार, जैसा कि अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (5) के खण्ड (ख) के अनुसार टनभार प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट किया गया है;

(ङ) ढांचे के निशानों का पैमाना मीटर और डेसीमीटर में पत्तन और जलयान के अगले भाग की ओर क्रमशः आगे और पीछे की तरफ़ काटा या वेल्ड किया जाएगा;

(च) रेक्ड सॉफ्ट स्टेम और क्रूजर स्टर्न वाले जलयानों के मामले में, निशान स्टेम के आकार कंटूर के अनुसार स्टेम के जितना हो सके पास और पीछे की तरफ़ काटे या वेल्ड किए जाएँगे, और पीछे की तरफ़ या स्टर्न पर निशान 'लम्बवत के बाद' 2 मीटर से ज़्यादा आगे नहीं काटे जाएँगे; और

(छ) जहां जलयान को अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जलयान पहचान नंबर दिया गया है, वहां ऐसे निशान स्थायी रूप से इस तरह से बनाए जाएंगे कि वे साफ़ और अलग दिखें, और किसी दूसरे निशान के कारण उन्हें देखने में कोई रुकावट या विघ्न न हो। इन्हें अलग रंग से पेंट किया जाएगा और इन निशानों की ऊंचाई जलयान के बाहरी भाग पर 200 मिलीमीटर

से कम और अंदरूनी जगहों पर 100 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये निशान उभरे हुए अक्षरों, कटिंग, सेंटर-पंचिंग या एसओएलएएस नियम XI-1/3, समय-समय पर यथा संशोधित किसी ऐसे ही स्थायी रीति से बनाए जाएंगे।

(3) सर्वेक्षक द्वारा खोदाई और निशान लगाने का काम ठीक से पूरा और प्रमाणित किए जाने के बाद, स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता खोदाई और निशान लगाने से संबंधित नोट रजिस्ट्रार को लौटाएगा।

10. सर्वेक्षण और माप – स्वामित्व हक के प्रमाण से संतुष्ट होने पर, रजिस्ट्रार किसी सर्वेक्षक से जलयान का सर्वेक्षण करवाएगा और अधिनियम के अधीन बने लागू नियमों के अनुसार भार क्षमता का पता लगाएगा, और जलयान का सर्वेक्षण पूरा होने पर, सर्वेक्षक, स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता को जलयान के लिए *प्ररूप 7* में सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

11. भारत के बाहर पत्तनों पर जलयानों का सर्वेक्षण – जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से भारत के बाहर किसी पत्तन पर जलयान का सर्वेक्षण करवाना आवश्यक हो जाता है, वहां रजिस्ट्रार किसी सर्वेक्षक को नियुक्त कर सकता है या उस देश की सरकार, जहां जलयान विद्यमान है, से अनुरोध कर सकता है, कि वह सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र और खोदाई व निशान लगाने का नोट जारी करने के लिए जलयान का सर्वेक्षण करने हेतु किसी अर्हताप्राप्त सर्वेक्षक को नियुक्त करे।

12. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र— रजिस्ट्रार जलयान की जानकारी रजिस्टर बुक में दर्ज करवाएगा और इसके बाद, नीचे दिए गए दस्तावेज़ रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करने पर प्ररूप 9 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा अर्थात्:–

(क) बिल्डर का प्रमाण-पत्र या सुरक्षा निर्माण प्रमाण-पत्र, यथा लागू;

(ख) विक्रय का दस्तावेज़, यथा लागू;

(ग) विलोपन प्रमाण-पत्र, यथा लागू;

(घ) खोदाई और अंकन नोट;

(ड.) स्वामी होने का घोषणा-पत्र;

(च) सर्वेक्षण का प्रमाण-पत्र; और

(छ) अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन स्वामी की पात्रता का लिखित प्रमाण।

13. विक्रय लिखत – (1) किसी रजिस्ट्रीकृत जलयान या उसमें किसी भाग का हस्तांतरण प्ररूप 8 में विक्रय लिखित द्वारा किया जाएगा।

(2) संयुक्त स्वामी होने या कई स्वामियों के मामले में, सभी स्वामी मिलकर विक्रय लिखत तैयार करेंगे।

(3) इसके बाद की विक्रय के सभी लेन-देन का रिकॉर्ड इस तरह रखा जाएगा:–

(क) एक भारतीय स्वामी से दूसरे भारतीय स्वामी को विक्रयद्वार, हस्तांतरण किए गए जलयानों के लिए, स्वामित्व में बदलाव की घोषणा संबंधित रजिस्ट्रार के सामने की जाएगी, और अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फ़ीस के साथ-साथ इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार दस्तावेज़ संबंधी सभी अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा; और

(ख) इस नियम के अधीन सभी लेन-देन रजिस्टर बुक में दर्ज किए जाएंगे और महानिदेशक को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी।

14. सरकारी जलयान का रजिस्ट्रीकरण – सरकारी जलयान का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है और इसे नियम 5 से 13 के उपबंधों के अनुसार शर्तों के अध्याधीन निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है, परन्तु यह:–
–

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, यथास्थिति मंत्रालय के सचिव या संबंधित विभाग के प्रमुख या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस काम के लिए मनोनित किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत सरकारी जलयान का हस्तांतरण, उचित रजिस्ट्री प्ररूप में विक्रय लिखत उसमें दी गई शर्तों का लोप करते हुए किया जाएगा और उस पर हस्तांतरण करने वाले या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे:

परन्तु यह कि नियम 6 और 7 में यथा विनिर्दिष्ट तकनीकी मंज़ूरी और स्वामित्व हक़ की घोषणा की अपेक्षा इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण— इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "सरकारी जलयान" से भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, सीमा शुल्क अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस के जलयानों को छोड़कर हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के जलयान अभिप्रेत हैं,

15. बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण का रजिस्ट्रीकरण – (1) जब किसी विदेशी जलयान को अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण पर चार्टर किया जाता है, तो चार्टरर या प्राधिकृत अभिकर्ता इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किए जाएंगे, अर्थात्:–

(क) विक्रय लिखत के बदले, चार्टर-पक्षकार करार की प्रमाणित प्रति, जिसमें जलयान का नाम, चार्टरर और स्वामी का नाम, चार्टर-पक्षाकर की तारीख और चार्टर की अवधि साफ़ तौर पर लिखी होगी;

(ख) प्राथमिक रजिस्ट्री द्वारा लिखित पुष्टि के साथ, जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणन की प्रति जिसमें यह प्रमाणित हो कि भारत में बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान प्राथमिक रजिस्ट्री का ध्वज फहराने का जलयान का अधिकार बंद या निलंबित रहेगा;

(ग) प्राथमिक रजिस्ट्रीकृत में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक बंधकी या किसी पुनर्ग्रहणाधिकार, रजिस्ट्रीकृत प्रभार या भार के धारक से लिखित सहमति या अनापत्ति पत्र, जिसमें भारत में प्रस्तावित बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण रजिस्ट्रीकरण को स्वीकार किया गया हो और यह पुष्टि की गई हो कि बंधक या प्रभार जलयान पर बना रहेगा; और

(घ) प्राथमिक रजिस्ट्री से रजिस्टर की नकल या प्रमाणित प्रति, जिसमें जलयान का स्वामित्व हक़, भार, पुनर्ग्रहणाधिकार और अन्य सुसंगत विवरण दर्शाया गया हो।

(2) रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि पिछली रजिस्ट्री को निलंबित या निष्क्रिय करने का काम रजिस्ट्रार की संतुष्टि के अनुसार किया जाए, और उसके बाद वह—

(क) रजिस्टर बुक में जलयान और चार्टरर का विवरण प्रविष्ट करेगा;

(ख) इस प्रविष्टि को 'बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण रजिस्ट्रीकरण' के रूप में पहचानेगा, जिसमें प्राथमिक रजिस्ट्री और उस रजिस्ट्री में विद्यमान किसी भी बंधक या भार का स्पष्ट उल्लेख होगा; और

(ग) चार्टरर के नाम *प्ररूप 9* में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि यह 'बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण रजिस्ट्रीकरण' से जुड़ा है और ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति की तारीख भी निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) 'बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण संविदा के अधीन रजिस्ट्रीकृत भारतीय चार्टर वाले विदेशी जलयान को इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान केवल भारत का ध्वज फहराना होगा।

(4) 'बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण संविदा' के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान को पहले इनकार करने का अधिकार मिलेगा, जिसे गैर-भारतीय जलयानों से पहले प्राथमिकता दी जाएगी, किंतु इसका दर्जा भारतीय नियंत्रित वाले टनभार जलयानों से नीचे होगा।

(5) इस नियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से 'बेयरबोट चार्टर-सह-हस्तांतरण व्यवस्था' के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान के स्वामित्व हक का कोई हस्तांतरण नहीं होगा, और रजिस्टर बुक में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी जो प्राथमिक रजिस्ट्री में दर्ज स्वामित्व हक के विरूद्ध विधिक हक हस्तांतरण करने का दावा करती हो।

(6) यदि 'बेयरबोट चार्टर' जारी रहता है, तो प्राथमिक रजिस्ट्री में दर्ज स्वामित्व हक की कोई भी विक्रय या हस्तांतरण रजिस्टर बुक में भी दर्ज किया जाएगा।

16. भारतीय जलक्षेत्र में परिव्यक्त गए जलयानों का रजिस्ट्रीकरण – भारतीय जलक्षेत्र में परिव्यक्त कोई जलयान, जिसे बाद में इन नियमों के अनुसार जलयान रजिस्टर करने के पात्र व्यक्ति द्वारा अधिगृहीत किया जाता है, उसे सर्वेक्षक द्वारा तकनीकी मंज़ूरी और भौतिक निरीक्षण के अध्यधीन जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा रजिस्टर या फिर से रजिस्टर करवाया जा सकता है।

17. भारत द्वारा नियंत्रित टनभार जलयान– (1) अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट लोगों के स्वामित्व हक या नियंत्रित वाले विदेशी ध्वज वाहक जलयानों का कुल टनभार, ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व हक या नियंत्रित वाले भारतीय ध्वज के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयानों के कुल टनभार से ज़्यादा नहीं होगा।

(2) प्रत्येक भारतीय नियंत्रित वाले टनभार जलयान को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षित संचालन दस्तावेज या वास्तविक तैनाती, जो भी अधिक हो, के अनुसार जलयान पर वियुक्त उसके कुल कर्मीदल जिसमें ऑफिसर और रेटिंग्स शामिल हैं, का कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा हो भारतीय नागरिक होंगे जिनके पास वैध भारतीय प्रमाण-पत्र हों;

परन्तु यह कि जहां ऐसे जलयान के ध्वज वाले देश की विधि या उसकी तैनाती की जगह पर लागू स्थानीय विनियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयता विशेष के कर्मीदल को रखना इस तरह अपेक्षित हो, जिससे इस उप-नियम के अधीन भारतीय नागरिकों की पचास प्रतिशत की अपेक्षा को पूरा करना संभव न हो, तो ऐसी विधि या विनियम का पालन करने के लिए ज़रूरी सीमा तक इस उप-नियम के अधीन वाध्यता में ढील दी जाएगी।

(3) भारतीय नियंत्रित वाले टनभार जलयान के प्रत्येक जलयान स्वामी को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निम्नलिखित से संबंधित विवरण देना होगा:—

(क) उप-नियम (2) के अनुसार भारतीय कर्मीदल और प्रशिक्षणार्थी की तैनाती; और

(ख) विदेशी ध्वज के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी भारतीय नियंत्रित वाले टनभार जलयानों का विवरण।

(4) कोई भी भारतीय नियंत्रित वाला टनभार जलयान जो चार्टर व्यवस्था के अधीन चल रहा हो और जिसे तटीय जलयान परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 4 के अधीन अनुज्ञाप्ति मिली हो, उसे गैर-भारतीय जलयानों

से पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसे पहले मना करने का अधिकार होगा, जिसका स्थान भारतीय ध्वज वाले जलयानों के ठीक नीचे होगा।

(5) अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो अपना पहला भारतीय नियंत्रण वाला टनभार वाला अधिगृहीत कर रहा है, वह उस जलयान को विदेशी ध्वज के अधीन रजिस्टर करवा सकता है:

परन्तु यह कि जब किसी जलयान को इस तरह रजिस्टर किया जाता है, तो उस व्यक्ति को विदेशी ध्वज के अधीन जलयान के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष के अंदर उस जलयान को, या उसी टनभार वाले किसी दूसरे जलयान को, भारतीय ध्वज के अधीन रजिस्टर करवाना होगा।

(6) यदि कोई जलयान, उप-नियम (5) के अधीन विदेशी ध्वज के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया या वह उसमें उल्लिखित उसी टनभार वाला कोई जलयान, निर्दिष्ट अवधि के अंदर भारतीय ध्वज के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है, तो वह व्यक्ति नियम 43 के अधीन जुर्माने का दायी होगा:

परन्तु यह कि इस संपूर्ण नियम 17 के उपबंध, भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश में जलयान के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी वित्तीय संस्थान पर लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण — इस नियम के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय संस्थान" अभिव्यक्ति से गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी(जीआईएफटी), गांधीनगर, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित कोई ईकाई अभिप्रेत है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के उपबंधों के अनुसार किसी भी वित्तीय उत्पाद के संबंध में वित्तीय सेवाएं देने मे लगी है।

18. रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र — जहां रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण के लिए किए गए आवेदन के बाद, किसी जलयान को उसके पिछले रजिस्ट्रीकरण से विलोपन प्रमाण-पत्र न मिलने या किसी अन्य कारण, जिसे दर्ज किया जाना है से नियमित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, वहां रजिस्ट्रार प्ररूप 10 में रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

19. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की जगह अस्थायी पास – (1) जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देने में देरी हो और रजिस्ट्रार को कारण दर्ज करते हुए यह पतीत हो कि यह वांछनीय है कि किसी ऐसे जलयान को, जिसे भारतीय जलयान के रूप में रजिस्टर किया जाना है, भारत में पत्तनों, या उनके बीच या अपने आशयित रजिस्ट्ररी के पत्तन, या किसी भी अन्य समुचित परिस्थितियों में, जैसा महा निदेशक उपयुक्त समझें, की यात्रा करने की अनुमति देना वांछनीय है, तो रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 21 के अधीन प्ररूप 11 में एक अस्थायी पास जारी करेगा जो तीन माह से अनधिक ऐसी अवधि, जो ऐसे पास में निर्दिष्ट हो, के लिए वैध होगा।

परन्तु यह कि जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता के आवेदन पर, रजिस्ट्रार, एक बार में तीन महीने से अनधिक की और अवधि के लिए आगे विस्तार दे सकता है।

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित अन्य समुचित परिस्थितयों, जिनमें कोई अस्थायी पास प्रदान किया जा सकता है, में निम्नलिखित शामिल हैं –

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले अपेक्षित सर्वेक्षण, टनभार माप, या किसी अन्य विधिक प्रमाणन को पूरा करने में देरी;

(ख) फिटिंग-आउट, समुद्री परीक्षणों, वर्ग सर्वेक्षण, या विधिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जलयान को दूसरी जगह ले जाने की अपेक्षा;

(ग) प्रलेखन या कागज़ी कार्रवाई से जुड़े प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से देरी; या

(घ) कोई आपातकालीन या अपरिहार्य परिस्थिति, जिसमें समुद्र में जीवन की सुरक्षा, जलयान की सुरक्षा, या पत्तन के संचालन की ज़रूरतें शामिल हों।

(3) इस नियम के अधीन अस्थायी पास पाने वाले जलयान का उपयोग, पास की वैधता की अवधि के दौरान किसी भी वाणिज्य काम, व्यापार, या कार्गो या यात्रियों को ले जाने, या कोई भी अन्य समुद्री सेवा देने के लिए नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि ऊपर दिए गए उप-नियम (1) के अधीन जारी आवेदन देने वाले या अस्थायी पास रखने वाले जलयान के पास, अधिनियम के अधीन बने लागू नियमों के अनुसार एक वैध अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए।

20. पुनर्चक्रण किए जाने वाले जलयानों का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण – (1) कोई भी जलयान जो इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किंतु जिसे 'पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49)' और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में पुनर्चक्रण किया जाना है, उसे प्ररूप 12 में आवेदन देकर इन नियमों के अधीन अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है।

(2) पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (I) में यथा निर्दिष्ट जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता, जो पुनर्चक्रण के प्रयोजन से किसी जलयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें जलयान के स्वामित्व हक का प्रमाण देना होगा। ऐसे अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से, अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट स्वामित्व हक के नियम और इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अन्य ज़रूरतें लागू नहीं होंगी।

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन दिए गए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण को अधिनियम के अधीन भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकरण नहीं माना जाएगा।

(3) उप-नियम (2) में पोत के उल्लिखित स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता को, पुनर्चक्रण के लिए जाने वाले जलयानों के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से, लागू होने वाले ये दस्तावेज़ देने होंगे:–

(क) पुनर्चक्रण के लिए जलयान के प्रस्तावित हस्तांतरण का कोई दस्तावेज़ी सबूत या उस प्रयोजन कोई पक्का बाध्यकारी संविदाकारी वचनबद्धता, जिसमें बिक्री के लिए करार-ज्ञापन, नकद खरीद करार, पुनर्चक्रण अनुबंध, वाणिज्य चालान, विक्रय विलेख, कब्ज़े का प्रमाण-पत्र, या पुनर्चक्रण सुविधा से मिली ऐसी घोषणा शामिल हो सकती है जो जलयान को लेने और रीसायकल करने के आशय की पुष्टि करता हो जैसा कि आवेदन के समय उपलब्ध हो, साथ ही रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नाम जारी जलयान का रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र भी देना होगा:

परन्तु यह कि जहां ऐसे आवेदन से पहले स्वामित्व हक हस्तांतरित किया गया हो, वहां आवेदक को रजिस्ट्रीकृत स्वामी को स्वामित्व हक हस्तांतरित करने वाला विधिवत निष्पादित विक्रय विलेख और जोखिम व कब्ज़े के हस्तांतरण के प्रमाण के रूप में सुपुर्दगी और मंज़ूरी का प्रोटोकॉल भी प्रस्तुत करना होगा;

(ख) ध्वज देश प्रशासन द्वारा जारी रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति, जो यह प्रमाणित करती हो कि जलयान किसी भी रजिस्ट्रीकृत बंधक, विद्यमान भार, या समुद्री पुनर्ग्रहणधिकार से मुक्त है, और ऐसा प्रमाण-पत्र आवेदन, प्रस्तुत करने की तारीख से सात दिन से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए:

परन्तु यह कि आवेदन के समय जलयान विदेशी स्वामित्व हक के अधीन ही हो, तो विदेशी स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा—

(i) भारत में पुनर्चक्रण के लिए एक अपरिवर्तनीय वचनबद्धता;

(ii) भारतीय पुनर्चक्रण यार्ड या उसकी ओर से प्राधिकृत अभिकर्ता के नाम एक प्राधिकार-पत्र, जो उसके धारक को भारत में जलयान की पुनर्चक्रण से जुड़े सभी प्रयोजनों के लिए विदेशी स्वामी की ओर से कार्य करने का अधिकार दे; इसमें सभी सांविधिक घोषणाएँ करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया और पर्यावरण अनुपालन संबंधी घोषणाएँ करना, रजिस्ट्रार द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को पूरा करना, और विदेशी स्वामी की ओर से भारत में विधिक कार्यवाही की सूचना स्वीकार करना शामिल है; और ऐसे प्राधिकार-पत्र में विदेशी स्वामी को स्पष्ट रूप से यह मानना होगा कि जलयान के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण और पुनर्चक्रण से जुड़े या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों के लिए वह भारत के न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

(4) रजिस्ट्रार, पुनर्चक्रण के उद्देश्य से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण दे सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्–

(क) जलयान के पास 'पोत पुनर्चक्रण विनियम, 2026' के प्ररूप 2 के अधीन दिया गया एक वैध 'इंटरनेशनल रेडी फॉर पुनर्चक्रण प्रमाण-पत्र' या 'इंडियन रेडी फॉर पुनर्चक्रण प्रमाण-पत्र' होना चाहिए; साथ ही, 'पोतों की सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 2009' के उपबंधों के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त संगठन या ध्वज देश प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'खतरनाक सामग्रियों की माल सूची पर अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र' भी होना चाहिए;

(ख) आवेदक को उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 'पोत पुनर्चक्रण सुविधा' के लिए वैध प्राधिकार-पत्र का प्रमाण देना होगा, जो ' पोत पुनर्चक्रण विनियम, 2026' के प्ररूप 3 के अधीन जारी किया गया हो जहाँ पोत की पुनर्चक्रण की जानी है;

(ग) जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता को इस आशय का एक घोषणा-पत्र देना होगा कि अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान जलयान का उपयोग किसी भी वाणिज्य, व्यापारिक, या कार्गो या यात्रियों को ढोने, या कोई अन्य समुद्री सेवाएँ देने के लिए नहीं किया जाएगा, और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का एकमात्र उद्देश्य भारत के भीतर इसकी विधि पुनर्चक्रण को आसान बनाना है;

(घ) आवेदक को पिछले रजिस्ट्री कार्यालय से 'रजिस्ट्रीकरण रद्द होने का प्रमाण-पत्र' या उसके समतुल्य दस्तावेजी प्रमाण देना होगा, या आवेदन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की लिखित वचनबद्धता देनी होगी;

(ङ) पोत के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता के पास अधिनियम के अधीन बने लागू नियमों के अनुसार अनिवार्य बीमा या अन्य वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए; और

(च) पोत का स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता, रजिस्ट्रीकृत स्वामी, लाभार्थी स्वामी, नकद खरीदार, यदि कोई हो और की उस चेन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की पहचान के बारे में जानकारी और उस पहचान को सिद्ध करने वाले सहायक दस्तावेज़ जमा करेगा, जिसके ज़रिए पोत को पुनर्चक्रण के लिए हस्तांतरित किया जाना है।

(5) पुनर्चक्रण के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 'प्ररूप 13' में दिया जाएगा। जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट कि रजिस्ट्रीकरण केवल पोत की पुनर्चक्रण के प्रयोजन से मान्य है। पोत के स्वामी को पुनर्चक्रण की प्रक्रिया पूरी होने या वैधता की अवधि खत्म होने पर, जो भी पहले हो, रजिस्ट्रीकरण बंद करने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

(6) पुनर्चक्रण के प्रयोजन से अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त जलयान को, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से लेकर अधिकृत जलयान पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र तक अंतिम रूप से सुपुर्दगी होने तक, पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49) और उसके अधीन बनाए गए लागू विधि के नियमों का पालन करना होगा।

(7) इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत कोई भी जलयान किसी दूसरी श्रेणी में बदलने जाने का पात्र नहीं होगा।

(8) इस नियम के अधीन अस्थायी रजिस्ट्रीकरण धारक जलयान, भारत पहुँचने पर, बिना किसी देरी के सीधे भारत में अधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र पर जाएगा।

21. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता – (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक मान्य रहेगा जब तक जलयान 'अधिनियम' और उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसार भारतीय जलयान के रूप में रजिस्ट्रीकरण का हकदार बना रहता है। इसकी कोई निश्चित अवधि या वैधता की समय-सीमा नहीं होगी।

(2) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, इसके जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे पहले बंद न कर दिया जाए या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से बदल न दिया जाए:

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार, पोत के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर, छह मास बाद एक बार में तीन मास से अनधिक की और अवधि बढ़ा सकता है।

(3) भारतीय चार्टरर द्वारा 'अनावृत्त नौका चार्टर सह पद्धांतरण' पर चार्टर किए गए विदेशी जलयानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता, किसी भी बढ़ाई गई अवधि सहित अधिकतम पाँच वर्ष के अध्यधीन रहते हुए चार्टर अवधि के सह-विस्तारी होगी।

(4) पुनर्चक्रण के लिए जाने वाले जलयानों के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से तीन मास या पुनर्चक्रण प्रक्रिया आरंभ होने की तारीख, जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह कि नियम 20 के उपनियम (2) में यथा निर्दिष्ट जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता को, पुनर्चक्रण प्रक्रिया प्रारंभ होने पर तदनुसार रजिस्ट्रार को सूचना दी जाएगी:

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार, जलयान के स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा आवेदन किए जाने पर, तीन मास के बाद एक बार में तीन मास से अनधिक की और अवधि बढ़ा सकता है।

22. प्रमाण-पत्र का खोना, विरूपित या विकृत हो जाना – (1) जहां इन नियमों के अधीन जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, विकृत हो जाता है, विरूपित हो जाता है या उस पर लिखी जानकारी पढ़ी नहीं जा सकती, तो जलयान स्वामी या प्रचालक बिना किसी देरी के रजिस्ट्रार को लिखित में इसकी सूचना देगा। जिसमें घटना का स्थान और अनुमानित तारीख सहित सभी परिस्थितियां बताई जाएंगी।

(2) यदि प्रमाण-पत्र खो जाता है, नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो जलयान के स्वामी या प्रचालक को निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत या नुकसान की रिपोर्ट दाखिल और उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दी गई किसी भी रिपोर्ट में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, जलयान का नाम और विवरण, खोए हुए प्रमाण-पत्र का प्रकार, नाम और नंबर, और परिस्थितियाँ, जिसमें अनुमानित तारीख और स्थान सम्मिलित है, स्पष्ट रूप से दशाई जाएगी।

(4) जहां संबंधित जलयान का स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसा स्वामी या अभिकर्ता खोए हुए प्रमाण-पत्र के किसी भी गलत उपयोग, कपटपूर्ण व्यपदेशन या अनुचित उपयोग के लिए दायी होगा।

(5) यदि प्रमाण-पत्र विरूपित हो जाता है, विकृत हो जाता है या पढ़ने योग्य नहीं रहता है, तो मूल प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित करना होगा।

(6) उपनियम (1) या उपनियम (2) का पालन करने के बाद, यथास्थिति स्वामी या प्रचालक अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ द्विप्रतिक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकेगा, और ऐसे आवेदन के साथ निम्नलिखित होना चाहिए—

(क) उपनियम (1) और उपनियम (2) में यथा निर्दिष्ट रिपोर्ट की एक प्रति; और

(ख) एक वचनबद्धता जिसमें यह घोषणा की गयी हो कि यदि तत्पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र मिल जाता है या पत्युद्धारित हो जाता है, तो उसे तुरंत रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित किया जाएगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, एक द्विप्रतिक प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिसकी विधिक प्रभाव और विधिमान्यता मूलप्रमाण-पत्र जैसी ही होगी, और उस पर यह पृष्ठांकित होगा कि "द्विप्रतिक - खोए हुए मूलप्रमाण-पत्र के बदले जारी किया गया"।

परन्तु यह कि, यदि "द्विप्रतिक - खोए हुए मूलप्रमाण-पत्र के बदले जारी किया गया" प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात् खोया हुआ मूलप्रमाण-पत्र मिल जाता है, तो स्वामी या प्रचालक बिना किसी देरी के वह मूलप्रमाण-पत्र रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित करेगा।

(8) इस नियम के उपबंध, इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में जारी प्रमाण-पत्र पर लागू नहीं होंगे।

23. कंपनी के नाम का परिवर्तन – जहां किसी कंपनी ने, जिसके नाम पर इन नियमों के अधीन कोई जलयान रजिस्टर किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् नाम परिवर्तित किया है, तो रजिस्ट्रार नए नाम से संबंधित निगमन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, कंपनी के स्वामित्व वाले प्रत्येक जलयान की बाबत रजिस्टर बही में नाम परिवर्तन की जानकारी नोट करेगा:

परंतु यह है कि स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता को नाम परिवर्तन के एक मास के भीतर रजिस्ट्रार को इसके लिए आवेदन देना होगा।

24. स्वामी के पते में परिवर्तन – स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता को रजिस्ट्रीकृत पते में परिवर्तन के एक मास के भीतर रजिस्ट्रार और बंधकदार, (यदि कोई हो) को इसकी जानकारी दी जाएगी और रजिस्टर बही में इसे नोट कराने के लिए आवेदन करेगा:

परंतु यह है कि स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता बंधकदार यदि कोई हो, से 'अनापत्ति पत्र' प्राप्त करेगा।

25. जलयान के नाम में परिवर्तन – (1) रजिस्टर बुक में पहले से दर्ज किसी जलयान के नाम में स्वामी चाहे विद्यमान हो या नया, या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन को, रजिस्ट्रार के पास आवेदन करने पर तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) प्रस्तावित परिवर्तन को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित न किया गया हो – एक अंग्रेज़ी भाषा का राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और दूसरे के पत्तन रजिस्ट्री की स्थानीय भाषा का समाचार पत्र जहाँ जलयान रजिस्ट्रीकृत है; और

(ख) ऐसे प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी व्यक्ति से रजिस्ट्रार को प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किए गए हो।

(2) रजिस्ट्रार, उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन का अनुमोदन करेगा और प्ररुप 6 में 'नक्काशी और चिह्नांकित नोट' जारी करेगा तथा स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता नियम 9 के उपनियम (2) के अनुसार जलयान पर नया नाम अंकित करवाएगा और सर्वेक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित 'नक्काशी और चिह्नांकित नोट' रजिस्ट्रार को लौटा देगा।

(3) नियम 9 के उपनियम (3) के अधीन सम्यक् रूप से प्रमाणित 'नक्काशी और चिह्नांकित नोट' की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, रजिस्टर बही में जलयान की शासकीय संख्या के सामने नया नाम अभिलिखित करेगा, और उसी के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को पृष्ठांकित करेगा या तदुनसार पुन: जारी करेगा,

अध्याय - 3
रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन और अंतरण

26. परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण – (1) भारतीय जलयान में किए गए परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, परिवर्तन के पश्चात् जलयान के भारत में पहुँचने वाले पहले पत्तन पर या परिवर्तन के एक मास के भीतर जो भी पहले हो, रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए।

(2) यदि इस प्रकार परिवर्तित जलयान किसी भारतीय पत्तन के बाहर है, तो रजिस्ट्रार, सर्वेक्षक या अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा ऐसे जलयान के निरीक्षण की रिपोर्ट पर, जलयान को भारतीय पत्तन पर लाए बिना ही उसका पुन: रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा।

(3) यदि परिवर्तनों में इंजन कक्ष या दूसरी बंद स्थानों के आकार में परिवर्तन, पूप डेक हाउस में परिवर्धन या हटाना, कर्मीदल की स्थानों में वृद्धि या कमी, या मोटर स्क्रू से दूसरी प्रणोदन प्रणाली में परिवर्तन या इसके विपर्ययेन हैं, तो रजिस्ट्रार, इन परिवर्तनों को रजिस्टर बही और जलयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में अभिलिखित करेगा।

27. पर्याप्त या बड़े परिवर्तन के कारण पुन: रजिस्ट्रीकरण – (1) जहाँ परिवर्तन पर्याप्त या बड़ें हों, वहाँ स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता के आवेदन पर, रजिस्ट्रार नया सर्वेक्षण करेगा और स्वामित्व की नई घोषणा के आधार पर जलयान का पुन: रजिस्ट्रीकरण करेगा।

स्पष्टीकरण — इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, इन पदों से है —

(क) "पर्यापत" से है जलयान की बॉडी (हल), बंद स्थानों या प्रणोदन प्रणाली में कोई ऐसा परिवर्तन अभिप्रेत है जिससे उसके मुख्य आकार या टनभार में अंतर आए;

(ख) "बड़ा" से जलयान के प्रकार में कोई परिवर्तन या बड़े पैमाने पर संरचनात्मक नवीनीकरण अभिप्रेत है।

(2) जहां इस प्रकार परिवर्वित जलयान किसी भारतीय पत्तन के बाहर है, तो रजिस्ट्रार, सर्वेक्षक या अधिनियम की धारा 9 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उस जलयान के निरीक्षण की रिपोर्ट पर, जलयान को भारतीय पत्तन पर लाए बिना ही उसका पुन: रजिस्ट्रीकरण कर सकेगा।

(3) जब जलयान का पुन: रजिस्ट्रीकरण किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द कर देगा, रजिस्टर बहीं में जलयान से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियां को बंद कर देगा, और रजिस्टर बही में नई प्रविष्टियां करेगा, जिसमें जलयान पर विल्लंगमों को भी सम्मिलित किया जाएगा और नए रजिस्ट्रीकरण में पुरानी रजिस्ट्री प्रविष्टियां का भी निर्देश होगा।

(4) जलयान के पुन: रजिस्ट्रीकरण पर, जलयान को आबंटित मूल शासकीय संख्या, परिचय पत्र, एमएमएसआई संख्या और अन्य पहचान को प्रतिधारित करेंगे।

28. रजिस्ट्री के पत्तन का अंतरण – (1) स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता, विद्यमान रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को जलयान को नई रजिस्ट्री पत्तन पर अंतरित करने के लिए आवेदन कर सकेगा, साथ ही बंधकदार यदि कोई हो, से 'अनापत्ति-पत्र' भी देगा।

(2) विद्यमान रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार, उपनियम (1) के अधीन किए गए आवेदन को ऐसे अंतरण के अनुमोदन के लिए महानिदेशक को भेजेगा।

(3) महानिदेशक के अनुमोदन पर, विद्यमान रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री की प्रतिलिपि को *प्ररूप 2* में नई रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को भेजेगा।

(4) ऐसी प्रतिलिपि की प्राप्ति पर, नई रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार एक नई 'नक्काशी और चिह्नांकित नोट' जारी करेगा, जिसमें नई रजिस्ट्री पत्तन का उल्लेख होगा और जिसे एक सर्वेक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(5) जब सम्यक् रूप से प्रमाणित 'नक्काशी और चिह्नांकित नोट' प्राप्त किया जाता है, तो नई रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार उसे दी गई जानकारी को रजिस्टर बही में दर्ज करेगा और रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण के नए प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर, स्वामी या प्राधिकृत अभिकर्ता पुराने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को पूर्ववर्ती रजिस्ट्री के रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित करेगा।

29. निष्क्रिय जलयान का अभिलेखन रिकॉर्डिंग और प्रकाशन – (1) रजिस्ट्रार, समयक् सत्यापन के पश्चात् और रजिस्ट्रीकृत जलयान के स्वामी को कम से कम तीस दिन के अंतराल पर कम से कम तीन सूचना की तामील के पश्चात्, रजिस्टर बही में ऐसे जलयान की स्थिति को 'निष्क्रिय' के रूप में अभिलिखित कर सकेगा है, यदि जलयान का—

(क) इस अधिनियम के अधीन बने लागू नियमों के अनुसार आवधिक निरीक्षण या सर्वेक्षण नहीं हुआ है;

(ख) छत्तीस मास की निरंतर अवधि तक प्रचालन नहीं किया है; और

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी भी वाणिज्य, प्रशिक्षण या सहायक सेवा में नियुक्त नहीं किया गया है:

परन्तु यह कि कोई जलयान जो किसी मान्यता प्राप्त संगठन के 'ले-अप नोटेशन' के अधीन है और इस अधिनियम के

अधीन बने लागू नियमों का पालन कर रहा है, उसे 'निष्क्रिय' नहीं माना जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार रजिस्टर बही में वह तारीख दर्ज करेगा जिससे जलयान को 'निष्क्रिय' घोषित किया जाता है, साथ ही उसमें कारण और तामील की गई सूचना का निर्देश भी करेगा, और ऐसे जलयान के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पर तदनुसार जानकारी पृष्ठांकित करेगा और ऐसे जलयान के ब्यौरे शासकीय वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा:

परन्तु यह कि 'निष्क्रिय' रहने की अवधि के दौरान भी स्वामित्व, बंधक और रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों से संबंधित प्रविष्टिया रजिस्टर बही में विद्यिमान्य बनी रहेगी।

(3) रजिस्टर बही में 'निष्क्रिय' के रूप में अभिलिखित जलयान तब तक समुद्र में जाने और किसी भी वाणिज्य कार्यकलाप में सम्मिलित होने का हकदार नहीं हो जब तक कि जलयान को वापस 'सक्रिय' स्थिति में न लाया जाए।

30. निष्क्रिय जलयान को वापस सक्रिय स्थिति में लाना— (1) निष्क्रिय जलयान का पोत स्वामी, उड़न योग्यता होने, कार्यचालन के लिए तैयार होने के समाधानप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करके और अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए लागू नियमों के पालन का प्रत्यावर्तन करके, जलयान को वापस सक्रिय स्थिति में लाने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, उपनियम (1) के अधीन नियमों के पालन के सत्यापन पर, रजिस्टर बही में जलयान को 'सक्रिय' के रूप में अभिलिखित करेगा, तदुनसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करेगा और वेबसाइट पर जानकारी अद्यतन करेगा।

31. निष्क्रिय जलयान का हटा दिया जाना – (1) यदि कोई निष्क्रिय जलयान को बेकार घोषित किया पाया जाता है, उसके पुर्ज़े अलग कर दिए गए हैं, उसे नष्ट कर दिया गया है, डुबो दिया गया है, या किसी विदेशी ध्वज के अधीन अंतरित कर दिया गया है, तो रजिस्ट्रार सम्यक् सत्यापन करने और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि उस पर कोई बंधक नहीं है, रजिस्टर बही में नाम हटाने का कारण अभिलिखित करेगा और प्ररूप 17 में रजिस्ट्रीकरण बंद होने का प्रमाण-पत्र और प्ररूप 18 में नाम हटाने का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(2) रजिस्ट्रार शासकीय वेबसाइट और दो दैनिक समाचार पत्रों में; इनमें से एक अंग्रेज़ी भाषा का राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र होगा और दूसरा उस स्थान की स्थानीय भाषा का समाचार पत्र होगा जहाँ जलयान रजिस्ट्रीकृत है ऐसा हटा दिया जाना प्रकाशित करेगा।

(3) जहां जलयान का नाम रजिस्टर बही से हटा दिया जाता है, तो वह भारतीय जलयान नहीं रह जाता, और उसके सभी अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व हो जाते हैं।

(4) बेकार घोषित किए जाने, नष्ट होने या पूरी तरह से खत्म हो जाने के कारण रजिस्टर बही से हटाए गए किसी भी जलयान को पुन: रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय - 4

जलयानों का पारेषण, अंतरण और न्यायिक विक्रय

32. मृत्यु, दिवालियापन आदि पर भारतीय जलयान की संपत्ति का पारेषण – (1) जहां किसी भारतीय जलयान या उसमें किसी हिस्से की संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को मृत्यु, दिवालियापन या इस अधिनियम के अधीन अंतरण से किसी अन्य विधिपूर्ण साधनों द्वारा पारेषित की जाती है; तो ऐसे व्यक्ति को इसमें अंतर्विष्ट करने वाली हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें जलयान की पहचान, पारेषण की रीति और इसके हकदार व्यक्ति का विवरण हो और—

(क) यदि दिवालियापन के परिणामस्वरूप हो, तो ऐसे घोषणा के साथ दावे का प्रमाण भी संलग्न होगा; और

(ख) मृत्यु के परिणामस्वरूप ऐसी घोषणा की जाती है उसके साथ उत्तराधिकार का प्रमाण-पत्र या प्रोबेट या प्रशासन-पत्र या तत्सयम प्रवृत्त लागू विद्यि के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज़ मूल या प्रमाणित प्रति में संलग्न होगा।

(2) पारेषण की घोषणा की प्राप्ति पर, स्वामित्व का नई घोषणा अपेक्षित होगी।

(3) स्वामित्व की नई घोषणा पर, रजिस्ट्रार रजिस्टर बही में उस व्यक्ति का नाम दर्ज करेगा जो ऐसे पारेषण के अधीन जलयान या उसमें हिस्से का पोत स्वामी के रूप में हकदार है और रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाण-पत्र जारी करेगा:

परन्तु यह कि यदि पारेषण के परिणामस्वरूप जलयान भारतीय जलयान नहीं रह जाता है, तो ऐसी कोई प्रर्विष्टि नहीं की जाएगी।

33. विक्रय के लिए आदेश जहां जलयान के भारतीय जलयान नहीं रह जाता है – (1) जब मृत्यु, दिवालियापन या किसी अन्य कारण से जलयान या उसमें हिस्से की संपत्ति के पारेषण के कारण जलयान भारतीय जलयान नहीं रह जाता है, तो उसकी रजिस्ट्री के पत्तन का रजिस्ट्रार, ऐसे पारेषण की जानकारी प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर, महानिदेशक को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे पारेषण के अधीन हकदार व्यक्ति को जलयान की विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, उस जलयान या उसमें अपने हिस्से को ऐसे व्यक्ति को जो अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय जलयान का स्वामी होने का पात्र हों, अंतरण कर सकेगा:

परन्तु यह कि महानिदेशक, पारेषण के अधीन हकदार व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, जिसके लिए लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारण और अन्य निबंधन तथा शर्तों यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के अध्यधीन छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए समय बढ़ा सकते हैं।

(3) जहाँ उपनियम (2) में कि निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अंतरण रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता है, वहाँ महानिदेशक, हकदार व्यक्ति को अवसर देने के पशचात्, महानिदेशक द्वारा रजिस्ट्रार या प्राधिकृत किसी व्यक्ति को निदेश दे सकेंगे कि वे उस जलयान या उसमें हिस्से को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए विक्रय की प्रक्रिया शुरू करें जो भारतीय जलयान का स्वामी होने का पात्र हो।

(4) उपनियम (3) के अधीन निदेश की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,–

(क) हस्तांतरण के अधीन अधिकार रखने हकदार व्यक्ति, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बंधकदार और रजिस्टर बही में जलयान या हिस्से में हित रखने वाले के रूप में उपस्थित होने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित विक्रय का कम से कम तीस दिन की सूचना की तामील करेगी;

(ख) महानिदेशक द्वारा अनुमोदित सर्वेक्षक या मूल्यांकक से जलयान या हिस्से का मूल्यकन कराएगी, और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर न्यूनतम कीमत नियत करेगा;

(ग) शासकीय वेबसाइट और दो दैनिक समाचार पत्रों में इन दो समाचार पत्रों में से एक अंग्रेज़ी भाषा का राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र होगा और दूसरा उस रजिस्ट्री के पत्तन की स्थानीय भाषा का समाचार पत्र होगा जहाँ जलयान रजिस्ट्रीकृत है, विक्रय की सूचना प्रकाशित करने के पश्चात् लोक नीलामी जिसके अतर्गत इलेक्ट्रॉनिक नीलामी भी है, के द्वारा विक्रय करेगा; और

(घ) ऐसे निदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर विक्रय पूरा करेगा:

परन्तु यह कि महानिदेशक विक्रय पूरा करने के लिए कारणों की अभिलिखत करके तीन मास से अनाधिक अवधि के लिए और समय बढ़ा सकेंगे।

(5) उपनियम (4) के खण्ड (ख) के अधीन नियत आरक्षित कीमत से कम कीमत पर कोई विक्रय प्रक्रिया नहीं की जाएगी और जब तक महानिदेशक द्वारा पुष्टि न हो जाए, तब तक कोई विक्रय प्रभावी नहीं होगा।

(6) ऊपर उपनियम (5) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यदि लोक नीलामी द्वारा विक्रय के तीन प्रयास असफल हो जाते हैं, तो रजिस्ट्रार या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, महानिदेशक की पूर्व अनुमोदन और से निम्नलिखित परिस्थितयों में उच्चतर बोली लगाने वाले को लोक नीलामी द्वारा जलयान का विक्रय करेगा;

(क) यदि जलयान खराब स्थिति में है और इस बात की पूरी संभावना है कि जलयान से मानव जीवन, दिक्चालन/या समुद्री पर्यावरण को खतरा या नुकसान हो सकता है;

(ख) जलयान/या कर्मीदल परिव्यक्त स्थिति में है और मौसम की स्थिति या किसी अन्य कारण से उसका रखरखाव करना लगभग असंभव हो गया है; और

(ग) ऐसी अन्य परिस्थितियां या कारण, जो महानिदेशक इस निर्मित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(7) जलयान या उसके हिस्से का विक्रय रजिस्टर बही में अभिलिखित प्रत्येक बंधकदार के अध्यधीन होगा, जब तक कि विक्रय के आगम से उसका समाधान न हो जाए और अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (4) के अनुसार उसका उन्मोचन न कर दिया जाए।

(8) विक्रय के आगम निम्नलिखित प्रार्थीकर्ता के क्रम में उपयोजन किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) जलयान पर काम करने वाले नाविकों की बकाया कोई भी मज़दूरी और अन्य रकम;

(ख) विक्रय की लागत और व्यय, जिसमें मूल्यांकन, प्रकाशन और नीलामी कराने का व्यय सम्मिलित है;

(ग) अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार जलयान के संबंध में कोई भी असंदत्त फीस, संदेय शोध या शास्तियां;

(घ) अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन प्राथमिकता के क्रम में रजिस्ट्रीकृत बंधकदार के अधीन देय रकम; और

(ङ) शेष रकम, जिसका संदाय हकदार व्यक्ति को किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां शेष रकम का हकदार व्यक्ति नहीं मिल पाता है या वह उसका दावा नहीं करता है, तो रजिस्ट्रार उस शेष रकम को तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा रखेगा और उसके पश्चात् महानिदेशक के निदेशों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।

(9) विक्रय की पुष्टि पर, रजिस्ट्रार रजिस्टर,-

(क) रजिस्टर बही में खरीदार का नाम जलयान या उसके हिस्से के स्वामी के रूप मेंदर्ज करेगा,

(ख) इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण का नया प्रमाण-पत्र जारी करेगा, और

(ग) रजिस्टर बही में सूचना तामील करने, प्राप्त मूल्यांकन, विक्रय के संचालन और पुष्टि तथा विक्रय आगम के उउपयोजन की विशिष्टियों अभिलिखित करेगा।

34. न्यायालय के आदेश द्वारा विक्रय पर जलयान या उसके हिस्से का अंतरण— जब कोई न्यायालय या अधिकरण किसी जलयान या उसके हिस्से के विक्रय का आदेश देता है, तो रजिस्ट्रार उस आदेश का पालन करेगा और इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूरी करेगा।

अध्याय - 5

जलयानों का बंधक, रजिस्ट्रीकरण बंद करना और विस्तार

35. जलयानों का बंधक - (1) इन नियमों के अधीन अनंतिम या स्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान पुनर्चक्रण के लिए रजिस्ट्रीकृत या अस्थायी पास के अधीन प्रचालित जलयान से भिन्न, के बंधक की लिखत, यथा लागू प्ररूप 14 या प्ररूप 15 में होगा और ऐसे प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रजिस्ट्री वाले पत्तन के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जा सकते हैं, इनके प्राप्त होने पर और अधिनियम की धारा 26 तथा इन नियमों के पालन के अध्यधीन, रजिस्टर बही में बंधक को अभिलिखित करेगा।

(2) जब एक ही जलयान पर कई बंधक रजिस्टर बही में अभिलिखित हों, तो उनकी सबंधित प्राथमिकता को समुचित स्तंभ में वर्णमाला के क्रम में क, ख, ग, आदि के बड़े अक्षरों में उपदर्शित किया जाएगा।

(3) किसी भी बंधक के रजिस्ट्रीकरण के लिए, प्रत्येक विद्यमान बंधकदार, यदि कोई हो, 'अनापत्ति पत्र' अपेक्षित होगा।

(4) जलयान का कोई भी रजिस्ट्रीकृत बंधकदार, जो अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (1) के अधीन बंधक रखे गए जलयान या उसके हिस्से को देय रकम वसूलना चाहता है, तो उसे ऐसे विक्रय से संबंधित भारतीय जलयान की रजिस्ट्री वाले पत्तन के रजिस्ट्रार को प्ररूप 19 में पंद्रह दिन पहले दी जाएगी।

(5) जलयान या उसके हिस्से का रजिस्ट्रीकृत बंधक किसी व्यक्ति, संयुक्त स्वामियों या कंपनी को प्ररूप 14 या प्ररूप 15 में अंतरित किया जा सकेगा और ऐसे अंतरण को रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर बही में अभिलिखित किया जाएगा।

(6) किसी भारतीय चार्टरर द्वारा 'अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण' पर चार्टर किए गए विदेशी जलयान के रजिस्ट्रीकरण की बाबत, ऐसे जलयान के बंधकदार के अधिकार और स्वामित्व हक अनन्य रूप से प्राथमिक रजिस्ट्री की विधियों द्वारा शासित होंगे।

(7) किसी न्यायालच या अधिकरण के आदेश अनुसरण में रजिस्ट्रीकृत जलयान के न्यायिक विक्रय होने पर, निम्नलिखित बातें लागू होंगी, अर्थात्:—

(क) जहां किसी न्यायायल या अधिकरण के आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकृत जलयान के विक्रय किया जाता है, तो न्यायिक विक्रय पूरा होने पर जलयान पर रजिस्ट्रीकृत कोई भी बंधक या अन्य प्रभार खत्म हो जाएगा, और जलयान खरीदार को बिना सभी विल्लंगमों, धारणाधिकारा, कुर्की, रजिस्ट्रीकृत बंधक या अन्य प्रभारों से, जब तक कि न्यायायलय या अधिकरण कोई और निर्देश न दे मुक्त खरीदार में निहित होंगे;

(ख) न्यायिक विक्रय के आदेश की प्राप्ति पर, रजिस्टर बही से विक्रय से पहले जलयान से संलग्न सभी बंधक, आडमान और रजिस्ट्रीकृत प्रभार हटा देगा, और जलयान को खरीदार के नाम पर रजिस्टर करेगा या प्ररूप 17 में रजिस्ट्रीकरण बंद होने का प्रमाण-पत्र, प्ररूप 18 में हटा दिया गया प्रमाण-पत्र जारी करेगा; और न्यायिक विक्रय के जलयान का खरीदार जलयान को, सभी पूर्व बंधक, धारणाधिकार और विल्लंगमों सिवाय उनके जिन्हें खरीदार ने धारक की सहमति से ग्रहण किया हो, जब तक कि न्यायालय या अधिकरण अन्यथा निर्देश न दे से मुक्त होंगे।

(8) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत बंधक उन्मोचित हो जाता है, तो रजिस्ट्रार, बंधक द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित किए गए प्ररूप 14 या प्ररूप 15 के अधीन बंधक उन्मोचित होने से संबंधित लिखत की प्राप्ति पर, रजिस्टर बही में यह प्रविष्ट करेगा कि बंधक उन्मोचित हो गया है।

36. मौत या दिवालियापन पर जलयान या हिस्से में बंधकदार के अधिकार का पारेषण - (1) जब जलयान या हिस्से में बंधकदार के हित मौत, दिवालियापन या इस अधिनियम के अधीन अंतरण से भिन्न किसी अन्य विधिपूर्ण तरीके से पारेषण होता है, तो ऐसे पारेषण को उस व्यक्ति द्वारा की गई के घोषणा द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जिसे हित पारेषण किया गया है; इसमें पारेषण की रीति और प्ररूप 16 में बंधक के हित के पारेषण का दस्तावेज़ी प्रमाण भी संलग्न होगा।

(2) उपनियम (1) में यथा निर्दिष्ट घोषणा और दस्तावेज़ी प्रमाण की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार रजिस्टर बही में जलयान या उसके हिस्से के बंधकदार के रूप में व्यक्ति के नाम का संशोधन करेगा।

37. रजिस्ट्रीकरण बंद करना— (1) पोत स्वामी या किसी जलयान का प्राधिकृत एंजेंट, ऐसे जलयान के भारतीय जलयान न रहने पर उसके तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण को बंद करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) पोत स्वामी या उसके प्राधिकृत एंजेंट द्वारा आवेदन करने पर, अधिनियम की धारा 43 के अधीन किसी जलयान का रजिस्ट्रीकरण बंद कर दिया जाऐगा-

(क) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट जलयानों के लिए; या

(ख) उस जलयान के किसी विदेशी स्वामी को विक्रय करने पर:

परन्तु यह कि जहां जलयान किसी विदेशी स्वामी को बेचा जाता है और रजिस्टर बही से हटा दिया जाता है, इन नियमों और अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुन: आयात करने और लागू सभी अपेक्षाओं को पूरा करने पर जलयान को पुन: रजिस्ट्रीकृत कराया जा सकता है।

(3) रजिस्ट्रार, आवेदन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर बंद करने की प्रक्रिया पूरी करेगा और प्ररूप 17 में रजिस्ट्रीकरण बंद करने और प्ररूप 18 में हटाने का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) निम्निलिखित में से किसी घटना के घटित होने पर, चार्टर पर लेने वाला या प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी घटना की तारीख से तीस दिन के भीत रजिस्ट्रार के सूचित करेगा, अर्थात्:—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट और रजिस्टर बही में दर्ज रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति पर, जहाँ नियम 38 के अधीन कोई विस्तार नहीं बढ़ाई गई हो;

(ख) अनावृत्त नौक चार्टर-सह-पट्टांतरण करार खत्म होने या उसकी अवधि पूरी होने पर;

(ग) जहाँ रजिस्ट्रीकृत चार्टरर जलयान का चार्टरर नहीं रह जाता है या अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन पात्र नहीं रह जाता है;

(घ) जहाँ जलयान की प्राथमिक रजिस्ट्री में पुन: रजिस्टर किया जाता है, या ध्वज फहराने का अधिकार वापस मिल जाता है; या

(ङ) जहां जलयान नष्ट हो जाता है या वास्तव में या आनयिक रूप से पर खो जाता है, जिसमें तोड़-फोड़, आग, डूबना या दुर्घटनाग्रस्त होना सम्मिलित है:

(5) उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होने या ऐसी घटना होने पर रजिस्ट्रार अनावृत्त नौका चार्टरर – सह- पट्टांतरण संविदा के अधीन रजिस्टर बुक में किसी जलयान का रजिस्ट्रीकरण बंद करने को अभिलिखित करते हुए उसका रजिस्ट्रीकरण बंद कर देगा और अनावृत्त नौका चार्टर- सह-पट्टांतरण के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के अभ्यर्पण की अपेक्षा करेगा।

(6) इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित पुनर्चक्रण के लिए जलयानों के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण को बंद करने की दशा में, रजिस्ट्रार रजिस्टर बही में ऐसे जलयानों की विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, जिसमें आने की तारीख, पुनर्चक्रण सुविधा का नाम और अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख सम्मिलित होगी:

परन्तु यह है कि पुनर्चक्रण प्रक्रिया पूरी होने पर, या प्राधिकृत अभिकर्ता या पुनर्चक्रण सुविधा, रजिस्ट्रार को 'पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49)' के अधीन बनाए गए विनियम के अनुसार पोत पुनर्चक्रण पूरी होने का रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा और रजिस्ट्रार इसे रजिस्टर बुक में अभिलिखित करेगा और प्रविष्ट बंद कर देगा।

38. अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण रजिस्ट्रीकरण का विस्तार – (1) जब भारतीय चार्टरर द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण संविदा को विस्तारित किया जाता है, तो चार्टरर या प्राधिकृत अभिकर्ता रजिस्ट्रीकरण की विधमान अवधि की समाप्ति से पहले, रजिस्ट्रीकरण के विस्तार के लिए रजिस्ट्रार को प्ररूप 5 में आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन के साथ रजिस्ट्रार की समाधान के लिए दस्तावेजी प्रमाण होंगे, जो दर्शाते है कि:—

(क) अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण का विस्तार किया गया है; और

(ख) प्रस्तावित विस्तार की अवधि के लिए मूल रजिस्ट्रीकरण वाले देश में जलयान की रजिस्ट्री बंद है, निलंबित है या प्रचालन नहीं कर रही है।

(2) यदि रजिस्ट्रार का ऐसे दस्तावेजी सबूतों से समाधान हो जाता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और रजिस्टर बही में रजिस्ट्रीकरण के विस्तार को अभिलिखित कर सकेगा।

(3) विस्तार की अवधि नवीकृत या विस्तारित चार्टर-पार्टी की अवधि से अधिक नहीं होगी और यह इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी शर्तों के पालन के अध्यधीन होगी।

39. अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण जलयान का भारतीय रजिस्ट्री में अंतरण - (1) किसी विदेशी जलयान का चार्टरर, जिसे इन नियमों के अधीन अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण के रूप में रजिस्टर किया गया है, चार्टर अवधि पूरी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर जलयान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:—

(क) अधिनियम के अधीन किसी पात्र व्यक्ति को स्वामित्व के अंतरण करने के दस्तावेजी प्रमाण के रूप में विक्रय का दस्तावेज या विक्रय विलेख; और

(ख) स्वामित्व की घोषणा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के समाधान और दस्तावेजों के सत्यापन पर, रजिस्ट्रार जलयान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

अध्याय - 6

फीस, शास्तियां और प्रकीर्ण

40. विवरणी और रिपोर्ट – प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को या उससे पहले, प्रत्येक रजिस्ट्रार महानिदेशक को विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान रजिस्टर बही में रजिस्ट्रीकृत किए गए जलयानों की संख्या और उनके टन भार को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करेगा।

41. न्यास की सूचना प्राप्त नहीं हुई – किसी न्यास की कोई सूचना चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या आन्वयिक हो, रजिस्टर बही में दर्ज नहीं की जाएगी या न ही रजिस्ट्रार द्वारा प्रारंभ किया जाएगा और रजिस्टर बही में किसी अन्य व्यक्ति को निहित अधिकार और शक्तियों के अध्यधीन रहेत हुए, जलयान या उसके किसी हिस्से के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को यह अधिकार होगा कि वह जलयान या हिस्से को अधिनियम में उपबंधित रीति में निपटाने करने या प्रतिफल के रूप में संदत्त या अग्रिम रूप से दी गई किसी भी रकम के लिए प्रभावी रसीद देने का अधिकार।

42. फीस – इन नियमों के अधीन फीस अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दरों पर और प्रयोज्यतों के लिए उद्गृहीत की जाएगी।

43. शास्तियां – (1) जो व्यक्ति इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, अधिनियम की धारा 320 की उपधारा (2) के अनुसार शास्ति का दायी होगा।

(2) ऐसे अधिरोपित शास्ति समुद्री वाणिज्य विभाग के रजिस्ट्रार या महानिदेशक को देय होगी।

(3) पूर्णता विशिष्टियों में कोई परिवर्तन या इन नियमों के अधीन रिपोर्ट की जाने वाली अपेक्षित कोई जानकारी, यदि ऐसे परिवर्तन या पूर्णता की वास्तविक तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर नहीं दी जाती है, तो इसे इन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम के अनुसार शास्ति का दायी होगा।

अनुसूची

[नियम 4(2), 9(5), 13(3)(क), 22(6) और 42 देखिए]

फीस

क्रम संख्या	विशिष्टियां	फीस
1.	**(क) प्रारंभिक रजिस्ट्री, पुनः रजिस्ट्री, नई रजिस्ट्री पर - रजिस्ट्रीकरण फीस**	
	(i) 20,000 जीटी तक के जलयान	2.5 रुपये प्रति जीटी, न्यूनतम 5,000 रुपये के अध्यधीन।
	(ii) 20,000 जीटी से ज़्यादा क्षमता वाले जलयान	20,000 जीटी से अधिक प्रत्येक जीटी के लिए 2.5 रुपये प्रति जीटी, किंतु अधिकतम 2,00,000 रुपये।

	(ख) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण/अस्थायी पास/आदि से स्थायी रजिस्ट्रीकरण में संपरिवर्तन के लिए	5,000/- रुपये
2.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए	5,000/- रुपये
3.	बंधक के सृजन के लिए	पहले जलयान पर बंधक की प्रविष्टि के लिए, बंधक की के मूल्य यदि के प्रत्येक 1,000 रुपये पर 0.25 रु. (25 पैसे) की फ़ीस लगेगी। यदि ऋण की उसी रक़म के लिए एक से ज़्यादा जलयानों पर बंधक सृजित किया जाता है, तो दूसरे और उसके पश्चात् के जलयान/ जलयानों पर बंधक की प्रविष्टि के लिए केवल 2,500 रुपये की फ़ीस।
4.	बंधक का मोचन	शून्य
5.	स्वामित्व का अंतरण	5,000/- रुपये
6.	बंधक के अंश का अंतरण	5,000/- रुपये
7.	रजिस्ट्रीकरण बंद करना	5,000/- रुपये
8.	रजिस्ट्रीकरण में परिवर्तन	5,000/- रुपये
9.	जलयान का नाम परिवर्तन के लिए	5,000/- रुपये
10.	प्रत्येक निरीक्षण के लिए रजिस्टर पुस्तक के निरीक्षण हेतु	5,000/- रुपये
11.	जलयान के चिह्नों और सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र के निरीक्षण हेतु	5,000/- रुपये प्रति निरीक्षण
12.	दस्तावेज़ों की प्रतियां या उनसे उद्धरण या उनकी खोज के लिए	
	(i) किसी जलयान की रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर पुस्तक में प्रविष्ट ली गई विशिष्टियों की प्रमाणित प्रति के लिए, साथ ही उस समय जलयान की स्वामित्व दर्शाने वाले प्रमाणित विवरण के लिए	5,000/- रुपये
	(ii) किसी भी घोषणा या दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति के लिए, जिसकी प्रति को वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 के अधीन साक्ष्य माना गया है	5,000/- रुपये

	(iii) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (24 of 2025), के द्वारा घोषित किए गए दस्तावेज़ों से लिए गए उद्धरण या प्रमाणित प्रति के लिए, विक्रय लिखत, बंधक प्रमाण-पत्र की रजिस्ट्री (प्रारंभ में जारी) या रजिस्ट्रीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र।	1,000 रुपये प्रति प्रति
13.	जलयान के लिए क्षेत्र नाम का रजिस्ट्रीकरण	1,00,000/- रुपये
14.	भारतीय रजिस्ट्री का अस्थायी पास या अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करने और अस्थायी पास की अवधि बढ़ाने के लिए	5,000/- रुपये
15.	नाम, परिचय पत्र, एमएमएसआई नंबर आबंटित करने के लिए (दो वर्ष की विधिमान्यता)	10,000/- रुपये
16	नाम, परिचय पत्र, एमएमएसआई नंबर और आधिकारिक नंबर का नवीकरण (इसके पश्चात् एक वर्ष की विधिमान्यता)	5,000/- रुपये

[फा.सं. एसवाई-19014/186/2025-एमजी]

वेंकटेसपति एस., संयुक्त सचिव

केन्द्रीय रजिस्टर / केन्द्रीय पुस्तक

जलयान का नाम	रजिस्ट्री की विशिष्टियां	आधिकारिक नंबर	आईएमओ नंबर	परिचय-पत्र/ एमएमएसआई	जलयान की विशिष्टियां (यदि कोई पुरानी रजिस्ट्री हो)
	तारीख: वर्ष: पत्तन:				नाम: आधिकारिक नंबर: स्थान और वर्ष:

जलयानका प्रकार	व्यापार का क्षेत्र	निर्माण का ब्यौरा	निर्माता का विवरण
		निर्माण वर्ष: स्थान/देश:	नाम: पता:

जलयान की विशिष्टियां				स्वामित्व ब्यौरा		
डेक की संख्या		**आयाम**	**मीटर**	**नाम**	**पता**	**धारित शेयर**
मस्तूलों की संख्या		कुल लंबाई		1.		
पिछला हिस्सा		रजिस्ट्रीकृत लंबाई		2.		
पतवार निर्माण सामग्री		अधिकतम चौड़ाई		3.		
बल्कहेड की संख्या		जलयान के बीच में ढाला गहराई		4.		
प्रोणदन का प्रकार						100

टन भार का विवरण		क्षमता		
सकल टन भार:	शुद्ध टन भार:	टीईयू:	बीपी:	डीडब्ल्यूटी:
नाविकों और प्रशिक्षुओं (मास्टर सहित) की वह संख्या जिनके लिए रहने की जगह प्रमाणित है।				

इंजन/मोटर की विशिष्टियां

विवरण	**इंजन/मोटर का ब्यौरा**				**शाफ्ट की संख्या और बीएचपी**
प्रोणदन इंजन/मोटर:	मेक:	मॉडल:	निर्माता का नाम और पता:	निर्माण का वर्ष:	
इंजन 1:					**अनुमानित गति**
इंजन 2:					

प्ररूप 1 (क)

केन्द्रीय रजिस्टर / केन्द्रीय पुस्तक

प्रविष्टि संख्या	प्रविष्टि की तारीख	बंधककर्ता का नाम और पता	बंधकदार का नाम और पता	बंधक प्रविष्टियाँ				रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
				बंधक पत्र संख्या	बंधक की प्रकृति और प्रतिभूत रकम	मोचन की तारीख (यदि लागू हो)	टिप्पणी (क्या यह संयुक्त बंधक है)	

प्ररूप 1(ख)

बकाया बंधक :

केंन्द्रीय रजिस्टर / केन्द्रीय पुस्तक

प्रविष्टि संख्या	प्रविष्टि की तारीख	नाम और पता	साधारण प्रविष्टियां		रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
			विवरण (इसमें जलयान के नाम में परिवर्तन, रजिस्ट्री का पत्तन या रजिस्ट्रीकृत विवरण, चार्टर या प्रबंधन का ब्यौरा, रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दीकरण, कानूनी या न्यायालय के आदेश और रजिस्ट्रार द्वारा निदेशित कोई भी अन्य विषय शामिल हैं)	टिप्पणियां	

प्ररूप **1(ग)**

रजिस्ट्री की प्रतिलिपि

जलयान का नाम	रजिस्ट्री की विशिष्टियां	आधिकारिक नंबर	आईएमओ संख्या	परिचय-पत्र/ एमएमएसआई	जलयान की विशिष्टियां (यदि कोई पुरानी रजिस्ट्री हो)
	तारीख: वर्ष: पत्तन:				नाम: आधिकारिक नंबर: स्थान और वर्ष:

जलयान का प्रकार	व्यापार का क्षेत्र	निर्माण का विवरण	निर्माता का ब्यौरा
		निर्माण वर्ष: स्थान/देश:	नाम: पता:

जलयान का विवरण				स्वामित्व विवरण		
डेक की संख्या		**आयाम**	**मीटर**	**नाम**	**पता**	**धारित शेयर**
मस्तूलों की संख्या		कुल लंबाई		1.		
पिछला हिस्सा		रजिस्ट्रीकृत लंबाई		2.		
पतवार निर्माण सामग्री		अधिकतम चौड़ाई		3.		
बल्कहेड की संख्या		जलयान के बीच में ढाला गहराई		4.		
प्रोणदन का प्रकार						100

टन भार की विशिष्टियां		क्षमता		
सकल टन भार:	शुद्ध टन भार:	टीईयू:	बलार्ड पुल:	डीडबल्यूटी:
नाविकों और प्रशिक्षुओं (मास्टर सहित) की वह संख्या जिनके लिए रहने की जगह प्रमाणित है।				

इंजन/मोटर की विशिष्टियां

विवरण	**इंजन/मोटर का ब्यौरा**				**शाफ्ट की संख्या और बीएचपी**
प्रोणदन इंजन/मोटर:	मेक:	मॉडल:	निर्माता का नाम और पता:	निर्माण का वर्ष:	
इंजन 1:					**अनुमानित गति**
इंजन 2:					

प्ररूप **2(क)**

प्ररूप 2

[नियम 4(2), और 28(3)]

रजिस्ट्री की प्रतिलिपि

प्रविष्टि संख्या	बंधक का बकाया ब्यौरा	बंधककर्ता का नाम और पता	बंधकदार का नाम और पता

प्ररूप **2(ख)**

प्ररूप **2**

[नियम **4(2),** और **28(3)** देखें**]**

व्यष्टिक/संयुक्त स्वामी/एलएलपी/कंपनी के स्वामित्व की घोषणा

प्रणोदित /गैर- प्रणोदित

(1) आधिकारिक नंबर (2) जलयान का नाम (3) रजिस्ट्री की तारीख और पत्तन (4) जलयान का प्रकार (5) इंजन की हॉर्सपावर

(6) स्वामी का नाम (7) स्वामी का पता (8) व्यवसाय (9) जन्म स्थान

(10) जलयान की विशिष्टियां मीटर (11) रजिस्ट्रीकृत टन भार की विशिष्टियां सकल शुद्ध

कुल लंबाई :

रजिस्ट्रीकृत लंबाई :

अधिकतम चौड़ाई:

जलयान के बीच में ढाला गहराई:

और सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र और सेंट्रल रजिस्टर पुस्तक में, यथा लागू हो, विस्तार से यथा वर्णित।

मैं/हम, [नाम], [माता-पिता का नाम] के पुत्र/पुत्री, जो [पता] पर रहते हैं और जिनका व्यवसाय [व्यवसाय का नाम] है, [अपनी व्यष्टिक क्षमता से / स्वामियों के रुप में संयुक्त रुप से / LLP / कंपनी की ओर से विधिवत प्राधिकृत होकर], एतद्द्वारा निष्ठा पूर्वक निम्नलिखित घोषणा करते हैं कि:

यह कि जलयान की हिस्सेदारी ऐसे स्वामी(स्वामियों) [व्यष्टिक/संयुक्त / LLP / कंपनी] के द्वारा धारित होगी, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा वाणिज्यिक जलयान परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 15 के अनुसार विनिर्दिष्ट या अधिसूचित किया जाए। LLP / कंपनी, [LLP / कंपनी का नाम], के मामले में जिसे
सीमित देनदारी साझेदारी अधिनियम, 2008 / कंपनी अधिनियम, 1956/ 2013 के अधीन [तारीख] को निगमित किया गया है, का भारत में [इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय / मुख्य व्यावसायिक स्थान] है और वह स्वामी के रुप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार है।

2. विदेशी व्यक्ति या कॉर्पोरेट शेयरधारकों के मामले में, ऐसे व्यक्तियों का स्वामित्व और निगमन उनके संबंधित क्षेत्राधिकारों के लागू विधियों द्वारा शासित होगा, बशर्ते वे सदेव वाणिज्यिक जलयान परिवहन अधिनियम, 2025 और किसी भी ऐसे लागू भारतीय विधियों, नियम या शर्तों का पालन करें, जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

3. यह कि रजिस्ट्रीकरण के लिए दिए गए जलयान का साधारण विवरण और विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

4. यह कि स्वामी(स्वामियों) के पास जलयान में [संख्या/प्रतिशत] हिस्सेदारी है और तदनुसार वे रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार हैं।

मैं/हम निष्ठापूर्वक से पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

यह घोषणा (तारीख) को की गई और इस पर हस्ताक्षर किए गए।

घोषणा करने वाले/वालों के हस्ताक्षर:

नाम और पद:

हस्ताक्षर:

टिप्पन:

1. यह घोषणा वाणिज्य जलयान परिवहन अधिनियम, 2026 के नियम 7 में बताए अनुसार रजिस्ट्रार, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ ओथ्स, भारतीय राजनयिक या कांसुलर अधिकारी या सर्वेक्षक के सामने की जानी चाहिए।
2. संयुक्त स्वामी होने की स्थिति में, सभी स्वामित्वों का विवरण घोषणा के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
3. कंपनी के मामले में प्रमाण-पत्र का पॉइंट (8) और (9) लागू नहीं होता है।

जलयान का नाम, आधिकारिक नंबर, परिचय पत्र और एमएमएसआई संख्या का प्रमाणपत्र

आवेदन संख्या:**:**

सेवा में,

तारीख:**XX.XX.XXXX**

निम्नलिखित को अनुमोदित/आबंटित किया गया है।:

जलयान का नाम	
जलयान का नाम	
आधिकारिक नंबर	
परिचय पत्र	
एमएमएसआई संख्या	
आईएमओ संख्या	
प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवसनित होने की तारीख	
जारी करने तारीख: हस्ताक्षर : रजिस्ट्रार का नाम : स्थान : भारतीय जलयान रजिस्ट्रार मोहर/ सील:	

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र /अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र /अस्थायी पास /बेयरबोट चार्टर-सह-पट्टान्तरण/गैर-प्रणोदन जलयानों /सरकारी जलयानों /भारतीय जलक्षेत्र में परित्यकत जलयानों हेतु आवेदन

जलयान की विशिष्टियां

(1) जलयान का नाम	(2) अधिकारिक नम्बर	(3) जलयान का प्रकार		
(4) एमएमएसआई नंबर	(5) परिचय संकेत	(6) सकल टनभार	(7) निवल टनभार	(8) डीडब्ल्यूटी
(9) पोत प्रागंण का नाम और पता जहाँ निर्माण हुआ और निर्माण का वर्ष	(10) कील बिछाने की तारीख	(11) जलयान के ब्यौरे		
	दिन माह वर्ष	लंबाई मीटर में : चौड़ाई मीटर में : गहराई मीटर में :		
(12) पिछले रजिस्ट्रीकरण का देश	(13) पिछले स्वामित्व के ब्यौरे	(14) जलयान का पिछला नाम और आधिकारिक नंबर		

(15) जलयान का प्रोणदन	प्रणोदित /गैर-प्रणोदित	(16) प्रोणदन का प्रकार	
(17) जलयान का विवरण			
(18) व्यापार का क्षेत्र	विश्वभर जिसमें तटीय या भारत के तटीय जल क्षेत्र शामिल हैं।	(19) जलयान निर्माण सामग्री	
(20) कंटेनर जलयान (टीईयू)		(21) टग्स: बैलार्ड पुल क्षमता	

इंजन / मोटर का विवरण

(1) विवरण	(2) इंजन /मोटर का विवरण			
प्रोणदन इंजन/मोटर:	मेक:	मॉडल:	निर्माता का नाम और पता:	निर्माण का वर्ष :
इंजन 1:				
इंजन 2:				

(3) शाफ्ट की संख्या और बीएचपी :		(4) अनुमानित गति	

स्वामित्व के ब्यौरे

या चार्टरर के ब्यौरे (बेयरबोट चार्टर-सह-पट्टान्तरण/डंब बार्ज के मामले में)

(1) पूरा नाम	(2) पता	(3) राष्ट्रीयता/ निगमन का स्थान
(4) जलयान में स्वामित्व वाले शेयरों का बंटवारा	(5) शेयरों की कुल संख्या	(6) स्वामित्व का प्रकार (यथा लागू सही का निशान लगाएँ)
	100	एक मात्र स्वामित्व: संयुक्त स्वामित्व: कंपनी: सीमित देनदारी साझेदारी:

(1) निगम का नाम	(1) विदेशी इक्विटी	(2) स्थानीय इक्विटी
(2) संपत्त पूंजी	कुल %:	कुल %:

पूरा नाम	राष्ट्रीयता	पता
घोषणाकर्ता की प्रास्थिति (यथा लागू सही का निशान लगाएं और भरें)		
स्वामित्व निगम का निदेशक के डायरेक्टर: (डीआईएन नंबर:) स्वामित्व निगम के कंपनी सेक्रेटरी: (आईसीएसआई सदस्यता नंबर:) व्यक्तिगत/संयुक्त स्वामी: पावर ऑफ़ अटॉर्नी/बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त व्यक्ति:		

रजिस्ट्रीकरण का प्रकार (यथा लागू सही का निशान लगाएं और भरें)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र	
अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र	
अस्थायी पास	
बेयरबोट चार्टर-सह-पट्टान्तरण	
गैर-प्रोणदन जलयान	
सरकारी जलयान	
भारतीय जलक्षेत्र में परित्यक्त किए गए जलयान	

मैं/हम*, जिनके नाम यहाँ प्रमाणित गए हैं, एतद द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हूँ कि:

1. इसमे दी गई सभी जानकारी सही है;
2. इसमें उल्लिखित व्यक्ति, भारतीय जलयान के स्वामी बनने के योग्य हैं;
3. जलयान की संपत्ति को 100 हिस्सों (शेयरों) में बांटा गया है;
4. स्वामी या चार्टरर के विवरण में उल्लिखित व्यक्तियों के सिवाय कोई भी व्यक्ति जलयान के स्वामी के रूप में पंजीकृत होने का हकदार नहीं है और कोई भी अनुद्दिक व्यक्ति स्वामी के रूप में जलयान या उसके किसी हिस्से में किसी कानूनी या लाभकारी हित का हकदार नहीं है।

और मैं/हम* यह औपचारिक घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरी हमारी निष्ठा और विश्वास से इसमें दी गई जानकारी सत्य है।

घोषणाकर्ताओं के नाम और हस्ताक्षर हस्ताक्षर करने की तारीख:	भारत में रजिस्ट्रार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से/डिजिटल रूप से..... (तारीख) को की गई घोषणा। हस्ताक्षर: रजिस्ट्रार का नाम: मुहर/सील:
रजिस्ट्रीकरण की पसंदीदा तारीख का उल्लेख करें:	रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र लेने के पसंदीदा तरीके का उल्लेख करें बताएं: 1. डाक सेवा 2. व्यक्तिगत रूप से **टिप्पण**: जहाँ प्रमाण-पत्र डिजिटल प्ररुप में जारी किया जाता है, उसे ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करना होगा और कोई भौतिक प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

खोदाई और अंकन नोट का प्रमाणपत्र

आधिकारिक नंबर	जलयान का नाम (हिंदी और अंग्रेज़ी में)	एमएमएसआई नंबर	आईएमओ नंबर	रजिस्ट्री का पत्तन (हिंदी और अंग्रेज़ी में)	रजिस्ट्रीकृत टनभार
					शुद्ध टनभार:
					सकल टनभार:

जलयान का नाम, रजिस्ट्री का पत्तन और आईएमओ नंबर, 'खोदाई और अंकन नोट' से संबंधित अनुदेशों के अनुसार अंकित किए जाएँगे।

भारतीय जलयान का रजिस्ट्रार

समुद्री वाणिज्य विभाग,

दिनांक

खोदाई और अंकन नोट का सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि मैंने ऊपर उल्लिखित जलयान का निरीक्षण किया है, और यह पाया है कि यथा उक्त उल्लिखित आधिकारिक नंबर और रजिस्ट्रीकृत टनभार को 30cm x 6cm की पीतल की प्लेट पर उकेरा गया है और इसे नौचालन ब्रिज पर स्पष्ट दिखने वाली जगह पर चस्पा किया गया है; यह कि वाणिज्य जलयान परिवहन (जलयानों का रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 2026 के नियम 9(2) के अनुसार, उसका नाम जलयान के अगले हिस्से पर और रजिस्ट्री का पत्तन के पिछले हिस्से पर अंकित है।

तारीख: _____

स्थान: सर्वेक्षक

सर्वेक्षण का पत्तन

:

खोदाई और अंकन संबंधी निर्देश - नोट

वाणिज्य जलयान परिवहन अधिनियम (जलयानों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2026 के नियम 9(2) के अनुसार

जलयान पर खोदाई और अंकन इस प्रकार किया जाएगा:

(i) जलयान का नाम और रजिस्ट्री के पत्तन जलयान का नाम, जलयान के अगले हिस्से और पिछले हिस्से पर पेंट किया जाएगा।

(ii) ये निशान हिंदी और अंग्रेज़ी में बनाए जाएंगे, जिसमें हिंदी में मे उत्तीर्ण भाग अंग्रेज़ी में लिखे भाग के ऊपर होगा। अक्षरों को गहरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद या पीले रंग से, या हल्की पृष्ठभूमि पर काले रंग से पेंट किया जाएगा। अक्षरों की ऊंचाई कम से कम 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कम से कम 1.3 सेंटीमीटर होगी।

(iii) यदि ढांचे के कारण पिछले भाग पर नाम और रजिस्ट्री के पत्तन का नाम पेंट करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो इसे जलयान के दोनों क्वार्टर अर्थात् पिछले हिस्से के दोनों तरफ़ पर पेंट किया जा सकेगा है।

(iv) आधिकारिक नंबर और रजिस्ट्रीकृत टनभार दर्शाने वाला नंबर 30 cm x 6 cm आकार की पीतल की प्लेट पर उकेरा जाएगा, और इसे जलयान के नौचालन ब्रिज पर ऐसी जगह लगाया जाएगा जहाँ से यह आसानी से दिखाई दे।

(v) ड्राफ़्ट मार्क्स का पैमाना मीटर और डेसीमीटर में, जलयान के आगे और पीछे के हिस्सों पर जलयान और अगले हिस्से की तरफ काटा या वेल्ड किया जाएगा।

(vi) यदि जलयान में रेक्ड सॉफ्ट स्टेम और क्रूज़र स्टर्न है, तो निशान, स्टेम के आकार के अनुसार, स्टेम के जितना हो सके उतना पास और पीछे की तरफ़ काटे या वेल्ड किए जाएंगे। पीछे की तरफ़ या अग्रभाग पर निशान, 'आफ़्टर परपेंडिकुलर' से 2 मीटर से ज़्यादा आगे नहीं काटे जाएंगे।

ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं के सिवाय, आईएमओ जलयान पहचान संख्या के अंकन को स्थायी रूप से इस रीति से बनाया जाएगा कि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे और अलग हो, किसी अन्य चिह्नों द्वारा बाधा या हस्तक्षेप से मुक्त हो, और इसे एक विषम रंग में चित्रित किया जाएगा; इन निशानों की ऊंचाई जलयान के बाहरी हिस्से पर 200 मिलीमीटर से कम और अंदरूनी जगहों पर 100 मिलीमीटर से कम नहीं होंगे, और ये निशान उभरे हुए अक्षरों, कटिंग, सेंटर-पंचिंग या समय-समय पर संशोधित सोलास विनियम XI-1/3 के अनुसार किसी समान स्थायी पद्धति से बनाए जाएंगे।

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र

प्रणोदित /गैर- प्रणोदित

जलयान का नाम	आईएमओ नंबर	आधिकारिक नंबर	परिचय- संकेत	एमएमएसआई नंबर	आशयित रजिस्ट्री का पत्तन	जलयान की विशिष्टियां (यदि कोई पूर्व रजिस्ट्री हो)
						नाम: आधिकारिक नंबर: जलयान का रजिस्ट्रीकरण:

जलयान का प्रकार	प्रोणदन का प्रकार	निर्माण के ब्यौरे	निर्माता के ब्यौर :
		निर्माण वर्ष: निर्माण का स्थान/देश:	नाम: पता:

जलयान का विवरण			
डेक की संख्या		कुल लंबाई	
मस्तूलों की संख्या		रजिस्टर्ड लंबाई	
पतवार निर्माण सामग्री		अधिकतम चौड़ाई	
बल्कहेड की संख्या		जलयानों के बीच में ढ़ाला गहराई	
पिछला हिस्सा			
टग्स: बोलार्ड पुल क्षमता		(कंटेनर जलयान (टीईयू)	

टनभार की विशिष्टियां

इस जलयान का टनभार, जलयान के अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (1969)/ भारतीय टन भार प्रमाणपत्र (2026) के अनुसार है:
सकल टनभार: निवल टनभार:
जलयान के टनभार का विस्तृत ब्यौरे, अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (1969)/ भारतीय टनभार प्रमाणपत्र (2026) के उपाबंध में दिया गया है।

नाविकों और प्रशिक्षुओं (मास्टर सहित) की संख्या जिनके लिए रहने की जगह प्रमाणित है।	

जलयान की क्षमता

डीडब्ल्यूटी		बीपी		टीईयू	

मैं, वाणिज्य जलयान परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 9 के अधीन नियुक्त सर्वेक्षक, ऊपर उक्त नाम जलयान का सर्वेक्षण करने के पश्चात्, प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रमाण-पत्र में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है, और यह कि जलयान की खोदाई और मार्किंग का नाम वाणिज्य जलयान परिवहन (जलयान का रजिस्ट्रेशन) नियम, 2026 के नियम 9(2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति से है।

इस प्रमाण-पत्र पर .....,.....को हस्ताक्षर किए गए

सर्वेक्षक का नाम:

हस्ताक्षर:

मोहर/
सील:

स्थान:

सर्वेक्षण प्रमाणपत्र

बिल्डरों, स्वामियों या इंजन निर्माताओं द्वारा आपूर्ति किए गए प्रणोदन इंजन आदि की विशिष्टियों का प्रमाणित उद्धृण				
प्रोणदन का प्रकार	इंजन/टर्बाइन/मोटर के ब्यौरे	निर्माण का स्थान	इंजन/टर्बाइन/मोटर सेटों की संख्या	शाफ़्ट की संख्या
इंजन/मोटर 1: (इंटरनल कंबशन/स्टीम/ इलेक्ट्रिक)	मॉडल: उपकरण संख्या:			
इंजन/मोटर 2: (इंटरनल कंबशन/स्टीम/ इलेक्ट्रिक)	मॉडल: उपकरण सख्या:			

इंजन/टर्बाइन/मोटर का निर्माण	निर्माता के ब्यौरे	बॉयलर के ब्यौरे
निर्माण की तारीख और वर्ष:	नाम: पता:	
इलेक्ट्रिक मोटर	रेसिप्रोकेटिंग इंजन	रोटेटिंग इंजन/टर्बाइन/मोटर
सेट की संख्या:	प्रत्येक में सिलेंडरों की संख्या और व्यास (मिमी में)	हर सेट में सिलेंडरों की संख्या:
बैटरियों की संख्या और क्षमता :	प्रत्येक सेट में स्ट्रोक की लंबाई (मिमी में) / प्रत्येक सेट में सिलेंडरों की संख्या और व्यास (मिमी में)	
जलयान की पावर और अनुमानित गति		

सहायक इंजन				
प्रोणदन का प्रकार	इंजन/मोटर के ब्यौरे	निर्माण का स्थान	इंजन/मोटर की संख्या	शाफ़्ट की संख्या
सहायक इंजन/मोटर 1:	मॉडल: इंजन/मोटर नंबर:			
सहायक इंजन/मोटर 2:	मॉडल: इंजन/मोटर नंबर:			
सहायक इंजन/मोटर 3:	मॉडल: इंजन/मोटर नंबर:			
सहायक इंजन/मोटर 4:	मॉडल: इंजन/मोटर नंबर:			
सहायक इंजन/मोटर 5:	मॉडल: इंजन/मोटर नंबर:			

सर्वेक्षक का नाम: **हस्ताक्षर** :

मुहर/सील:

विक्रय लिखत (व्यक्ति/संयुक्त स्वामी/कंपनी)

(1) आधिकारिक नंबर	(2) जलयान का नाम	(3) जलयान की रजिस्ट्री और वर्ष	(4) जलयान का प्रकार	(5) इंजन / मोटर्स की हॉर्स पावर

(6) जलयान की विशिष्टियां		(7) जलयान का टनभार	
कुल लंबाई :	मीटर	सकल	निवल
रजिस्ट्रीकृत लंबाई : अधिकतम चौड़ाई: जलयानों के बीच में ढाला गहराई:			

और जैसा कि सवेक्षण प्रमाण-पत्र और रजिस्टर बुक में अधिक जानकारी में यथा वर्णित है।

मैं/हम, [अंतरणकर्ता (कर्ताओं) का नाम], [कोई व्यक्ति/संयुक्त स्वामित्व/सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन निगमित एक सीमित देयता भागीदारी / कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन निगमित कंपनी / कोई विदेशी व्यक्ति/विदेशी कंपनी या निगमन के अपने अधिकार क्षेत्र की विधि के अधीन सम्यक् रूप से निगमित निकाय] होते हुए, मेरा/हमारा/उनका [रजिस्ट्रीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान/पता] [ ] पर है, [अंतरिती(यों) का नाम] द्वारा संदत [राशि] की राशि के प्रतिफल में, [व्यक्ति/संयुक्त स्वामी/एलएलपी/कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के अधीन निगमित कंपनी / विदेशी व्यक्ति/विदेशी कंपनी या निगमित निकाय जो इसके अधिकार क्षेत्र के विधि के अधीन सम्यक् रूप से निगमित है], जिसकी पावती दी जाती है, ऊपर वर्णित जलयान में [संख्या/प्रतिशत] शेयर(ओं) को उसकी नावों, इंजनों, टैकल, परिधान, फर्नीचर और अन्य सभी संलग्न वस्तुएं उक्त हस्तांतरिती(यों) को। हस्तांतरित और समर्पित करता है/करते हैं उक्त शेयर(रों) को उससे जुड़े सभी अधिकारों, हितों और विशेषाधिकारों के साथ पूरी तरह से अपने पास रखेगा/रखेंगे, अंतरीती गारंटी देता/देते हैं कि जलयान और उक्त शेयर, सभी बंधकों, पुनर्ग्रहणधिकार, देनदारियों, दावों, प्रभारों और किसी भी अन्य तीसरे पक्ष के हितों से मुक्त होकर अंतरित किए जा रहे हैं।

इसके साक्ष्य के रूप में,

मैंने/हमने इसमें [दिन] दिन, [माह, वर्ष] को अपने हस्ताक्षर किए हैं और अपनी मुहर लगाई है।

हस्तांतरितकर्ता के हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम (यदि कंपनी हो):

निम्नलिखित साक्ष्यों की उपस्थिति में निष्पादित:

1. साक्ष्य का नाम और पता:
   हस्ताक्षर:
2. साक्ष्य का नाम और पता:
   हस्ताक्षर:

टिप्पण 1: रजिस्टर्ड भारतीय जलयान के क्रेता को तब तक पूरा स्वामित्व नहीं मिलता जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा 'विक्रय लिखत'

को रजिस्टर बुक में दर्ज न कर लिया जाए; इस सावधानी की उपेक्षा करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

टिप्पण 2: रजिस्ट्रर्ड स्वामियों या बंधकियों को स्मरण कराया जाता है कि वे अपने पते में किसी भी परिवर्तन की जानकारी रजिस्ट्रार को देते रहें।

रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र

प्रणोदित /गैर- प्रणोदित

जलयान का विवरण			
जलयान का नाम	आईएमओ नंबर	एमएमएसआई नंबर	आधिकारिक नंबर

परिचय पत्र	निर्माण का स्थान और वर्ष	जलयान का विवरण (यदि कोई पूर्व रजिस्ट्री हो)
		नाम और रजिस्ट्री:
व्यापार का क्षेत्र	जलयान की कील बिछाने की तारीख	आधिकारिक नंबर:
		रजिस्टर्ड की तारीख :

रजिस्टर्ड परिमाप	
कुल लंबाई : पंजीकृत लंबाई : अधिकतम चौड़ाई: जलयानों के बीच में ढाला गहराई:	जलयान का प्रकार: प्रोणदन का प्रकार: जलयान निर्माण सामग्री:

टनभार का विशिष्टयां
इस जलयान का टनभार, जलयान के अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (1969)/ भारतीय टनभार प्रमाणपत्र (2026) के अनुसार है: सकल टनभार: निवल टनभार:

इंजन/टर्बाइन/मोटर का विशिष्टियां					
इंजन/टर्बाइन/मोटर का विवरण	इंजन/टर्बाइन/मोटर का विवरण				शाफ़्ट की संख्या एंड बीएचपी @RPM
प्रोणदन का विवरण :	मेक:	मॉडल:	निर्माता :	निर्माण वर्ष :	
इंजन/टर्बाइन/मोटर 1:					अनुमानित गति
इंजन/टर्बाइन/मोटर 2:					

स्वामी/चार्टरकर्ता का नाम	स्वामी/चार्टरकर्ता का पता	शेयरों की संख्या

बेयरबोट-सह-पट्टान्तरण चार्टर के मामले में प्रमाणपत्र की वैधता रजिस्ट्रेशन की तारीख से xx वर्ष की अवधि के लिए होगी।

मैं, नीचे अधोंहस्ताक्षरी, भारतीय जलयान का पंजीयक, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि जिस जलयान का विवरण इस प्रमाण-पत्र के आरंभ में दिया गया है, उसका विधिवत सर्वेक्षण किया गया है और उपर्युक्त विवरण रजिस्टर-बुक के अनुसार है। तारीख : _____	रजिस्ट्रार

भारतीय जलयान रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड_____

टिप्पण:

I. रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र स्वामित्व का दस्तावेज़ नहीं है। इसका उपयोग केवल जलयान के विधिक नौचालन के लिए किया जाना है और किसी स्वामी, बंधक या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे या दावे का स्वामी, ग्रहणाधिकार, प्रभार या हित के कारण इसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता है।

II. जलयान को रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र/अस्थायी पास के अनंतिम रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र के बदले में **xx.xx.xxxx** से **xx.xx.xxxx** तक जारी किया गया था।

III. यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आता है जो इसका प्राधिकृत धारक नहीं है, तो उनसे अनुरोध है कि वे इसे इस पते पर भेजें: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, 9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई-थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुर मार्ग ईस्ट, मुंबई – 400042

*****यह प्रमाण-पत्र वाणिज्य जलयान परिवहन (जलयानों का रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, **2026** के क्रमशः नियम **23/24/25** के अधीन कंपनी का नाम/स्वामी का पता/ जलयान का नाम बदलने के अनुरोध के आधार पर जारी किया गया है।

रजिस्ट्रेशन का अनंतिम प्रमाण-पत्र

प्रणोदित /गैर- प्रणोदित

जलयान का विशिष्टियां			
जलयान का नाम	आईएमओ नंबर	एमएमएसआई नंबर	आधिकारिक नंबर
परिचय संकेत	निर्माण का स्थान और वर्ष	जलयान के ब्यौर (यदि कोई पुरानी रजिस्ट्री हो)	
		नाम और रजिस्ट्री:	
व्यापार का क्षेत्र	जलयान की कील बिछाने की तारीख	आधिकारिक नंबर:	
		पंजीकृत की तिथि :	

रजिस्टर्ड परिमाप	
कुल लंबाई : रजिस्टर्ड लंबाई : अधिकतम चौड़ाई: जलयानों के बीच में ढाला गहराई:	जलयान का प्रकार: प्रोणदन का प्रकार: जलयान निर्माण सामग्री:

टनभार का विशिष्टयां
इस जलयान का टनभार, जलयान के अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (1969)/ भारतीय टनभार प्रमाणपत्र (2026) के अनुसार है: सकल टनभार: निवल टनभार:

इंजन/टर्बाइन/मोटर का विशिष्टियां					
इंजन/टर्बाइन/मोटर का विवरण	इंजन/टर्बाइन/मोटर के ब्यौर				शाफ़्ट की संख्या एंड बीएचपी **@RPM**
प्रोणदन का विवरण :	मेक:	मॉडल:	निर्माता :	निर्माण वर्ष :	
इंजन/टर्बाइन/मोटर 1:					अनुमानित गति
इंजन/टर्बाइन/मोटर 2:					
स्वामी/चार्टरकर्ता का नाम	स्वामी/चार्टरकर्ता का पता				शेयरों की संख्या

मैं, अधोहस्ताक्षरी, भारतीय जलयान का रजिस्ट्रार, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि जिस जलयान का विवरण इस प्रमाण-पत्र के आरंभ में दिया गया है, उसका विधिवत सर्वेक्षण किया गया है और उपर्युक्त विवरण रजिस्टर-बुक के अनुसार है। तारीख :	रजिस्ट्रार
भारतीय जलयान रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड _____	
जारी किया गया अनंतिम प्रमाणपत्र रजिस्ट्रेशन तारीख से छह (**06**) माह की अवधि के लिए विधिमान्य है।	

I. रजिस्ट्री का अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वामित्व का दस्तावेज़ नहीं है। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ जहाज़ को विधिक रूप से चलाने के लिए किया जाना है और किसी स्वामी, मॉर्गेजी (बंधक-धारक) या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व अधिकार, लियन (ग्रहणाधिकार), चार्ज या हित के दावे के आधार पर इसे ज़ब्त नहीं किया जा सकता है।

II. यदि यह प्रमाण-पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आता है जो इसका प्राधिकृत धारक नहीं है, तो उनसे अनुरोध है कि वे इसे इस पते पर भेजें: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, 9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई-थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुर मार्ग ईस्ट, मुंबई– 400042.

अस्थायी पास रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के बदले जारी किया गया

प्रणोदित /गैर- प्रणोदित

जलयान का विशिष्टियां			
जलयान का नाम	आईएमओ नंबर	एमएमएसआई नंबर	आधिकारिक नंबर

परिचय संकेत	निर्माण का स्थान और वर्ष	जलयान का ब्यौरे (यदि कोई पूर्व रजिस्ट्री हो)
		नाम और रजिस्ट्री:
व्यापार का क्षेत्र	जलयान की कील बिछाने की तारीख	आधिकारिक नंबर:
		रजिस्ट्रेशन की तारीख :

रजिस्ट्रर्ड परिमाप	
कुल लंबाई : रजिस्ट्रीकृत लंबाई : अधिकतम चौड़ाई: जलयानों के बीच में ढाला गहराई:	जलयान का प्रकार: प्रोणदन का प्रकार: जलयान निर्माण सामग्री:

टनभार की विशिष्टियां
इस जलयान का टनभार, जलयान के अंतर्राष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (1969)/ भारतीय टनभार प्रमाणपत्र (2026) के अनुसार है: सकल टनभार: निवल टनभार:

इंजन/टर्बाइन/मोटर का विशिष्टियां					
इंजन/टर्बाइन/मोटर का विवरण	इंजन/टर्बाइन/मोटर का ब्यौरे				शाफ़्ट की संख्या एंड बीएचपी @RPM
प्रोणदन का विवरण :	मेक:	मॉडल:	निर्माता :	निर्माण वर्ष :	
इंजन/टर्बाइन/मोटर 1:					अनुमानित गति
इंजन/टर्बाइन/मोटर 2:					

स्वामित्व/चार्टरकर्ता का नाम	स्वामी/चार्टरकर्ता का पता	शेयरों की संख्या

मैं, अधोहस्ताक्षरी, भारतीय जलयान रजिस्ट्रार, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि जिस जलयान का विवरण इस प्रमाण-पत्र के आरंभ में दिया गया है, उसका सम्यक् रूप से सर्वेक्षण किया गया है और उपर्युक्त विवरण रजिस्टर-बुक के अनुसार है। तारीख :	रजिस्ट्रार

भारतीय जलयान रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत_____

जारी किया गया अस्थायी पास रजिस्ट्रेशन की तारीख से तीन (03) माह की अवधि के लिए मान्य है।

टिप्पण :

I. जारी किया गया अस्थायी पास स्वामित्व का दस्तावेज़ नहीं है। इसका उपयोग केवल जलयान को विधिक रूप से चलाने के लिए किया जाना है और किसी स्वामित्व, बंधक रखने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व का अधिकार, ग्रहणाधिकार, चार्ज या हित के कारण इसे ज़ब्त नहीं किया जा सकता है।

II. यह पास सिर्फ़ पुनर्चक्रण के प्रयोजन से जारी किया गया है। इस अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान, जलयान का उपयोग किसी भी वाणिज्य गतिविधि, व्यापार, कार्गो या यात्रियों को लाने-ले जाने, या किसी अन्य समुद्री सेवा के लिए नहीं किया जाएगा।

III. वाणिज्य जलयान परिवहन (जलयानों का रजिस्ट्रेशन) अधिनियम, 2026 के नियम 19(3) में यथा उल्लिखित, इस प्रमाण-पत्र के रखने की अवधि के दौरान जलयान के पास एक वैध सीआईओएफएस होगा।

IV. यदि यह प्रमाण-पत्र, इस अस्थायी पास के प्राधिकृत धारक के अलावा किसी और व्यक्ति के पास आता है, तो उनसे अनुरोध है कि वे इसे इस पते पर भेजें: समुद्री प्रशासन महानिदेशालय, 9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई-थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुर मार्ग ईस्ट, मुंबई – 400042.

भारत में पुनर्चक्रण किए जाने वाले पोतों हेतु आवेदन

जलयानों का विशिष्टियां

(1) जलयान का नाम	(2) आधिकारिक नंबर	(3) जलयान के प्रकार		
(4) एमएमएसआई नंबर	(5) परिचय संकेत	(6) सकल टनभार	(7) निवल टनभार	(8) डीडब्ल्यूटी
(9) पोत प्रांगण का नाम और पता जहाँ इसे निर्मित किया गया और निर्माण का वर्ष	(10) जलयान की कील बिछाने की तारीख	(11) जलयानों के ब्यौरे		
	दिन माह वर्ष	लंबाई मीटर में : चौड़ाई मीटर में: गहराई मीटर में:		
(12) पूर्व रजिस्ट्रेशन का देश	(13) पूर्व स्वामी के ब्यौरे	(14) पिछले जलयान का नाम और आधिकारिक नंबर		
(15) जलयान का प्रणोदन	प्रणोदित/गैर-प्रणोदित	(16) प्रणोदन का प्रकार		
(17) जलयान का विवरण				
(18) जलयान निर्माण सामग्री				
(19) कंटेनर जलयान (टीईयू)		(20) टग्स: बोलार्ड पुल क्षमता C		

इंजन/मोटर का विवरण

(1) विवरण	(2) इंजन/मोटर का विशिष्टियां			
प्रोणदन इंजन/मोटर:	मेक:	मॉडल:	निर्माता का नाम और पता:	निर्माण का वर्ष :
इंजन 1:				
इंजन 2:				
(3) शाफ्ट की संख्या और बीएचपी:		(4) अनुमानित गति		

भारत में पुनर्चक्रण किए जाने वाले पोतों हेतु आवेदन

पोत पुनर्चक्रण सुविधा के ब्यौरे

(1) प्राधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधा का नाम	(2) प्राधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधा का पता	(3) पोत पुनर्चक्रण सुविधा की प्राधिकार संख्या

स्वामित्व और पुनर्चक्रण के आशय के ब्यौरे: (यथा लागू जांच करें)

(1) 'पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019' की धारा 2(l)(ठ) के अधीन स्वामित्व स्थापित करने वाला साक्ष्य,	(2) 'विक्रय करार ज्ञापन /नकदी क्रेता करार/पुनर्चक्रण संविदा /विक्रय लिखत/ धारक प्रमाण-पत्र	(1) 'विदेशी स्वामित्व वाले पोतों के मामले में, विधिवत निष्पादित मुख्तारनामा के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला अप्रतिसंहरणीय पुनर्चक्रण वचनबद्ध

(4) अंतरराष्ट्रीय तैयार पुनर्चक्रण प्रमाण-पत्र/ भारत तैयार पुनर्चक्रण प्रमाण-पत्र:	(5) खतरनाक सामग्रियों की सूची संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र

घोषणा

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि:

(क) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान जलयान का उपयोग किसी भी वाणिज्यिक, व्यापारिक, वहन या दिकबाल गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा;

(ख) अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का एकमात्र प्रयोजन भारत में जलयान के विधि सम्मत पुनर्चक्रण को सुगम बनाना है;

(ग) इसमें दी गई सूचना और परिबद्ध दस्तावेज़ मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं; और

(घ) मैं/हम अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की विधि मान्यता की अवधि के दौरान 'पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019', 'पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021' और प्रवृत्त सभी विनियमों के उपबंधों का अनुपालन का वचन देता हूं/देते हैं।

पोत के स्वामी/ उनके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम: (यदि लागू हो):

भारत में रजिस्ट्रार के समक्ष

व्यक्तिगत रूप से/डिजिटल रूप से घोषित .....:

हस्ताक्षर:

रजिस्ट्रार का नाम:

पुनर्चक्रण हेतु रजिस्ट्रीकरण का अस्थायी प्रमाण-पत्र

प्रणोदित /गैर- प्रणोदित

जलयान की विशिष्टियां			
जलयान का नाम	आईएमओ संख्या	एमएमएसआई संख्या	अधिकृत संख्या

परिचय पत्र	निर्माण का स्थान और वर्ष	पूर्व रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा (यथा लागू हो)
		नाम और रजिस्ट्री:
व्यापार का क्षेत्र	जलयान का पेंदा बिछाने की तारीख	अधिकृत संख्या:
		रजिस्ट्रीकरण की तारीख :

रजिस्ट्रीकृत आकार	
लंबाई (संपूर्ण) : रजिस्ट्रीकृत लंबाई : अधिकतम चौड़ाई: पोत के बीच में ढाला गहराई:	जलयान का प्रकार: प्रणोदन का प्रकार: जलयान निर्माण सामग्री:

टनभार की विशिष्टियां	
इस जलयान का टनभार, जलयान के अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (1969)/ भारतीय टनभार प्रमाणपत्र (2026) के अनुसार है:	
सकल टनभार:	निवल टनभार:

इंजन/टर्बाइन/मोटर की विशिष्टियां					
इंजन/टर्बाइन/मोटर का वर्णन	इंजन/टर्बाइन/मोटर के ब्यौरे				शाफ़्ट की संख्या और बीएचपी @आरपीएम
प्रणोदन का ब्यौरा :	निर्माता:	मॉडल:	निर्माता :	निर्माण वर्ष :	
इंजन/टर्बाइन/मोटर 1:					अनुमानित गति
इंजन/टर्बाइन/मोटर 2:					

स्वामी/चार्टरकर्ता का नाम	स्वामी/चार्टरकर्ता का पता	अंशों की संख्या

मैं, अधोहस्ताक्षरी, भारतीय जलयान का रजिस्ट्रार, प्रमाणित करता हूँ कि जिस जलयान का विवरण इस प्रमाण-पत्र के आरंभ में दिया गया है, उसका विधिवत सर्वेक्षण किया गया है और उपर्युक्त विवरण रजिस्टर-पुस्तिका के अनुसार है।

तारीख :_____

रजिस्ट्रार

भारतीय जलयान रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत, यथा तारीख .....

पुनर्चक्रण के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र केवल जलयान के पुनर्चक्रण के प्रयोजन से ही विधिमान्य होगा और पुनर्चक्रण प्रक्रिया पूर्ण होने पर या इसकी विधिमान्यता की अवधि का अवसान होने पर, जो भी पहले हो, स्वत: रद्द हो जाएगा।

टिप्पण :

i. पुनर्चक्रण का अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र हक का दस्तावेज़ नहीं है। इसका उपयोग केवल जलयान के विधि सम्मत नौपरिवहन के लिए किया जाना है और किसी स्वामी, बंधकदार या किसी अन्य व्यक्ति के किसी हक, धारणाधिकार, भार या हित रखने या दावा करने के कारण निरोध के अधीन नहीं होगाएँ

ii. यह प्रमाण-पत्र केवल पुनर्चक्रण के प्रयोजन के लिए जारी किया गया है। इस अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान, जलयान का उपयोग किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि, व्यापार, माल या यात्रियों के वहन या किसी अन्य समुद्री सेवा के उपबंध के लिए नहीं किया जाएगा।

iii. वाणिज्य पोत परिवहन (जलयानों का रजिस्ट्रीकरण) अधिनियम, 2026 के नियम 20(5) (ड.) में यथा उल्लिखित, यह प्रमाण-पत्र, इसके धारण करने की अवधि के दौरान जलयान एक विधिमान्य सीआईओएफएस रखेगा।

iv. इस अस्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, इसके प्राधिकृत धारक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे में यह प्रमाण-पत्र आते ही, के पास आता है, अनुरोध है कि वह इसे इस पते पर भेजें: समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालय, 9वीं मंज़िल, बीटा बिल्डिंग, आई-थिंक टेक्नो कैंपस, कांजुर मार्ग पूर्व, मुंबई – 400042.

बंधक (मूलधन राशि और ब्याज को प्रतिभूत करने हेतु लिए)

(1) अधिकृत संख्या	(2) जलयान का नाम	(3) रजिस्ट्री का पत्तन और वर्ष	(4) जलयान का प्रकार	(5) इंजनों की अश्वशक्ति

(6) जलयान की विशिष्टियां		(7) जलयान का टनभार	
लंबाई (संपूर्ण) : रजिस्ट्रीकृत लंबाई (लोडलाइन) : अधिकतम चौड़ाई: जलयानों के बीच में ढाला गहराई:	मीटर	सकल	निवल

और सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र और रजिस्टर पुस्तिका में अधिक ब्यौरे में यथा वर्णित।

हम, बंधककर्ताओं के नाम], कोई व्यक्ति /संयुक्त स्वामी/ एलएलपी/ कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी, या अपने क्षेत्राधिकार में लागू विधियों के अधीन निगमित विदेशी व्यक्ति / कंपनी है और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यवसाय क्षेत्र स्थान …… पर है, [बंधकदार/ ऋणदाता का नाम] द्वारा आज हमें उधार दी गई [राशि] के प्रतिफलार्थ, उक्त [बंधकदार का नाम और पता] और उनके समनुदेशितियों के साथ निम्नलिखित प्रसंविदा करते हैं:

1. पुनर्भुगतान के लिए प्रसंविदा:

यह कि हम उक्त [बंधकदार] या उनके समनुदेशितियों को मूलधन राशि ₹[राशि] और उस पर [दर]% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित, [नियत तारीख] को या उससे पूर्व विधिवत संदाय करेंगे या संदाय सुनिश्चित करेंगे, और उक्त भुगतान तक, ब्याज [विनिर्दिष्ट तारीखों] पर [वार्षिक / अर्ध-वार्षिक] संदेय होगा।

2. बंधक और भार :

उक्त मूलधन राशि और ब्याज, पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने के लिए, हम उक्त [बंधकदार] के पास ऊपर वर्णित जलयान में अपने स्वामित्व वाले [संख्या/प्रतिशत] अंश को, उसकी सभी नावों, इंजनों, टैकल, सज्जा- सामग्री, फर्नीचर और उपस्कारों के साथ बंधक रखते हैं और उन पर भार सृजित करते हैं।

3. हक और ऋणभार के बारे में प्रसंविदा:

हम यह भी प्रसंविदा करते हैं कि हमारे पास उक्त अंश को बंधक रखने का पूरा अधिकार, संपूर्ण शक्ति और विधि सम्मत प्राधिकार है, और यह कि वे सभी प्रकार के बंधक, प्रभारों, धारणाधिकारों और ऋणभारों से मुक्त हैं [सिवाय उसके जो जलयान, यदि कोई हो, की रजिस्ट्री में उपसंरण है,]।

इसके साक्ष्य के रूप में,

मैंने/हमने इसमें [दिन] दिन, [मास, वर्ष] को अपना नाम लिखकर और अपने हस्ताक्षर किए हैं और अपनी मुहर लगाई है।

बंधककर्ताओं के हस्ताक्षर:

नाम/ पदनाम (यदि कंपनी हो):

निम्नलिखित साक्ष्यों की उपस्थिति में निष्पादित:

1. साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर:

2. साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर:

पृष्ठांकन

बंधक का अंतरण (व्यक्ति / संयुक्त स्वामी/ एलएलपी / कंपनी)

मैं/हम, [बंधकदार का नाम], ₹[राशि] के प्रतिफलार्थ, इसके द्वारा [अंतरिती का नाम] को इस लिखित बंधक का पूरा लाभ और इसके अधीन सभी अधिकार, शक्तियां और उपचार अंतरित, समुनदेशित और सम्प्रेषित करता हूं/करते हैं।

निष्पादन का स्थान: **तारीख:**

हस्ताक्षर:

नाम / पदनाम:

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1. **साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर**
2. **साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर**

बंधक के उन्मोचन का ज्ञापन

(व्यक्ति / संयुक्त स्वामी / एलएलपी / कंपनी) उन्मोचन के कारण (जो लागू हो उसे रखें):

(1) इस लिखित बंधक के पूर्ण त्रुटि और उन्मोचन के लिए ₹[राशि] की रकम प्राप्त हुई;

(2) जलयान का अन्य जलयान से प्रतिस्थापना;

(3) अन्य प्रतिभूति पर्याप्त होने के कारण जलयान का निर्मोचन करना;

(4) ऋणदाता द्वारा बंधक को अधित्यपित / ऋण को बट्टे खाते डालना;

(5) अन्य -

निष्पादन का स्थान:

_____ तारीख: _____

बंधकदार के हस्ताक्षर : _____

नाम / पदनाम: _____

निम्नलिखित की उपस्थिति में :

1. साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर
2. साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर

टिप्पण दें:

1. **स्वामियों और बंधकदारों को पते में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत रजिस्ट्रार को देनी होगी।.**

बंधक (चालू खाते को प्रतिभूत करने हेतु)

(1) अधिकृत संख्या	(2) जलयान का नाम	(3) रजिस्ट्री का पत्तन और वर्ष	(4) जलयान का प्रकार	(5) इंजनों की अश्वशक्ति

(6) जलयान की विशिष्टियां		(7) जलयान का टनभार	
	मीटर	सकल	निवल
लंबाई (संपूर्ण) : रजिस्ट्रीकृत लंबाई : अधिकतम चौड़ाई: जलयानों के बीच में ढाला गहराई:			

और सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र और रजिस्टर पुस्तक में अधिक ब्यौरे में यथा वर्णित।

जबकि [बंधककर्ताओं का नाम], जो कि व्यक्ति / संयुक्त स्वामी/ एलएलपी / कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के अधीन निगमित है, या अपने क्षेत्राधिकार लागू विधियां के अधीन निगमित विदेशी व्यक्ति / कंपनी और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या मुख्य कारोबार का स्थान ..... पर हैं, और [बंधकदार / ऋणदाता का नाम], [व्यक्ति / संयुक्त बंधकदार/ एलएलपी / कंपनी पूर्ण पते सहित] के मध्य एक चालू खाता और निरंतर वित्तीय व्यवस्था मौजूद है, जिसके अनुसरण में समय-समय पर धनराशि दी जाती है और संदेय हैं, और किसी भी समय देय राशि उक्त व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जा सकती है।

अब यह विलेख इस बात का साक्ष्य है कि मैं/हम, [बंधकर्ता(ओं) का नाम], स्वयं के लिए और अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों और समुनिदेशितियों के लिए, उक्त [बंधकदार का नाम और पता] और उसके समुनिदेशितियों के साथ प्रसंविदा करते हैं:

1. संदाय हेतु प्रसंविदा:

यह कि मैं/हम उक्त [बंधकदार] या उसके समुनिदेशितियों को उक्त खाते के अधीन तत्समय देय और संदेय सभी रकमों का तय समय और तरीके से विधिवत संदाय करेंगे / संदाय सुनिश्चित करेंगे, चाहे वह मूलधन हो या ब्याज।

2. बंधक और प्रतिभूति:

इस प्रकार देय सभी धनराशियों के संदाय को बेहतर प्रतिभूति करने के प्रयोजन से, मैं/हम उक्त [बंधकदार] के पक्ष में ऊपर विशेष रूप से वर्णित जलयान में [संख्या/प्रतिशत] अंश को उसकी सभी नावों, इंजनों, टैकल, सामग्री, फर्नीचर और उपस्करों के साथ बंधक, रखते हैं और उन पर भार सृजित करते हैं, जिनका मैं/हम स्वामी हूँ/हैं।

3. हम हेतु प्रसंविदा:

मैं/हम यह भी प्रसंविदा करते हैं कि मुझे/हमें उक्त अंश को बंधक रखने का पूर्ण अधिकार, शक्ति और प्राधिकार है, और यह कि वे सभी प्रकार के बंधक, प्रभारों, धारणाधिकारों और ऋण भार से पूर्णत: मुक्त हैं [सिवाय इसके जो उक्त जलयान की रजिस्ट्री, यदि कोई हो, में उपसंजात है]।

इसके साक्ष्य के रूप में:

मैंने/हमने इस [दिन] दिन, [माह, वर्ष] को अपना नाम अभिलिखित किया है और अपने हस्ताक्षर किए हैं। बंधककर्ता के हस्ताक्षर:

नाम / पदनाम (यदि कंपनी हो):

निम्नलिखित साक्षयों की उपस्थिति में निष्पादित:

1. **साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर:**

2. **साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर:**

पृष्ठांकन

बंधक का अंतरण (व्यक्ति / संयुक्त स्वामी/ एलएलपी / कंपनी)

मैं/हम, [विद्यमान बंधकदार(रों) का नाम], [राशि] रूपए के प्रतिफलार्थ, एतदद्वारा [अंतरिती का नाम] को इस लिखित बंधक का पूरा लाभ और इसके अधीन सभी अधिकार, शक्तियां और उपचारों को अंतरित, समनुदेशित और सम्प्रेषित करता हूं/करते हैं।

निष्पादन का स्थान: तारीख:

हस्ताक्षर:

नाम / पदनाम:

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1. **साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर**
2. **साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर**

बंधक के अभिलेखीकरण की सूचना

(वाणिज्य पोत परिवहन (जलयानों का पंजीकरण) नियम, 2026 के नियम 35 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 26)

फा. सं. _____ तारीख: _____

सेवा में,

_____

_____

_____

विषय: जलयान [नाम], अधिकृत संख्या [ ], रजिस्ट्रीकरण पत्तन [ ] के संबंध में बंधक अभिलेखीकरण।

संदर्भ: आवेदन संख्या _____ तारीख _____

महोदया / महोदय,

[बंधककर्ता] द्वारा [बंधकदार, पते के साथ] के पक्ष में तारीख _____ को **प्ररुप 14 / प्ररुप 15** में निष्पादित बंधक लिखित, जैसाकि **[बंधक लिखत में यथावर्णित राशि या प्रतिभूत राशि]** को [उक्त जलयान के संपूर्ण भाग / इसके _____ अंश] पर प्रतिभूत है, रजिस्टर पुस्तक में _____ तारीख को _____ बजे प्रपत्र 1 में प्रविष्टि सं. _____ पर अभिलिखित किया गया है। बंधक को रजिस्टर पुस्तक में उक्त नियमों के नियम 35 के उप-नियम (2) के अधीन पूर्विकता [क /ख / ग] के रूप में दर्शाया गया है।

2. उक्त जलयान के लिए विद्यमान बंधक, जैसा कि रजिस्टर पुस्तक में ऊपर पैराग्राफ 1 में बताई गई तारीख और समय के अनुसार दर्ज किया गया है, नीचे उनकी पूर्विकता के क्रम में दिए गए हैं। जहां कोई अन्य विद्यमान बंधक नहीं है, वहां प्रविष्टि को 'शून्य' पढ़ा जाएगा।

क्र. सं.	प्रविष्टि सं.	अभिलेख की तारीख और समय	बंधकदार	प्रतिभूत राशि या धनराशि	बंधक का विस्तार	पूर्विकता (नियम 35(2))
1.						
2.						
3.						
4.						

3. प्रपत्र 2 में रजिस्ट्री का प्रतिलेख, जो उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन प्रमाणित है, परिबद्ध है। उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन, और उक्त प्ररुपों में यथा उल्लिखित है, कोई बंधक रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पूर्विकता प्रापत करता है, न कि उसके निष्पादन की तारीख से। इसके अतिरिक्त, उल्लिखित बंधक की पूर्विकता, रजिस्टर पुस्तक में अभिलेखित बंधकों के बीच प्रभावी होगी और वाणिज्य पोत परिवहन (जलयानों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2026 के नियम 33 के उप-नियम (8) के अध्यधीन होगी।

भवदीय,

( )

भारतीय जलयान रजिस्ट्रार

समुद्री वाणिज्य विभाग, चेन्नई

संलग्न: प्ररुप 2(क) में रजिस्ट्री का प्रतिलेख।

प्रति:

1. सभी बंधकदारों को, सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वामी को, सूचनार्थ।

प्ररुप 14(क)/प्ररुप15(क)[नियम 35(1), नियम 35(5) और नियम 35(2)एवं (8)]

बंधक (चालू खाते को प्रतिभूत करने हेतु)

बंधक के उन्मोचन का ज्ञापन

(व्यक्ति / संयुक्त स्वामी / एलएलपी / कंपनी) उन्मोचन के कारण (जो लागू हो उसे रखें):

(1) इस लिखित बंधक के पूर्ण त्रुटि और उन्मोचन के लिए [राशि] रूपए की रकम प्राप्त हुई;

(2) जलयान का अन्य जलयान से प्रतिस्थापन;

(3) अन्य प्रतिभूति पर्याप्त होने के कारण जलयान का निर्मोचन करना;

(4) ऋणदाता द्वारा बंधक को अधित्यापित करना / ऋण को बट्टे खाते डालना;

(5) अन्य –

निष्पादन का स्थान: तारीख:

बंधकदार के हस्ताक्षर:

नाम / पदनाम:

निम्नलिखित की उपस्थिति में:

1. साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर
2. साक्षी का नाम, पता और हस्ताक्षर.

टिप्पण:

1. बंधक को पूर्णिकता उसके निष्पादन की तारीख से नहीं, बल्कि रजिस्ट्री के पत्तन पर रजिस्ट्रीकरण के लिए इसे प्रस्तुत किए जाने की तारीख से मिलती है।
2. रजिस्ट्रीकृत स्वामियों और बंधकदारों को पते में किसी भी बदलाव की सूचना बिना किसी देरी के रजिस्ट्रार को देनी होगी।

मृत्यु या दिवालियापन की दशा में किसी बंधकदार के जलयान या उसके अंश में बंधकदार के हित का परेषण

(1) अधिकृत संख्या	(2) जलयान का नाम	(3) रजिस्ट्री का पत्तन और तारीख	(4) जलयान का प्रकार	(5) इंजन की अश्वशक्ति
(6) स्वामी / स्वामियों का नाम	(7) पिता का नाम	(8) आवास का ब्यौरा	(9) व्यवसाय	(10) जन्म का स्थान

(11) जलयान का विवरण	मीटर	(12) टनभार का विवरण	
		सकल	निवल
लंबाई (संपूर्ण) : रजिस्ट्रीकृत लंबाई (लोड लाइन) : अधिकतम चौड़ाई: जलयानों के बीच में ढाला गहराई:			

और सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र और केन्द्रीय रजिस्टर में दी गई अधिक जानकारी में यथा वर्णित।

मैं/हम, [नाम], जिनके नाम यहाँ लिखे गए हैं, निष्ठापूर्वक निम्नलिखित घोषणा करते हैं:

दिवालियापन की दशा

1. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 15 के अनुपालन में:

यह कि मैं/हम एतद द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैं/हम, चाहे मेरी/हमारी व्यक्तिगत हैसियत में हों या सीमित दायित्व भागीदारी या कंपनी के रूप में, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 15 के अधीन विहित अपेक्षाओं के अनुसार (सम्यक रूप से अर्हित हुँ/हैं और उसका अनुपालन करता हूं/करते हैं।

2. **दिवालियापन के कारण पारेषण:**

यह कि उपर्युक्त वर्णित जलयान में [संख्या/प्रतिशत] अंश के [स्वामी/बंधकदार] के रूप में रजिस्टर पुस्तक में दर्ज व्यक्ति को [तारीख] दिन, [मास, वर्ष] को [न्यायालय का नाम] द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णित किया गया था, और [न्यासी/ राजकीय प्रापक का नाम] को उस व्यक्ति की संपत्ति का न्यासी नियुक्त किया गया था।

यह कि मैं/हम दिवालियापन संबंधी कार्यवाही के आधार पर, जलयान में उक्त [संख्या/प्रतिशत] अंश के [स्वामी/बंधकदार] के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का/के हकदार हूं/ हैं।

या

मृत्यु होने की दशा में

1. मृत्यु के कारण पारेषण:

यह कि उपर्युक्त वर्णित जलयान में [संख्या/प्रतिशत] अंशों के [स्वामी/बंधकदार] के रूप में रजिस्टर पुस्तिका में दर्ज व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और मैं / हम उस मृतक के [विधिक प्रतिनिधि / निष्पादक/ प्रशासक] हूं/ हैं, और लागू विधि के अधीन इस प्ररूप अंतरित हिस्से के लिए विधिवत हकदार हूं/ हैं।

यह कि मैं/हम जलयान में उस [संख्या/प्रतिशत] अंश के [स्वामी/बंधकदार] के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार हूं/ हैं।

मृत्यु या दिवालियापन की दशा में किसी बंधकदार के जलयान या उसके अंश में बंधकदार के हित का परेषण

2. रजिस्ट्रीकरण का हकदार:
यह कि मुझे/हमें वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, पारेषण द्वारा उक्त हित के संबंध में रजिस्ट्रीकृत होने का हक हैं।

मैं/हम निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि इसमें उल्लिखित विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

निष्पादित और हस्ताक्षर करने का स्थान:-

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर :

नाम:

क्षमता .....

के समक्ष घोषित:
अनुप्रमाणन करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर:
नाम और पदनाम:
स्थान:

पंजीकरण के समापन का प्रमाण-पत्र

फाइल संख्या: तारीख :

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित जलयान के रजिस्ट्रीकरण का समापन __ को कर दिया गया है:

जलयान का नाम	अधिकृत संख्या	स्वामित्व का ब्यौरा
		नाम : पता:

यह भी, हमारे अभिलेखों से प्रमाणित होता है कि रजिस्ट्री के समापन के समय उक्त जलयान के विरूद्ध कोई रजिस्ट्रीकृत बंधक बकाया नहीं था।

रजिस्ट्रार
वाणिज्यिक समुद्री वाणिज्य विभाग

_____

रजिस्ट्रार
वाणिज्यिक समुद्री वाणिज्य विभाग

संदर्भ: ---------- से प्राप्त तारीख ..... की ईमेल

समापन का कारण:

विलोपन प्रमाणपत्र

संदर्भ सं.:

पोतों और पत्तन सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय संहिता (आईएसपीएस कोड) के खंड भाग क के अधीन यथा अपेक्षित जारी।

अधिकृत संख्या	आईएमओ संख्या	कॉल साइन	जलयान का नाम
तारीख और रजिस्ट्री का पत्तन		विलोपन की तारीख	जलयान का प्रकार
रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम		रजिस्ट्रीकृत स्वामी का पता	

_____

यह प्रमाणित किया जाता है कि जलयान का रजिस्टर से विलोप कर दिया गया है।

जारी करने का समय : _____

(प्रमाण-पत्र जारी करने का स्थान)

जारी करने की तारीख:
xx/xx/xxxx

रजिस्ट्रार
समुद्री वाणिज्य विभाग

रजिस्ट्रीकृत बंधकदार द्वारा बंधक किए गए जलयान या उसके अंश के आशंयित विक्रय की सूचना

सेवा में,

भारतीय जलयान रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्री का पत्तन :

1. रजिस्ट्रीकृत बंधकदार का विवरण

रजिस्ट्रीकृत बंधकदार का नाम	
रजिस्ट्रीकृत पता	
भारत में संचार की तामील का पता	
दूरभाष संख्या और ईमेल पता	
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम	

2. जलयान की विशिष्टियां

जलयान का नाम	
अधिकृत संख्या	
आईएमओ संख्या	
रजिस्ट्री का पत्तन	
जलयान का प्रकार	
सकल और निवल टनभार	
रजिस्ट्रीकृत स्वामी (बंधककर्ता) का नाम और पता	
अंश या बंधक रखे गए अंश	

3. रजिस्ट्रीकृत बंधक की विशिष्टियां

बंधक लिखत की तारीख (यथा लागू प्ररूप 14 या प्ररूप 15)	
बंधक द्वारा प्रतिभूत राशि	

इस सूचना की तारीख तक बंधक के अधीन देय और बकाया राशि (मूलधन, ब्याज और लागत पृथक रूप से उल्लिखित)	

4. बंधकदार यह घोषणा करता है कि वह अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त जलयान या अंश का एकमात्र रजिस्ट्रीकृत बंधकदार है।

5. वाणिज्य जलयान परिवहन (जलयानों का रजिस्ट्रीकृत) नियम, 2026 के नियम 35 के उप-नियम (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (3) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि बंधकदार का इस जलयान या इसके अंश का ..... (निजी संधि या सार्वजनिक निलामी, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक निलामी भी है) द्वारा..... को (इस नोटिस की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व का न हो) ..... पर विक्रय करने का आशय रखता है।

6. अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन नाविकों को देय मजदूरी और अन्य राशियों के भुगतान का प्रमाण परिबद्ध है।

7. बंधकदार यह वचन देता है कि वह—

(क) विक्रय के परिणाम की सूचना पंद्रह दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को देगा;

(ख) जहाँ लागू हो; हस्तांतरण के रजिस्ट्रीकरण की विक्रय लिखत प्रस्तुत करेगा और

(ग) विधि के अनुरूप विक्रय से प्राप्त राशि का विनियोजन करेगा और बंधककर्ता को उसका लेखों देगा।

घोषणा और सत्यापन

मैं, ..., बंधकदार का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस सूचना की अंतवस्तुएं मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान और तारीख

संलग्न:

1. बंधक लिखत की प्रमाणित प्रति और रजिस्टर पुस्तिका में उसकी प्रविष्टि का अभिलेखन;

2. बंधक के अधीन देय और बकाया राशि का विवरण;

3. अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन नाविकों को देय मजदूरी और अन्य राशि के भुगतान का प्रमाण; और

4. हस्ताक्षरकर्ता को प्राधिकृत करने वाला बोर्ड का संकल्प या मुख्तारनामा, जहाँ बंधकदार एक कंपनी या निगमित निकाय है।

टिप्पण:

यह सूचना, नियम 35 के उप-नियम (4) के अनुसार, आशंपित विक्रय से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व दिया जाएगा। जहां जलयान या उसके अंश के संबंध में एक से अधिक बंधक दर्ज हैं, तो बंधकदारों ने अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन कार्रवाई करेंगे। और इस प्ररूप का उपयोग नहीं किया जाएगा।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

G.S.R. 756(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (a) to (z), (za) and (zb) of sub-section (2) of section 44 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Registration of Indian Ships) Rules, 1960, as amended, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

Chapter - I

Preliminary

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.— These rules shall apply to all sea-going vessels, except sailing vessels:

Provided that these rules shall also apply to fishing vessels for the purposes of sub-rule (1) of rule 4.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);
(b) "authorised agent" means any person authorised by the ship owner or the charterer, as the case may be, to act on their behalf;
(c) "builder's certificate" means a certificate issued by the shipbuilder or shipyard or the recognised organisation, specifying the details of the vessel and its year of build, at the time of delivery of a newly constructed vessel, certifying that the vessel has been completely built, fitted, and equipped in accordance with the approved plans and specifications;
(d) "carving and marking note" means the official document issued by the Registrar after a vessel's registration particulars are provisionally approved, instructing the owner to carve or mark the vessel's name, official number, and port of registry on the hull, as specified under sub-rule (2) of rule 9;
(e) "central register" means the register book in physical or digital format provided in *Form 1* maintained by the Director-General, which shall contain all the entries recorded in the register books maintained by the Registrars;
(f) "certificate of registration" means the certificate issued by the Registrar to the ship owner, confirming the lawful registration of the vessel with the port of registry;
(g) "certificate of survey" means a certificate issued by a surveyor upon completion of the survey of a vessel under rule 10;
(h) "Form" means a Form appended to these rules;
(i) "first registry" means a vessel being registered under the provisions of these rules in the register book for the first time;

(j) "Flag State Administration" means the government or maritime administration of the country whose flag the vessel is entitled to fly, or under whose authority it is operating;
(k) "Indian controlled tonnage vessel" means Indian controlled tonnage vessel as defined under sub-section (3) of section 2 of the Act;
(l) "MMSI" means the Maritime Mobile Service Identity which is a series of nine digits sent in digital form over a radio frequency channel in order to uniquely identify a vessel or a station;
(m) "recognised organisation" means a classification society or other body recognised by the Central Government for the purpose of performing statutory surveys, audits, inspections, approvals and certification functions on behalf of the Central Government;
(n) "register book" means the book in digital format as provided under rule 4, and maintained by the Registrar in accordance with sub-section (9) of section 20 of the Act;
(o) "registered length" means the length as defined under the Merchant Shipping (Load Line) Rules, 2026;
(p) "re-registration" means the registration of a vessel that was previously registered under the Indian flag, the registration of which had been closed or deleted on account of abandonment, sale or transfer to a foreign flag, subsequent registration under a foreign registry, or for any other reason as may be considered appropriate by the Director-General, and which is thereafter sought to be registered again under the Indian flag in accordance with these rules;
(q) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
(r) "technical clearance" means the clearance granted by the Registrar of the intended port of registry, after additional review and inspection of the vessel as may be specified by the Director-General.

(2) The words and expressions used, but not defined in these rules, and defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter - II

Registration of Vessels

4. Register book.— (1) Every Registrar shall keep a book to be called the register book in a digital format and make entries therein in *Form 1* in the following manner, namely:—

(a) the property in a vessel shall be divided into one hundred shares;
(b) with respect to joint owners or owners by transmission, not more than one hundred persons shall be entitled to be registered at the same time as owners of any one vessel:

Provided that the proportion of ownership shall be as specified in the notification issued under sub-section (1) of section 15 of the Act:

Provided further that nothing in this rule shall affect the beneficial interest of any number of persons represented by, or claiming under or through, any registered owner or joint owner;

(c) a person shall not be entitled to be registered as owner of a fractional part of a share in a vessel;
(d) joint owners shall be considered as constituting one person and not be entitled to dispose of, severally, any interest in a vessel or any share therein in respect of which they are registered.

(2) Any person may make an application to the Registrar through the online platform, and upon submission of a valid Identity document issued by the Government and payment of the fees as specified in Schedule, inspect the register book or obtain a certified copy of any entry therein, in the format specified in *Form 2*.

5. Application for registration of vessels.— (1) The owner or the authorised agent of a vessel intended to be registered as an Indian vessel shall make an application to the Registrar in *Form 5*.

(2) No vessel shall be required to be physically present at any port in India, nor shall it be required, after registration, to call at any port in India, solely for the purpose of registration under these rules.

6. Age of vessel.— The Director-General may by order specify,—

(a) the age criteria for any vessel for the purposes of obtaining registration;

(b) in respect of any vessel to which the age criteria do not apply, the age for obtaining technical clearance for the purpose of applying for registration.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, the term "age" means the period calculated from the date on which the vessel was delivered by the builder to the ship owner, as recorded in the builder's certificate or the date of delivery as in the safety construction certificate as applicable.

7. Declaration of ownership. – (1) Every declaration of ownership shall be made in *Form 3* before a Registrar or Special Executive Magistrate or Commissioner of Oaths or Indian Ambassador or Surveyor:

Provided that where such a declaration is made outside the port of registry, the place of attestation shall be specified therein.

(2) The declaration may be submitted either online or in person.

8. Name of vessel, official number, MMSI number and call sign. – (1) The ship owner or the authorised agent, shall make an application to the Registrar at the intended port of registry, by electronic means, proposing the name of the vessel and requesting allotment of an official number, at least seven days prior to the date on which the ship owner desires to effect the registration:

Provided that the Registrar may, in exceptional cases, reduce the requirement of seven days to not less than one day.

(2) The ship owner or the authorised agent may, along with such application, also apply for allotment of MMSI number and call sign for the vessel.

(3) Upon receipt of such an application, the Registrar shall, after verification of the requisite particulars, grant approval of the proposed name and proceed with the allotment of the official number, MMSI number and call sign in *Form 4,* subject to being satisfied that the proposed name is not identical with or deceptively similar to the name of any other vessel registered in India and that the vessel complies with the provisions of sub-section (1) of section 15 of the Act.

(4) Upon allotment of the official number, MMSI number and call sign, the ship owner or the authorised agent shall make an application for registration of the vessel in *Form 5* within such period not exceeding two years from the date of such allotment.

(5) The period of validity of the approved name, MMSI number and the call sign shall be two years from the date of their allotment under sub-rule (3):

Provided that the Registrar may, upon an application made by the ship owner or the authorised agent before the expiry of such period of validity and on payment of the fees specified in the Schedule, renew the approval of the name, MMSI number and call sign for a further period of one year at a time.

9. Marking of vessel.— (1) Upon approval of the vessel's name and allotment of the official number by the Registrar under rule 8, a carving and marking note shall be issued to the ship owner or the authorised agent in *Form 6* specifying the particulars and locations of the markings to be made on the vessel.

(2) Every vessel shall, before registration, be marked permanently and conspicuously, in accordance with the particulars set out in the carving and marking note to the satisfaction of the Registrar in the following manner, namely:—

(a) the name of the vessel and the port of registry shall be painted on the port and starboard bows and on the stern;

(b) the markings shall be made in Hindi and English, with the Hindi inscription placed above the English inscription, and the letters shall be painted on a dark background in white or yellow colour, or on a light background in black colour, wherein the minimum height of the letters shall be 10 centimetres and the minimum width shall be 1.3 centimetres;

(c) where, due to structural constraints, sufficient space is not available on the stern for painting the name and port of registry, the same may be painted on both quarters of the vessel;

(d) the official number and the number denoting the registered tonnage shall be engraved on a brass plate 30 cm x 6 cm wide, and the same shall be affixed in a conspicuous place on the navigation bridge of the vessel.

Explanation.— For the purposes of this clause, the expression "registered tonnage" means the gross and net tonnage of a registered vessel as provided in the tonnage certificate in accordance with clause (b) of sub-section (5) of section 20 of the Act;

(e) the scale of draught marks shall be cut off or welded in metres and decimetres both forward and aft on the port and starboard side respectively;

(f) in case of vessels having a raked soft stem and cruiser stern, the marks shall be cut in or welded as close and aft of the stem as possible, following the contour of the stem, and the marks aft, or at the stern, shall be cut not more than 2 metres forward of the after perpendicular; and

(g) where the vessel has been assigned an International Maritime Organization ship identification number, such markings shall be made permanently in a manner that it is plainly visible and distinct, free from obstruction or interference by any other markings,

and shall be painted in a contrasting colour where the height of such markings shall not be less than 200 millimetres on the exterior of the vessel and 100 millimetres in internal locations, and the marking shall be made by raised lettering, cutting, centre-punching, or an equivalent permanent method in accordance with SOLAS regulation XI-1/3, as amended from time to time.

(3) The owner or the authorised agent shall return the carving and marking note to the Registrar after the carving and marking have been duly completed and certified by a surveyor.

10. Survey and measurement. – Upon satisfaction of the evidence of ownership, the Registrar shall have the vessel surveyed by a surveyor and the tonnage ascertained in accordance with the applicable rules made under the Act, and upon completion of the survey of the vessel, the surveyor shall issue a certificate of survey in respect of the vessel in *Form 7* to the owner or the authorised agent.

11. Survey of vessels at ports outside India. – Where it becomes necessary for a vessel to be surveyed for purposes of registration at a port outside India, the Registrar may depute a surveyor or request the Government of the country where the vessel is lying, to appoint a qualified surveyor to conduct a survey of the vessel for the issuance of a certificate of survey and carving and marking note.

12. Certificate of registration.— The Registrar shall cause the particulars of the vessel to be entered in the register book and shall thereupon issue a certificate of registration in *Form 9* upon production to the Registrar of the following documents, namely:–

(a) Builder's Certificate or Safety Construction Certificate, as applicable;

(b) Instrument of Sale, as applicable;

(c) Deletion Certificate, as applicable;

(d) Carving and Marking Note;

(e) Declaration of Ownership;

(f) Certificate of Survey; and

(g) documentary proof of eligibility under sub-section (1) of section 15 of the Act.

13. Instrument of sale. – (1) A transfer of a registered vessel or any share therein shall be effected by an instrument of sale in *Form 8.*

(2) In the case of joint ownership or multiple owners, all the owners shall jointly execute the instrument of sale.

(3) All records of subsequent sale transactions shall be made in the following manner, namely:–

(a) for vessels transferred by sale from one Indian owner to another Indian owner, the change of ownership shall be declared before the concerned Registrar, and all

document requirements along with the fees specified in the Schedule shall be complied with as provided in these rules; and

(b) all transactions under this rule shall be recorded in the register book and reported to the Director-General.

14. Registration of a Government vessel. – A Government vessel may be registered and issued the certificate of registration in accordance with the provisions of rules 5 to 13, subject to the following conditions, namely:—

(a) the application for registration shall be made by the Secretary of the Ministry or the Head of the Department concerned or by any other officer nominated in this behalf by the Central Government or the State Government or the Union territory Administration, as the case may be;

(b) the transfer of a registered Government vessel shall be made by an instrument of sale in the appropriate registry form, omitting the covenant contained therein and be signed by the transferor or by a person duly authorised by the Central Government or the State Government or the Union territory Administration:

Provided that the requirement of technical clearance and declaration of ownership referred to in rules 6 and 7 respectively shall not apply for the purposes of registration under this rule.

Explanation.—For the purposes of this rule, the expression "Government vessel" means a vessel belonging to the Central Government or State Government or Union territory Administration, other than a vessel of Indian Navy, Indian Coast Guard, customs authorities, Central Armed Police Forces and police.

15. Registration of bareboat charter-cum-demise. – (1) Where a foreign vessel is chartered on bareboat charter-cum-demise to any of the persons specified in sub-section (1) of section 15 of the Act, the charterer or the authorised agent shall make an application for registration to the Registrar in accordance with these rules which shall be accompanied by the following documents, namely:–

(a) in lieu of the instrument of sale, a certified copy of the charter-party agreement, which shall distinctly set forth the name of the vessel, the name of the charterer and owner, the date of the charter-party and the period of the charter;

(b) a copy of certificate of registration with written confirmation issued by the primary registry, certifying that the right of the vessel to fly the flag of the primary registry shall remain closed or suspended for the duration of the bareboat charter-cum-demise registration in India;

(c) a written consent or no objection letter from every registered mortgagee or holder of any lien, registered charge or encumbrance in the primary registry, acknowledging the proposed bareboat charter-cum-demise registration in India and confirming that the mortgage or charge will continue to attach to the vessel; and

(d) a transcript or certified extract of the register from the primary registry showing the ownership, encumbrances, lien, and other relevant particulars of the vessel.

(2) The Registrar shall ensure that the suspension or non-operation of the previous registry is carried out to the satisfaction of the Registrar who shall then—

(a) enter the particulars of the vessel and the charterer in the register book;

(b) identify the entry as a bareboat charter-cum-demise registration, with a clear reference to the primary registry and to any existing mortgages or encumbrances in that registry; and

(c) issue a certificate of registration in *Form 9* in favour of the charterer indicating that it relates to a bareboat charter-cum-demise registration and specifying the date of expiry of such registration.

(3) An Indian chartered foreign vessel registered under bareboat charter-cum-demise contract shall fly exclusively the flag of India during the term of registration under these rules.

(4) A vessel registered under a bareboat charter-cum-demise contract shall be entitled to the Right of First Refusal having priority over non-Indian vessels and rank lower than that accorded to Indian controlled tonnage vessels.

(5) No transfer of ownership of a vessel registered under a bareboat charter-cum-demise arrangement shall be effected by virtue of registration under this rule, and no entry shall be made in the register book that purports to transfer legal title in derogation of the ownership recorded in the primary registry.

(6) Any sale or transfer of ownership which is recorded in the primary registry shall also be recorded in the register book if the bareboat charter-cum-demise is continued.

16. Registration of vessels abandoned in Indian waters. – A vessel abandoned in Indian waters which is subsequently acquired by a person eligible to register a vessel in accordance with these rules may be registered or re-registered by the ship owner or the authorised agent, subject to technical clearance and physical inspection by a surveyor.

17. Indian controlled tonnage vessel. – (1) The aggregate tonnage of foreign-flag vessels owned or controlled by persons specified in sub-section (1) of section 15 of the Act, shall not exceed the aggregate tonnage of vessels registered under the Indian flag owned or controlled by such person.

(2) Every Indian controlled tonnage vessel shall ensure that at least fifty per cent. of its total crew, including officers and ratings, engaged on board the vessel in accordance with the Safe Manning Document or actual deployment, whichever is higher, shall be Indian nationals holding valid Indian certificates:

Provided that where the law of the flag State of such vessel or local regulations applicable at the place of its deployment, require the engagement of crew of a particular nationality such that compliance with the fifty per cent. requirement of Indian nationals under this sub-rule is not possible, the obligation under this sub-rule shall stand relaxed to the extent necessary to comply with such law or regulation.

(3) Every ship owner having an Indian controlled tonnage vessel shall furnish, by electronic means, on or before the first day of April and the first day of October of each year, particulars relating to,—

(a) deployment of Indian crew and trainees in accordance with sub-rule (2); and

(b) details of all Indian controlled tonnage vessels registered under a foreign flag.

(4) Any Indian controlled tonnage vessel operating under a charter arrangement and granted a licence under section 4 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), shall be accorded priority over non-Indian vessels and be entitled to the Right of First Refusal, ranking immediately after Indian-flagged vessels.

(5) A person specified under sub-section (1) of section 15 of the Act acquiring its first Indian controlled tonnage vessel may register such vessel under a foreign flag:

Provided that where a vessel is so registered, such person shall register the said vessel, or another vessel of equivalent tonnage, under the Indian flag within a period of two years from the date of registration of the vessel under the foreign flag.

(6) Where a vessel registered under a foreign flag under sub-rule (5), or equivalent tonnage referred to therein, is not registered under the Indian flag within the specified period, such person shall be liable to penalty under rule 43:

Provided that the provisions of this entire rule 17 shall not apply to a financial institution for registering a vessel in a State other than India.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression "financial institution" means a unit set up in International Financial Services Centre at the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat, which is engaged in rendering financial services in respect of any financial product as per the provisions of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).

18. Provisional certificate of registration.– Where, pursuant to an application for registration made before the Registrar, a vessel cannot be issued a regular certificate of registration due to non-availability of deletion certificate from its previous registry or for any other reasons to be recorded, the Registrar may issue a provisional certificate of registration in *Form 10***.**

19. Temporary pass in lieu of certificate of registration. – (1) Where there is a delay in the grant of the certificate of registration and it appears to the Registrar that, for reasons to be recorded, it is desirable that permission be granted for a vessel to be registered as an Indian vessel to proceed on a voyage to, or between, ports in India or to its intended port of registry, or in any other appropriate circumstances as the Director-General may deem fit, the Registrar shall issue a temporary pass under section 21 of the Act in *Form 11* which shall be valid for such period not exceeding three months, as may be specified in such pass:

Provided that the Registrar may upon application by the ship owner or the authorised agent, grant extension beyond three months for a further period not exceeding three months at a time.

(2) The other appropriate circumstances referred to in sub-rule (1), in which a temporary pass may be granted, includes the following—

(a) delay in completion of survey, tonnage measurement, or any other statutory certification required prior to the issue of the certificate of registration;

(b) the requirement to reposition the vessel for the purposes of fitting-out, sea trials, class surveys, or compliance with statutory requirements;

(c) delay arising from administrative or technical reasons relating to documentation or processing; or

(d) any emergency or *force majeure* situation, including circumstances involving the safety of life at sea, safety of the vessel, or port operational requirements.

(3) A vessel issued a temporary pass under this rule shall not be used for any commercial, trading, or carriage of cargo or passengers, or for rendering any other maritime services, during the period of validity of such pass:

Provided that the vessel making an application or holding a temporary pass issued under sub-rule (1), shall continue to possess a valid compulsory insurance or other financial security in accordance with applicable rules made under the Act.

20. Temporary registration of vessels sought to be recycled. – (1) Any vessel not registered under these rules, but sought to be recycled in India in accordance with the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019) and the rules and regulations made thereunder, may be temporarily registered under these rules by making an application in *Form 12*.

(2) The ship owner, as defined in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019), or the authorised agent, applying for temporary registration of a vessel for the purpose of recycling, shall furnish proof of ownership of the vessel, and for the purposes of such temporary registration, the ownership criteria specified under sub-section (1) of section 15 of the Act and other registration requirements under these rules shall not apply:

Provided that the temporary registration granted under this rule shall not be construed as registration of the vessel as an Indian vessel under the Act.

(3) The ship owner referred to in sub-rule (2) or the authorised agent shall for the purposes of temporary registration of vessels to be recycled, provide the following documents as applicable, namely:–

(a) any documentary proof of the intended transfer of the vessel for recycling or a binding contractual commitment to that effect, which may include a Memorandum of Agreement for sale, a cash buyer agreement, a recycling contract, a commercial invoice, a Bill of Sale, a certificate of possession, or a declaration from the recycling facility confirming its intention to receive and recycle the vessel, as may be available at the stage of application, together with the certificate of registry of the vessel issued in the name of the registered owner:

Provided that where ownership has been transferred prior to such application, the applicant shall also furnish a duly executed Bill of Sale passing title to the registered owner and a protocol of delivery and acceptance as proof of transfer of risk and possession;

(b) a certified copy of the certificate of registry issued by the Flag State Administration, certifying that the vessel is free from any registered mortgage, subsisting encumbrance, or maritime lien, and such certificate shall not be older than seven days from the date of submission of the application:

Provided that where the vessel continues to be under foreign ownership at the time of application, the foreign owner or the authorised agent shall furnish—

(i) an irrevocable undertaking for recycling in India;

(ii) an authorisation in favour of the Indian recycling yard or the agent authorised on its behalf , authorising the holder thereof to act on behalf of the foreign owner for all purposes connected with the recycling of the vessel in India, including the execution of all statutory declarations, the making of emergency response and environmental compliance declarations, the satisfaction of all conditions imposed by the Registrar, and the acceptance of service of legal process in India on behalf of the foreign owner, and such authorisation shall expressly require the foreign owner to submit to the jurisdiction of the courts and tribunals of India for all matters arising from or connected with the temporary registration and recycling of the vessel.

(4) The Registrar may grant temporary registration for the purpose of recycling, subject to the following conditions, namely:—

(a) the vessel shall possess a valid International ready for recycling certificate or Indian ready for recycling certificate provided under *Form 2* of the Recycling of Ships Regulations, 2026 and the International certificate on inventory of hazardous materials issued by a recognised organisation or by the competent authority of the Flag State Administration, in accordance with the provisions of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009;

(b) the applicant shall furnish proof of a valid certificate of authorisation for ship recycling facility issued under *Form 3* of the Recycling of Ships Regulations, 2026, by the competent authority, where the vessel is intended to be recycled;

(c) the ship owner or the authorised agent, shall submit a declaration that the vessel shall not be used for any commercial, trading, or carriage of cargo or passengers, or for rendering any other maritime services during the period of temporary registration, and that the sole purpose of such registration is to facilitate its lawful recycling within India;

(d) the applicant shall provide a deletion certificate or equivalent documentary proof from the previous registry, or a written undertaking to produce such certificate within thirty days from the date of application;

(e) the ship owner or the authorised agent shall possess compulsory insurance or other financial security in accordance with the applicable rules made under the Act; and

(f) the ship owner or the authorised agent shall submit information about the identity of the registered owner, the beneficial owner, the cash buyer, if any, and every person in the chain of transfer through which the vessel is proposed to be transferred for recycling, together with supporting documents establishing such identity.

(5) The temporary certificate of registration for recycling shall be granted in *Form 13*, clearly specifying that the registration is valid solely for the purpose of vessel recycling and the ship owner shall initiate the closure upon the completion of the recycling process or on expiry of the validity period, whichever occurs earlier.

(6) A vessel granted temporary registration for the purpose of recycling shall, from the date of such registration until its final delivery to the authorised ship recycling facility, comply with the provisions of the Recycling of Ships Act, 2019 (49 of 2019) and the rules and regulations made thereunder.
(7) No vessel registered temporarily under this rule shall be eligible for conversion to any other class.
(8) A vessel holding temporary registration under this rule, shall upon arrival in India, proceed directly and without delay to the authorised ship recycling facility in India.

21. Validity of the certificate of registration. – (1) The certificate of registration shall remain valid for as long as the vessel continues to be entitled to registration as an Indian vessel under the provisions of the Act and the rules made thereunder, and shall not be subject to any fixed term or period of validity.

(2) The provisional certificate of registration shall remain valid for a period of six months from the date of its issue, unless it is earlier closed or replaced by the certificate of registration:

Provided that the Registrar may upon application by the ship owner or the authorised agent, grant extension beyond six months for a further period not exceeding three months at a time.

(3) The validity of certificate of registration for foreign vessels chartered by an Indian charterer on a bareboat charter-cum-demise shall be co-terminus with the duration of the charter period, subject to a maximum of five years including any extensions granted.

(4) The validity of temporary certificate of registration of vessels sought to be recycled shall not exceed three months from the date of issue of such certificate of registration or upon commencement of the recycling process, whichever is earlier:

Provided that the ship owner as referred to in sub-rule (2) of rule 20 or the authorised agent shall, upon commencement of the recycling process, inform the Registrar accordingly:

Provided further that the Registrar may upon application by the ship owner or the authorised agent, grant extension beyond three months for a further period not exceeding three months at a time.

22. Loss, defacement or mutilation of certificate. – (1) Where a certificate issued under these rules is lost, destroyed, stolen, mutilated, defaced, or rendered illegible, the owner or operator of the vessel shall, without delay, report the same in writing to the Registrar indicating the circumstances including the location and the approximate date of occurrence.
(2) Where the certificate is lost or destroyed or stolen, the ship owner or operator shall lodge a complaint or loss report with the nearest police station and shall submit a copy thereof to the Registrar.
(3) Any report furnished under sub-rules (1) or (2), shall, *inter alia*, clearly state the name and particulars of the vessel, the type, name and number of the lost certificate, and the circumstances including approximate date and place.

(4) Where the owner or the authorised agent of the concerned vessel fails to submit a report under sub-rules (1) or (2), such owner or agent shall be liable for any misuse, fraudulent representation or improper use of the lost certificate.

(5) Where the certificate is defaced, mutilated or rendered illegible, the original certificate shall be surrendered to the Registrar.

(6) Upon compliance with sub-rules (1) or (2), as the case may be, the owner or operator may apply for issuance of a duplicate certificate, along with the fee as specified in the Schedule, and such application shall be accompanied by—

(a) a copy of the report as referred to in sub-rules (1) and (2); and

(b) an undertaking declaring that if the original certificate is subsequently traced or recovered, the same shall be surrendered to the Registrar immediately.

(7) Upon receipt of application made under sub-rule (6), the Registrar shall issue a duplicate certificate which shall have the same legal effect and validity as the original certificate, and shall bear an endorsement stating "Duplicate - Issued in lieu of original lost":

Provided that if the original certificate is retrieved subsequent to the issuance of the "Duplicate - Issued in lieu of original lost", the owner or operator shall surrender such original certificate before the Registrar, without undue delay.

(8) The provisions of this rule shall not apply to certificates issued in electronic form.

23. Change of name of company. – Where a company in whose name a vessel has been registered under these rules has changed its name subsequent to registration, the Registrar shall, on production of the certificate of incorporation relating to the new name, make a note of the change of name in the register book in respect of each vessel owned by the company:

Provided that the owner or the authorised agent shall submit an application to the Registrar for change of name within one month of such change.

24. Change of address of owner. – The owner or the authorised agent shall inform the Registrar and the mortgagee, if any, about the change of registered address within one month of such change and make an application to record the same in the register book:

Provided that the owner or the authorised agent shall obtain a no objection letter from the mortgagee, if any.

25. Change of name of vessel. – (1) Any change in the name of a vessel already on the register book by an owner, either existing or new, or its authorised agent, shall, upon application made to the Registrar, not be recorded unless—

(a) the proposed change has been published in two daily newspapers, one being a national daily newspaper in English language and the other in the vernacular language of the port of registry where the vessel is registered; and

(b) no objection to the proposed change has been received by the Registrar from any person within seven days from such publication.

(2) The Registrar shall approve the application made under sub-rule (1) and issue a carving and marking note in *Form 6* and the owner or the authorised agent shall cause the vessel to be marked

with the new name in accordance with sub-rule (2) of rule 9 and shall return the carving and marking note to the Registrar, duly certified by a surveyor.

(3) On receipt of the carving and marking note duly certified under sub-rule (3) of rule 9, the Registrar shall record the new name in the register book against the existing official number of the vessel, and endorse or reissue the certificate of registration accordingly.

Chapter - III

Alterations and Transfer of Registration

26. Registration of alteration. – (1) Every application for registration of alteration of an Indian vessel shall be made to the Registrar at the first port in India at which the vessel arrives after the alteration or within one month of the alteration, whichever is earlier.

(2) Where the vessel so altered is outside an Indian port, the Registrar may, on report of inspection of such vessel by a surveyor or a person or body of persons authorised under section 9 of the Act, re-register the vessel without any requirement of the vessel to visit an Indian port.

(3) Where any application for alteration is not submitted to the Registrar within the period specified in sub-rule (1), the owner shall be liable to penalty under rule 43.

(4) If the alterations consist of a change in the dimensions of the engine room or other closed-in spaces, or an addition to or removal of a poop deck house, an increase or decrease in the crew spaces or an alteration from motor screw to other propulsion means or vice-versa, the Registrar shall record the alterations in the register book and also in the certificate of registration of the vessel.

27. Re-registration due to substantial or major alteration. – (1) Where the alterations are substantial or major, upon application made by the owner or the authorised agent, the Registrar shall carry out a fresh survey and call for a fresh declaration of ownership and proceed to re-register the vessel.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the terms—

(a) "substantial" means any modification to the vessel's hull, enclosed spaces, or propulsion system that varies the principal dimensions or tonnage;

(b) "major" means any change in vessel type or extensive structural renewal.

(2) Where the vessel so altered is outside an Indian port, the Registrar may, on report of inspection of such vessel by a surveyor or a person or body of persons authorised under section 9 of the Act, re-register the vessel without any requirement of the vessel to visit an Indian port.

(3) Where a vessel is re-registered, the Registrar shall cancel the original certificate of registration, close the existing entries relating to the vessel in the register book, and make new entries in the register book, carrying forward encumbrances affecting the vessel and the new registration shall include references to its earlier registry entries.

(4) Upon re-registration of the vessel, the original official number, call sign, MMSI number and other identification allotted to the vessel shall be retained.

28. Transfer of port of registry. – (1) The owner or the authorised agent may apply to the Registrar of the existing port of registry to transfer the vessel to a new port of registry along with no objection letter from the mortgagees, if any.

(2) The Registrar of the existing port of registry shall forward the application made under sub-rule (1) to the Director-General for approval of such transfer.

(3) Upon receipt of approval of the Director-General, the Registrar of the existing port of registry shall forward the transcript of registry in *Form 2* to the Registrar of the new port of registry.

(4) Upon receipt of such transcript, the Registrar of the new port of registry shall issue a new carving and marking note, reflecting the new port of registry which shall be certified by an surveyor.

(5) When the duly certified carving and marking note is received, the Registrar of the new port of registry shall enter the particulars furnished to him in the register book and issue a new certificate of registration.

(6) Upon receipt of the new certificate of registration, the owner or the authorised agent shall surrender the old certificate of registration to the Registrar of the previous registry.

29. Recording and publication of inactive vessel. – (1) The Registrar may, after due verification and serving at least three notices to the registered ship owner at intervals of not less than thirty days each, record the status of such vessel as inactive in the register book maintained at the port of registry, if the vessel—

(a) has not undergone the periodic inspection or survey as per applicable rules made under the Act;

(b) has remained non-operational for a continuous period of thirty-six months;

(c) has not been engaged in any commercial, training, or auxiliary service during the period specified in clause (b):

Provided that a vessel which is under lay-up notation of a recognised organisation and complying with the applicable rules made under the Act, shall not be treated as inactive.

(2) The Registrar shall make an entry in the register book indicating the date from which the vessel is declared inactive, along with the reasons and references to the notices served, and the certificate of registration of such vessel shall be endorsed accordingly and publish the details of such vessel on the official website:

Provided that the entries relating to ownership, mortgage, and registration particulars shall continue to remain valid in the register book during the period of inactivity.

(3) A vessel recorded as inactive in the register book shall not be entitled to proceed to sea and engage in any commercial activity until the vessel is restored to active status.

30. Restoration to active status of inactive vessel.— (1) The ship owner of an inactive vessel may apply for restoration to an active status on submission of satisfactory evidence of seaworthiness, operational readiness and upon restoration of the compliance with the Act and applicable rules made thereunder.

(2) The Registrar shall, on verification of compliance under sub-rule (1), record the vessel as active in the register book, endorse the certificate of registration accordingly and update the information on the website.

31. Deletion of inactive vessel. – (1) Where an inactive vessel has been found to be scrapped, dismantled, destroyed, sunk, or transferred to a foreign flag, the Registrar shall, after due verification and ensuring that no mortgages exist, record the grounds for deletion in the register book and issue the certificate of closure of registration in *Form 17* and a deletion certificate in *Form 18.*

(2) The Registrar shall publish such deletion on the official website and in two daily newspapers, one being a national daily newspaper in English language and the other in the vernacular language of the place where the vessel is registered.

(3) Where the vessel is deleted from the register book, it shall cease to be an Indian vessel, and all rights, privileges, and liabilities shall be terminated.

(4) A vessel deleted from the register book due to scrapping, destruction, or total loss shall not be eligible for re-registration.

Chapter - IV

Transmission, Transfer, and Judicial Sale of Vessels

32. Transmission of property in Indian vessel on death, insolvency, etc. – (1) Where the property in an Indian vessel or any share therein is transmitted to a person on the death, insolvency or by any lawful means other than a transfer under the Act, that person shall provide a signed declaration of transmission containing therein the identification of the vessel, the manner of transmission and the person entitled thereto and—

(a) if consequent on insolvency, such declaration shall be accompanied by proof of claim; and

(b) if consequent on death, such declaration shall be accompanied, in original or a certified copy, by a succession certificate or probate or letters of administration or any such document in accordance with the applicable law for the time being in force.

(2) Upon receipt of the declaration of transmission, a fresh declaration of ownership shall be required.

(3) Upon the fresh declaration of ownership, the Registrar shall enter in the register book the name of the person entitled under such transmission as the ship owner of the vessel or share therein and issue a new certificate of registration:

Provided that no such entry shall be made if, as a result of the transmission, the vessel ceases to be an Indian vessel.

33. Order for sale where vessel has ceased to be Indian vessel. – (1) Where, due to transmission of property in a vessel or share therein on death, insolvency, or otherwise, the vessel ceases to be an Indian vessel, the Registrar of its port of registry shall, within fifteen days of obtaining knowledge of such transmission, submit a report thereof to the Director-General and shall issue a notice for sale of the vessel to the person entitled for such transmission.

(2) The person entitled may, within a period of six months from the date of the notice issued under sub-rule (1), transfer the vessel or share therein to a person eligible to be the owner of an Indian vessel under sub-section (1) of section 15 of the Act:

Provided that the Director-General may, upon application made by the person entitled under the transmission, grant an extension beyond six months for a further period not exceeding six months, for reasons to be recorded in writing, and subject to such other terms and conditions, if any, as may be specified in the order.

(3) Where no transfer is registered within the period specified in sub-rule (2), the Director-General may, after giving the person entitled, an opportunity of being heard, direct the Registrar or any person authorised by the Director-General, to proceed with the sale of the vessel or share therein to any person eligible to be the owner of an Indian vessel.

(4) Upon receipt of the direction under sub-rule (3), the Registrar or any person authorised by the Director-General, shall—

(a) serve notice of not less than thirty days of the intended sale to the person entitled, every registered mortgagee and every other person appearing in the register book to have an interest in the vessel or share;

(b) obtain a valuation of the vessel or share from a surveyor or a valuer approved by the Director-General and fix a reserve price on the basis of such valuation;

(c) conduct the sale by public auction, including electronic auction, after publication of the notice of sale on the official website and in two daily newspapers, one being a national daily newspaper in English language and the other in the vernacular language of the port of registry where the vessel is registered; and

(d) complete the sale within a period of six months from the date of such direction:

Provided that the Director-General may grant further extension for a period not exceeding three months, for reasons to be recorded.

(5) No sale shall be concluded at a price below the reserve price fixed under clause (b) of sub-rule (4) and no sale shall take effect unless confirmed by the Director-General.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), in the event that three attempts of sale by public auction fail, the Registrar or any person authorised by the Director-General shall conduct the sale of the vessel by public auction to the highest bidder with the prior approval of the Director-General, in any of the following circumstances, namely:—

(a) if the vessel is in a deteriorated condition and that there is every probability or likelihood that the vessel poses threat or danger to human life, navigation or marine environment;

(b) the vessel or the crew is in an abandoned state and maintenance becomes practically impossible due to weather conditions or for any other reason; and

(c) such other circumstances or reason, as the Director-General may by order specify in this behalf.

(7) The sale of a vessel or share therein shall be subject to any mortgage or mortgages recorded in the register book, unless such mortgage is satisfied out of the proceeds of the sale and discharged in accordance with sub-section (4) of section 26 of the Act.

(8) The proceeds of the sale shall be applied in the following order of priority, namely:—

(a) any wages and other amounts due to seafarers in connection with their employment on the vessel;

(b) the costs and expenses of the sale, including the expenses of valuation, publication and conduct of the auction;

(c) any unpaid fees, dues or penalties payable in respect of the vessel under the Act and the rules made thereunder;

(d) the amounts due under the registered mortgages, in the order of priority under sub-section (5) of section 26 of the Act;

(e) the balance amount, which shall be paid to the person entitled:

Provided that where the person entitled to the balance amount cannot be traced or does not claim the same, such balance shall be held in deposit by the Registrar for a period of three years and shall thereafter be dealt with in accordance with the directions of the Director-General.

(9) Upon conformation of the sale, the Registrar shall, –

(a) enter the name of the purchaser in the register book as the owner of the vessel of share therein;

(b) issue a fresh certificate of registration in accordance with these rules; and

(c) record in the register book the particulars of the notices served, the valuation obtained, the conduct and confirmation of the sale and the application of the proceeds.

34. Transfer of a vessel or share on sale by order of court.— Where any court or tribunal orders the sale of a vessel or share therein, the Registrar shall comply with such order and carry out the registration formalities as per these rules.

Chapter - V

Mortgage of Vessels, Closure and Extension of Registration

35. Mortgage of vessels. - (1) The instrument of mortgage of a vessel, provisionally or permanently registered under these rules, other than a vessel registered for the purpose of recycling or a vessel operating under a temporary pass, shall be in *Form 14* or *Form 15*, as applicable, and such forms may be submitted in electronic mode to the Registrar of the port of registry, who shall, upon receipt thereof and subject to compliance with section 26 of the Act and these rules, record the mortgage in the register book.

(2) When there are several mortgages on the same vessel recorded in the register book, their respective priorities shall be indicated in the appropriate column by capital letters A, B, C, etc, in alphabetical order.

(3) For registration of any mortgage, a no objection letter from every existing mortgagee, if any, shall be required.

(4) Every registered mortgagee of a vessel who intends to recover the amount due under the mortgage by selling the mortgaged vessel or share under sub-section (1) of section 27 of the Act, shall give an advance notice of fifteen days relating to such sale to the Registrar of the port of registry of the Indian vessel in *Form 19*.

(5) A registered mortgage of a vessel or share may be transferred to any person or joint owners or a company in *Form 14* or *Form 15* and such transfer shall be recorded by the Registrar in the register book.

(6) With respect to registration of a foreign vessel chartered on a bareboat charter-cum-demise contract by an Indian charterer, the rights of mortgagee and ownership title of such vessel shall be governed exclusively by the laws of the primary registry.

(7) Upon the judicial sale of a registered vessel pursuant to an order of a court or tribunal, the following shall be applicable, namely:—

(a) where an order of the court or tribunal is made for the sale of a registered vessel, any mortgage or charge registered against the vessel shall be extinguished upon completion of the judicial sale, and the vessel shall vest in the purchaser free from all encumbrances, liens, attachments, registered mortgages, and other charges of whatsoever nature unless otherwise directed by the court or tribunal;

(b) the Registrar, upon receipt of the order of judicial sale, shall delete from the register book all mortgages, hypothecations, and registered charges attached to the vessel prior to the sale, and shall register the vessel in the name of the purchaser or issue the certificate of closure of registration in *Form 17*, deletion certificate in *Form 18*, and the purchaser of the vessel through judicial sale shall acquire the vessel with a clean title, free from all prior mortgages, liens, and encumbrances, except those assumed by the purchaser with the consent of the holders unless otherwise directed by the court or tribunal.

(8) Where a registered mortgage is discharged, the Registrar shall, upon receipt of the instrument relating to the discharge of the mortgage under *Form 14* or *Form 15*, duly endorsed by the mortgagee, make an entry in the register book recording that the mortgage has been discharged.

36. Transmission of interest of mortgagee in vessel or share on death, or insolvency. - (1) Where the interest of a mortgagee in a vessel or share is transmitted by death, insolvency, or any lawful means other than a transfer under the Act, such transmission shall be authenticated by a declaration made by the person to whom the interest has been transmitted, stating the manner of transmission, and accompanied by documentary proof of the corresponding transmission of interest of the mortgagee in *Form 16*.

(2) Upon receipt of the declaration and documentary proof referred to in sub-rule (1), the Registrar shall amend the name of the person in the register book as mortgagee of the vessel or share.

37. Closure of registration.— (1) The ship owner or authorised agent of a vessel shall apply for closure of registration within thirty days of such vessel ceasing to be an Indian vessel.

(2) Upon application by the ship owner or his authorised agent, the registration of a vessel shall be closed under section 43 of the Act—

(a) for vessels referred to in sub-section (7) of section 20 of the Act; or

(b) on sale of the vessel to a foreign owner:

Provided that where the vessel is sold to a foreign owner and deleted from the register book, the vessel may be re-registered upon re-importation and fulfilment of all applicable requirements under these rules and the provisions of the Act.

(3) The Registrar shall complete the closure within ninety days from the date of application and issue the certificate of closure of registration in *Form 17* and deletion certificate in *Form 18*.

(4) Upon occurrence of any of the following events, the charterer or authorised agent shall inform the Registrar within thirty days from the date of such occurrence, namely: –

(a) the expiry of the period of registration as specified in the certificate of registration and entered in the register book, where no extension has been recorded under rule 38;

(b) the termination or expiry of the bareboat charter-cum-demise agreement;

(c) where the registered charterer ceases to be the charterer of the vessel or ceases to be eligible to own a vessel under sub-section (1) of section 15 of the Act;

(d) where the vessel is re-registered or resumes the right to fly the flag of, the primary registry; or

(e) where the vessel is destroyed, or is actually or constructively lost, including by demolition, fire, sinking or wreck.

(5) Upon receipt of information or occurrence of any of the events specified in sub-rule (4), the Registrar shall close the registration of a vessel registered under bareboat charter-cum-demise contract, by recording such closure in the register book and require the surrender of the certificate of registration of bareboat charter-cum-demise.

(6) In case of closure of temporary registration of vessels for recycling, as provided under these rules, the Registrar shall record in the register book, the particulars of such vessels, including the date of arrival, name of the recycling facility, and date of cancellation of the temporary registration:

Provided that upon completion of the recycling process, the ship owner or the authorised agent or the recycling facility shall furnish to the Registrar a statement of completion of ship recycling in accordance with the regulations made under the Recycling of Ships Act, 2019, (49 of 2019) and the Registrar shall record the same in the register book and close the entry accordingly.

38. Extension of bareboat charter-cum-demise registration. – (1) Where a bareboat charter-cum-demise contract is extended by the Indian charterer, the charterer or the authorised agent before the expiry of the existing period of registration shall make an application to the Registrar in *Form 5*, for extension of the registration and such application shall be accompanied by documentary proof, to the satisfaction of the Registrar, showing, —

(a) the extension of the bareboat charter-cum-demise; and

(b) the continued closure, suspension, or non-operation of the registry of the vessel in the country of its original registration for the period of the proposed extension.

(2) The Registrar, if satisfied with such documentary proof, may record the extension of the registration in the certificate of registration and the register book.

(3) The period of extension shall not exceed the duration of the renewed or extended charter-party and shall be subject to compliance with all conditions specified under these rules.

39. Transfer of bareboat charter-cum-demise vessel to Indian registry. - (1) The charterer of a foreign vessel which has been registered as a bareboat charter-cum-demise under these rules shall submit the following documents within thirty days from the date of completion of the charter period, for the purpose of registration of the vessel, namely:—

(a) the instrument of sale or sale deed as documentary proof of the transfer of ownership to any eligible person under the Act; and

(b) a declaration of ownership.

(2) Upon satisfaction of the requirements specified in sub-rule (1), and verification of the documents, the Registrar shall issue a certificate of registration to the vessel.

Chapter - VI

Fees, Penalties and Miscellaneous

40. Returns and reports. – On or before 15th January of each year, every Registrar shall submit to the Director-General, a return showing the number of vessels with their tonnages registered in the register book during the previous year.

41. Notice of trust not received. – No notice of any trust, express, implied or constructive, shall be entered in the register book or be receivable by the Registrar, and subject to any rights and powers appearing in the register book to be vested in any other person, the registered owner of vessel or of a share therein shall have power to dispose of the vessel or share in the manner provided in the Act and to give effectual receipts for any money paid or advanced by way of consideration.

42. Fees. – The fees shall be levied under these rules at the rates and for the purposes as specified in the Schedule.

43. Penalties. – (1) A person who contravenes any provision of these rules, shall be liable to a penalty in accordance with sub-section (2) of section 320 of the Act.

(2) The penalty so imposed shall be payable to the Registrar of the Mercantile Marine Department or the Director-General, as the case may be.

(3) Any change in completion particulars or any information required to be reported under these rules, if not communicated within a period of thirty days from the actual date of such change or completion, shall be treated as a contravention of these rules and shall be liable to penalty in accordance with the Act.

Schedule

[See rules 4(2), 8(5), 9, 10, 13(3)(a), 22(6) and 42]

Fees

S.No.	Particulars	Fees
1.	(a) On initial registry, re-registry, a new registry - **Registration fee**	
	(i) Vessels up to 20,000 GT	Rs. 2.5/- per GT, subject to a minimum of Rs. 5,000/-
	(ii) Vessels above 20,000 GT	Rs. 2.5/- per GT for each GT in excess of 20,000 GT, subject to a maximum of Rs. 2,00,000/-

	(b) For conversion from provisional registration/ temporary pass/ etc., to permanent registration	Rs. 5,000/-
2.	For issuance of duplicate copy of Certificate of Registration	Rs. 5,000/-
3.	For creation of mortgage	Rs. 0.25/- (25 paise) for every Rs.1000/- of the value of the mortgage for the entry of mortgage on the first vessel. If the same loan amount involves creation of mortgage on more than one vessel, the fee chargeable for entering the mortgage on second and subsequent vessel(s) would be Rs. 2,500/- only.
4.	Discharge of mortgage	Nil
5.	Transfer of Ownership	Rs. 5,000/-
6.	Transfer of share of mortgage	Rs. 5,000/-
7.	Closure of Registration	Rs. 5,000/-
8.	Registration of alteration	Rs. 5,000/-
9.	For change of name of a vessel	Rs. 5,000/-
10.	For inspection of register book for each inspection	Rs. 5,000/-
11.	For inspecting vessel's markings and certificate of survey	Rs. 5,000/- per inspection
12.	For copies of or extracts from or searches for, documents	
	(i) For a certified copy of the particulars entered by the Registrar in the register book on the registry of a vessel, together with a certified statement showing the ownership of the vessel at that time	Rs. 5,000/-

	(ii) For a certified copy of any declaration or document a copy of which is made evidence by the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025)	Rs. 5,000/-
	(iii) For a certified copy of, or extracts from document declared by the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), to be admissible in evidence declaration of ownership Instrument of Sale Instrument of Mortgage Certificate of Registry (initial issue) Provisional Certificate of Registration.	Rs. 1,000/- per copy
13.	Registration of a domain name for a vessel	Rs. 1,00,000/-
14.	For issue of temporary pass or provisional certificate of Indian registry and for extension of the period of temporary pass	Rs. 5,000/-
15.	For allotment of name, call sign, MMSI number (Validity of two years)	Rs. 10,000/-
16...	Renewal of Name, Call Sign, MMSI and Official number (subsequent validity one year)	Rs. 5,000/-

[F. No. SY-19014/186/2025-MG]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.

Name of Vessel	Particulars of Registry	Official Number	IMO Number	Call Sign / MMSI	Particulars of vessel (If any former registry)
	Date: Year: Port:				Name: Official Number: Place and Year:

Type of Vessel	Trading Area	Details of Build	Details of Builders
		Year of build: Place/Country:	Name: Address:

PARTICULARS OF VESSEL				OWNERSHIP DETAILS		
Number of Decks		**Dimensions**	**Meters**	Names	Address	Shares held
Number of Masts		Length (Overall)		1.		
Stern		Registered Length (Loadline)		2.		
Hull Construction Material		Extreme Breadth		3.		
Number of Bulkheads		Moulded Depth Amidships		4.		
Type of Propulsion						**100**

PARTICULARS OF TONNAGE		CAPACITY		
GROSS TONNAGE:	NET TONNAGE:	TEU:	BP:	DWT:
The number of seamen and apprentices for whom accommodation is certified (including the master)				

ENGINE/ MOTOR PARTICULARS					
Description	**Details of Engine/Motor**				**Number of Shafts & BHP**
Propulsion Engines/Motor:	Make:	Model:	Name and Address of Maker:	Year Made:	
Engine 1:					**Estimated Speed**
Engine 2:					

Form 1(a)

Entry No.	Date of Entry	Name and Address of Mortgagor	Name and Address of Mortgagee	Mortgage Entries				Signature of Registrar
				Mortgage Letter No.	Nature of Mortgage & Amount Secured	Date of Discharge (If Applicable)	Remarks (whether combined mortgage)	

Form 1(b)

Outstanding Mortgages:

Directorate General of Maritime Administration / Mercantile Marine Department

Central Register / Register Book

Entry No.	Date of Entry	Name and Address	General Entries		Signature of Registrar
			Particulars (Includes change in vessel's name, port of registry or registered particulars, charter or management details, suspension or cancellation of registration, statutory or court orders and any other matter directed by the Registrar)	Remarks	

Form 1(c)

Transcript of Registry

Name of Vessel	Particulars of Registry	Official Number	IMO Number	Call Sign / MMSI	Particulars of vessel (If any former registry)
	Date: Year: Port:				Name: Official Number: Place and Year:

Type of Vessel	Trading Area	Details of Build	Details of Builders
		Year of build: Place/Country:	Name: Address:

PARTICULARS OF VESSEL				OWNERSHIP DETAILS		
Number of Decks		**Dimensions**	**Meters**	Names	Address	Shares held
Number of Masts		Length (Overall)		1.		
Stern		Registered Length (Loadline)		2.		
Hull Construction Material		Extreme Breadth		3.		
Number of Bulkheads		Moulded Depth Amidships		4.		
Type of Propulsion						**100**

PARTICULARS OF TONNAGE		CAPACITY		
GROSS TONNAGE:	NET TONNAGE:	TEU:	Bollard Pull:	DWT:
The number of seamen and apprentices for whom accommodation is certified (including the master)				

ENGINE/ MOTOR PARTICULARS

Description	Details of Engine/Motor				Number of Shafts & BHP
Propulsion Engines/Motor:	Make:	Model:	Name and Address of Maker:	Year Made:	
Engine 1:					**Estimated Speed**
Engine 2:					

Form 2(a)

Transcript of Registry

Entry No.	Outstanding Mortgage Details	Name and Address of Mortgagor	Name and Address of Mortgagee

Form 2(b)

Declaration of Ownership by Individual / Joint

PROPELLED/NON-PROPELLED

(1) Official Number	(2) Name of Vessel	(3) Date and Port of Registry	(4) Type of Vessel	(5) Horsepower of Engine

(6) Name of Owner/s	(7) Address of the owner	(8) Occupation	(9) Place of Birth

(10) Particulars of vessel	Meters	(11) Particulars of Registered Tonnage	
		Gross	Net
Length (overall): Registered Length (Loadline): Extreme Breadth: Moulded Depth Amidships:			

and as described in more detail in the Certificate of the Survey and the Central Register Book as applicable.

I/We, **[Name(s)]**, son/daughter of **[Parent's Name(s)]**, residing at **[Address(es)]**, occupation **[Occupation(s)]**, **[in my individual capacity / jointly as owners / being duly authorised on behalf of the LLP / company]**, do hereby solemnly declare as follows:

1. That the shareholding of the vessel shall be held by such owner(s) **[individual / joint / LLP / company]** as may be specified or notified by the Central Government in accordance with section 15 of the Merchant Shipping Act, 2025. In case of an LLP / company, **[Name of LLP / Company]**, incorporated under the Limited Liability Partnerships Act, 2008 / Companies Act, 1956/ 2013 on **[date]**, has [its registered office / principal place of business] in India and is entitled to be registered as owner.

2. In the case of foreign individual or corporate shareholders, the ownership and incorporation of such persons shall be governed by the applicable laws of their respective jurisdictions, subject always to compliance with the provisions of the Merchant Shipping Act, 2025 and any applicable Indian laws, regulations or conditions as may be notified by the Central Government.

3. That the general description and particulars of the vessel furnished for registration are true and correct.

4. That the owner(s) hold **[number/percentage]** share(s) in the vessel and are entitled to be registered accordingly.

I/We solemnly affirm that the above particulars are true to the best of my/our knowledge and belief.

Made and subscribed at _____**on** _____(Date) Signature(s) of Declarant(s): _____

Name(s) and Designation: _____

Signature: _____

Name: _____

Designation of Attesting Authority: _____ Place: _____

Note:

1. This declaration shall be made before a Registrar or Special Executive Magistrate or Commissioner of Oaths or Indian diplomatic or consular officer or Surveyor as stated under Rule 7 of the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026.
2. In case of joint owner's details of all the owners are to be added with the declaration.
3. Point (8) and (9) of the certificate is not applicable in case of a company.

Certificate of Name, Official Number, Call Sign and MMSI Number of Vessel

Application Number: **Date:xx.xx.xxxx**

To,

The following has been approved/allotted:

Name of Vessel (Hindi)	
Name of Vessel	
Official Number	
Call Sign	
MMSI Number	
IMO Number	
The validity of the Certificate expires on	
Date of Issue: Sign: Name of Registrar: Place: Registrar of Indian Vessels Stamp/Seal:	

Application For Certificate of Registration/ Provisional Certificate of Registration/ Temporary Pass/ Bareboat Charter – Cum – Demise/ Non-Propelled Vessels / Government Vessels / Vessels abandoned in Indian Waters

PARTICULARS OF THE VESSEL

(1) Name of Vessel	(2) Official Number	(3) Type of Vessel		
(4) MMSI Number	(5) Call Sign	(6) Gross Tonnage	(7) Net Tonnage	(8) DWT
(9) Name and Address of Shipyard where built & Year of Build	(10) Date Keel laid	(11) Vessel Details		
	Day Month Year	Length in metres: Breadth in metres: Depth in metres:		
(12) Country of Previous Registration	(13) Details of Previous Owner	(14) Previous Name of Vessel and Official Number		

(15) Propulsion of Vessel	Propelled/Non-Propelled	(16) Type of Propulsion	
(17) Description of Vessel			
(18) Trading Area	Worldwide including coastal or India Coastal Waters	(19) Vessel Construction Material	
(20) Container vessel (TEU)		(21) Tugs: Bollard Pull Capacity	

ENGINE / MOTOR PARTICULARS

(1) Description	(2) Details of Engine/Motor			
Propulsion Engines/Motor:	Make:	Model:	Name and Address of Maker:	Year Made:
Engine 1:				
Engine 2:				

(3) Number of Shafts & BHP:		(4) Estimated Speed	

OWNER'S DETAILS

OR CHARTERER'S DETAILS (In case of Bareboat Charter – cum – Demise/ Dumb Barge)

(1) Full Name	(2) Address	(3) Nationality/ Place of Incorporation
(4) Distribution Of Shares Owned in the Vessel	(5) Total Number of Shares	(6) Nature of Ownership (Mark as Applicable)
	100	Sole Ownership: Joint Ownership: Company: Limited Liability Partnership:

EQUITY OF OWNING CORPORATION

(In case of Joint Venture)

(1)Name of Corporation	(1) Foreign Equity	(2) Local Equity
(2) Paid – up Capital	Total %:	Total %:

DECLARANT'S PARTICULARS

Full Name(s)	Nationality	Address
STATUS OF DECLARANT (Tick and fill as applicable)		
Director of owning corporation: (DIN Number:) Company Secretary of owning corporation: (ICSI Membership Number:) Individual/ joint owner(s): Person appointed by Power of Attorney/Board resolution:		

TYPE OF REGISTRATION (Tick Mark as applicable)

Certificate of Registration	
Provisional Certificate of Registration	
Temporary Pass	
Bareboat Charter – Cum – Demise	
Non-Propelled Vessels	
Government Vessels	
Vessels abandoned in Indian Waters	

I/ We*, whose name(s) is/ are* hereunto subscribed, hereby declare that:

1. All the particulars stated hereon are correct;
2. The person(s) mentioned are qualified to own an Indian Vessel
3. The property in the vessel is divided into 100 shares;
4. No person, other than those mentioned in the Owner's or Charterer's details is/are* entitled to be registered as owner(s) of the vessel and no unqualified person is entitled as owner to any legal or beneficial interest in the vessel or any share therein.

And I/we* make this solemn Declaration conscientiously believing the same to be true.

Name(s) and Signature(s) of declarant(s) Date of signing:	Declared before the Registrar in person/digitally in India on (date)…… Sign: Name of Registrar: Stamp/Seal:
Indicate date of preferred registration:	Indicate preferred mode for collection of Certificate of Registry: 3. Postal Service 4. In Person **NOTE:** Where the Certificate is issued in digital format, the same shall be downloaded from the online portal, and no physical certificate shall be issued.

Certificate of Carving and Marking Note

Official Number	Name of Vessel (in Hindi & English)	MMSI Number	IMO Number	Port of registry (in Hindi & English)	Registered Tonnage
					Net Tonnage:
					Gross Tonnage:

The Name of the Vessel, Port of Registry and IMO Number shall be marked in accordance with the Instructions regarding the Carving and Marking Note.

Registrar of Indian Vessels

Mercantile Marine
Department,

_____

Dated

Verification of Carving and Marking Note

I hereby certify that I have inspected the above named Vessel, and find that the Official Number and Registered Tonnage, as stated above, are cut on a brass plate 30cm x 6cm, and affixed in a conspicuous place on the Navigation Bridge, that her name is marked on the Bows, and Name, and Port of Registry are marked on the Stern in accordance with Rule 9(2) the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026.

Dated
Place

Surveyor

Port of Survey:

INSTRUCTIONS REGARDING CARVING AND MARKING NOTE

in accordance with Rule 9(2) of the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026

The carving and Marking of the Vessel shall take place as follows:

(i) The name of the vessel and the port of registry shall be painted on the port and starboard bows and on the stern.

(ii) The markings shall be made in Hindi and English, with the Hindi inscription placed above the English inscription, and the letters shall be painted on a dark background in white or yellow colour, or on a light background in black colour, wherein. The minimum height of the letters shall be 10 centimetres and the minimum width shall be 1.3 centimetres.

(iii) Where, due to structural constraints, sufficient space is not available on the stern for painting the name and port of registry, the same may be painted on both quarters of the vessel.

(iv) Official number and the number denoting the registered tonnage shall be engraved on a brass plate 30 cm x 6 cm wide, and the same shall be affixed in a conspicuous place on the navigation bridge of the vessel.

(v) The scale of draught marks shall be cut off or welded in metres and decimetres both forward and aft on the port and starboard side respectively.

(vi) In case of vessels having a raked soft stem and cruiser stern, the marks shall be cut in or welded as close and aft of the stem as possible, following the contour of the stem, and the marks aft, or at the stern, shall be cut not more than 2 metres forward of the after perpendicular.

In addition to the requirements as stated above, markings of the IMO ship identification number shall be made permanently in a manner that it is plainly visible and distinct, free from obstruction or interference by any other markings, and shall be painted in a contrasting colour; the height of such markings shall not be less than 200 millimetres on the exterior of the vessel and 100 millimetres in internal locations and the marking shall be made by raised lettering, cutting, centre-punching, or an equivalent permanent method in accordance with SOLAS regulation XI-1/3, as amended from time to time.

Certificate of Survey

PROPELLED/NON-PROPELLED

Name of Vessel	IMO Number	Official Number	Call Sign	MMSI Number	Port of Intended Registry	Particulars of vessel (If any former registry)
						Name: Official Number: Port of Registry:

Type of Vessel	Type of Propulsion	Details of Build	Details of Builders:
		Year of Build: Place/Country of Build:	Name: Address:

PARTICULARS OF VESSEL

Number of Decks		Length (Overall)	
Number of Masts		Registered Length (Loadline)	
Hull Construction Material		Extreme Breadth	
Number of Bulkheads		Moulded Depth Amidships	
Stern			
Tugs: Bollard Pull Capacity		Container vessel (TEU)	

PARTICULARS OF TONNAGE

The Tonnage of this Vessel is in accordance with the vessel's International Tonnage Certificate (1969)/ Indian Tonnage Certificate (2026):

GROSS TONNAGE: NET TONNAGE:

A detailed summary of the tonnage for the ship is shown in the Annex to International Tonnage Certificate (1969) / Indian Tonnage Certificate (2026)

The number of seamen and apprentices for whom accommodation is certified (including the master)	

CAPACITY OF VESSEL

DWT		BP		TEU	

I, the undersigned Surveyor appointed under section 9 of the Merchant Shipping Act, 2025, having surveyed the above-named vessel, hereby certify that the particulars set out herein are true and correct, and that the name of the Carving and Marking of the Vessel is as specified under Rule 9(2) of the Merchant Shipping (Registration of Vessel) Rules, 2026.

This day of 2026

Name of Surveyor:
Sign:
Stamp/Seal:
Place:

Certificate of Survey

CERTIFIED EXTRACT OF PARTICULARS PROPELLING ENGINE ETC. AS SUPPLIED BY BUILDERS, OWNERS OR ENGINE MAKERS

Propulsion Type	Details of Engines/Turbines/Motors	Place of Build	Number of sets of Engines/ Turbines/Motors	Number of Shafts
Engine/Motor 1: (Internal Combustion/ Steam/Electric)	Model: Equipment No:			
Engine/Motor 2: (Internal Combustion/ Steam/Electric)	Model: Equipment No:			

Build of Engine/ Turbines/Motor	Details of Maker	Boiler Details
Date and Year of Make:	Name: Address:	

Electric Motor	Reciprocating Engine		Rotating Engines/ Turbines/Motor
No. of Sets:	Number and Diameter (in MM) of Cylinders in each set		No. of Cylinders in each set:
No. and Capacity of Batteries:	Length of Stroke in MM in each set	Number and Diameter (in MM) of Cylinders in each set	
Power & Estimated Speed of Vessel			

Auxiliary Engines

Propulsion Type	Details of engines/Motors	Place of Build	Number of sets of Engines/Motors	Number of Shafts
Auxiliary Engine/Motor 1:	Model: Engine/Motor No:			
Auxiliary Engine/Motor 2:	Model: Engine/Motor No:			
Auxiliary Engine/Motor 3:	Model: Engine/Motor No:			
Auxiliary Engine/Motor 4:	Model: Engine/Motor No:			
Auxiliary Engine/Motor 5:	Model: Engine/Motor No:			

Name of Surveyor: **Sign:**

Stamp/Seal:

Instrument of Sale (Individual/ Joint Owners/ Company/LLP)

(1) Official Number	(2) Name of Vessel	(3) Port and Year of Registry	(4) Type of Vessel	(5) Horsepower of Engines / Motors

(6) Particulars of Vessel		(7) Tonnage of Vessel	
	Meters	**Gross**	**Net**
Length (overall): Registered Length (Loadline): Extreme Breadth: Moulded Depth Amidships:			

and as described in more detail in the Certificate of the Survey and the Register Book.

I/We, **[Name(s) of Transferor(s)]**, being **[an individual / joint owners / a Limited Liability Partnership incorporated under the Limited Liability Partnership Act, 2008 / a company incorporated under the Companies Act, 1956 or 2013 / a foreign individual / foreign company or body corporate duly incorporated under the laws of its jurisdiction of incorporation]**, having my/our/their **[registered office / principal place of business / address]** at **[ ]**, in consideration of the sum of ₹ **[Amount]**, paid by **[Name(s) of Transferee(s)]**, being **[an individual / joint owners / LLP / company incorporated under the Companies Act, 1956 or 2013 / foreign individual / foreign company or body corporate duly incorporated under the laws of its jurisdiction]**, the receipt whereof is hereby acknowledged, **do hereby transfer and convey [number/percentage] share(s)** in the vessel described above, together with her boats, engines, tackle, apparel, furniture and all other appurtenances, **unto the said Transferee(s)**. The Transferee(s) shall hold the said shares(s) absolutely, together with all rights, interests, and privileges appurtenant thereto. The Transferor(s) warrant that the vessel and the said share(s) are transferred free and clear of all mortgages, liens, encumbrances, claims, charges, and any other third-party interests whatsoever. **IN WITNESS WHEREOF**,

I/We have hereunto subscribed my/our name(s) and affixed my/our signature/seal on this **[Day]** Day of **[Month, Year]**.

Signature(s) of Transferor(s): **Name(s):**

Designation (if Company):

Executed in the presence of:

1. **Witness Name & Address:** **Signature:**

2. **Witness Name & Address:** **Signature:**

Note 1: A purchaser of a Registered Indian Vessel does not obtain a complete title until the Instrument of Sale has been recorded by the Registrar in the Register Book, and neglect of this precaution may entail serious consequences.

Note 2: Registered Owners or Mortgagees are reminded of the importance of keeping the Registrar informed of any change of residence on their part.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

PROPELLED/NON-PROPELLED

PARTICULARS OF VESSEL			
Name of Vessel	**IMO Number**	**MMSI Number**	**Official Number**

Call Sign	**Place & Year of Build**	**Details of Previous Registration (as applicable)**
		Name and Registry:
Trading Area	**Date Keel Laid**	Official Number:
		Date of Registration:

Registered Dimensions	
Length (overall): Registered Length (Loadline): Extreme Breadth: Moulded Depth Amidships:	Type of Vessel: Type of Propulsion: Vessel Construction Material:

PARTICULARS OF TONNAGE
The Tonnage of this Vessel is in accordance with the vessel's International Tonnage Certificate (1969)/ Indian Tonnage Certificate (2026)**:** **GROSS TONNAGE:** **NET TONNAGE:**

PARTICULARS OF ENGINE/TURBINES/MOTOR					
Description of Engine/Turbines/Motor	**Details of Engine/Turbines/Motor**				**Number of Shafts & BHP @RPM**
Propulsion Details:	Make:	Model:	Maker:	Year Made:	
Engine/Turbines/Motor 1:					**Estimated Speed**
Engine/Turbines/Motor 2:					

Name of Owner/Charterer	**Address of Owner/Charterer**	**No of Shares**

In the case of a Bareboat – cum – Demise Charter the Validity of the Certificate shall be for a period of xx years from the date of Registration.

I, the undersigned, Registrar of Indian Vessels, hereby certify that the vessel, the description of which is prefixed to this certificate has been duly surveyed and that the above description is in accordance with the Register book. Dated:----------	Registrar

Registered with the Registrar of Indian Vessels as on _____

Note:

I. The Certificate of Registry is not a document of Title. It is to be used only for the lawful navigation of the vessel and is not subject to detention by reason of any title, lien charge or interest possessed or claimed by any owner, mortgagee or other person.

II. Vessel was issued with Provisional Certificate of Registration/Temporary Pass issued in lieu of Certificate of Registration from xx.xx.xxxx to xx.xx.xxxx.

III. Any person, other than the authorised holder of this Certificate who comes into possession of this certificate is requested to send it to: The Directorate General of Maritime Administration, 9th Floor, Beta Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Marg East, Mumbai – 400042.

**This certificate is issued in lieu of a request received for Change in Name of Company/Address of the Owner/Change of Name of Vessel as under Rule 23/24/25 respectively of the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026.*

PROVISIONAL CERTIFICATE OF REGISTRATION

PROPELLED/NON-PROPELLED

PARTICULARS OF VESSEL			
Name of Vessel	**IMO Number**	**MMSI Number**	**Official Number**
Call Sign	**Place & Year of Build**	**Details of Previous Registration (as applicable)**	
		Name and Registry:	
Trading Area	**Date Keel Laid**	Official Number:	
		Date of Registration:	

Registered Dimensions	
Length (overall): Registered Length (Loadline): Extreme Breadth: Moulded Depth Amidships:	Type of Vessel: Type of Propulsion: Vessel Construction Material:

PARTICULARS OF TONNAGE

The Tonnage of this Vessel is in accordance with the vessel's International Tonnage Certificate (1969)/ Indian Tonnage Certificate (2026): **GROSS TONNAGE:** **NET TONNAGE:**

PARTICULARS OF ENGINE/TURBINES/MOTOR

Description of Engine/Turbines/Motor	**Details of Engine/Turbines/Motor**				**Number of Shafts & BHP @RPM**
Propulsion Details:	Make:	Model:	Maker:	Year Made:	
Engine/Turbines/Motor 1:					**Estimated Speed**
Engine/Turbines/Motor 2:					

Name of Owner/Charterer	**Address of Owner/Charterer**	**No of Shares**

I, the undersigned, Registrar of Indian Vessels, hereby certify that the vessel, the description of which is prefixed to this certificate has been duly surveyed and that the above description is in accordance with the Register book. Dated: _____	Registrar

Registered with the Registrar of Indian Vessels as on _____

The Provisional Certificate issued is valid for a period of Six (06) months from the date of Registration.

Note:

I. The Provisional Certificate of Registry is not a document of Title. It is to be used only for the lawful navigation of the vessel and is not subject to detention by reason of any title, lien charge or interest possessed or claimed by any owner, mortgagee or other person.

II. Any person, other than the authorised holder of this Certificate who comes into possession of this certificate is requested to send it to:

The Directorate General of Maritime Administration,
9th Floor, Beta Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Marg East, Mumbai – 400042.

TEMPORARY PASS

ISSUED IN LIEU OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

PROPELLED/NON-PROPELLED

PARTICULARS OF VESSEL			
Name of Vessel	**IMO Number**	**MMSI Number**	**Official Number**
Call Sign	**Place & Year of Build**	**Details of Previous Registration (as applicable)**	
		Name and Registry:	
Trading Area	**Date Keel Laid**	Official Number:	
		Date of Registration:	

Registered Dimensions	
Length (overall): Registered Length (Loadline): Extreme Breadth: Moulded Depth Amidships:	Type of Vessel: Propulsion of Vessel: Vessel Construction Material:

PARTICULARS OF TONNAGE		
The Tonnage of this Vessel is in accordance with the vessel's International Tonnage Certificate (1969)/ Indian Tonnage Certificate (2026**):**	**GROSS TONNAGE:**	**NET TONNAGE:**

PARTICULARS OF ENGINE/TURBINES/MOTOR					
Description of Engine/Turbines/Motor	**Details of Engine/Turbines/Motor**				**Number of Shafts & BHP @RPM**
Propulsion Engines:	Make:	Model:	Maker:	Year Made:	
Engine/Turbines/Motor 1:					**Estimated Speed**
Engine/Turbines/Motor 2:					

Name of Owner/Charterer	Address of Owner/Charterer	No of Shares

I, the undersigned, Registrar of Indian Vessels, hereby certify that the vessel, the description of which is prefixed to this certificate has been duly surveyed and that the above description is in accordance with the Register book. Dated:	Registrar

Registered with the Registrar of Indian Vessels as on

The Temporary Pass issued is valid for a period of Three (03) months from the date of Registration.

Note:

V. The Temporary Pass issued is not a document of Title. It is to be used only for the lawful navigation of the vessel and is not subject to detention by reason of any title, lien charge or interest possessed or claimed by any owner, mortgagee or other person.

VI. This Pass is issued solely for the purpose of recycling. During the period of such temporary registration, the vessel shall not be used for any commercial activity, trading, carriage of cargo or passengers, or for the provision of any other maritime services.

VII. The vessel shall carry a valid CIOFS for the duration of its possession of this certificate as stated in Rule 19(3) of the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026.

VIII. Any person, other than the authorised holder of this Temporary Pass who comes into possession of this certificate is requested to send it to: The Directorate General of Maritime Administration, 9th Floor, Beta Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Marg East, Mumbai – 400042.

Application for Ships to be recycled in India

PARTICULARS OF THE VESSEL

(1) Name of Vessel	(2) Official Number	(3) Type of Vessel		
(4) MMSI Number	(5) Call Sign	(6) Gross Tonnage	(7) Net Tonnage	(8) DWT
(9) Name and Address of Shipyard where built & Year of Build	(10) Date Keel laid	(11) Vessel Details		
	Day Month Year	Length in metres: Breadth in metres: Depth in metres:		
(12) Country of Previous Registration	(13) Details of Previous Owner	(14) Previous Name of Vessel and Official Number		
(15) Propulsion of Vessel	Propelled/Non-Propelled	(16) Type of Propulsion		
(17) Description of Vessel				
(18) Vessel Construction Material				
(19) Container vessel (TEU)		(20) Tugs: Bollard Pull Capacity		

(1) Description	(2) Details of Engine/Motor			
Propulsion Engines/Motor:	Make:	Model:	Name and Address of Maker:	Year Made:
Engine 1:				
Engine 2:				
(3) Number of Shafts & BHP:		(4) Estimated Speed		

Application for Ships to be recycled in India

DETAILS OF SHIP RECYCLING FACILITY

(1) Name of Authorized Ship Recycling facility	(2) Address of the Authorized Ship Recycling facility	(3) Ship Recycling Facility Authorization Number

DETAILS OF OWNERSHIP AND RECYCLING INTENT: (Check as applicable)

(1) Evidence establishing ownership under section 2(l)(l) of the Recycling of Ships Act, 2019	(2) Memorandum of Agreement for Sale / Cash Buyer Agreement/ A Recycling Contract/ Instrument of Sale / Certificate of Possession/	(3) For Foreign-owned vessels an irrevocable recycling undertaking to be submitted with a duly executed Power of Attorney

(4) International Ready for Recycling Certificate (IRRC) / India Ready for Recycling Certificate:	(5) International Certificate on Inventory of Hazardous Materials

DECLARATION

I/We hereby declare that:

(a) the vessel shall not be used for any commercial, trading, carriage, or navigation activity during the period of temporary registration;

(b) the sole purpose of seeking temporary registration is to facilitate lawful recycling of the vessel in India;

(c) the information furnished herein and the documents enclosed are true and correct to the best of my/our knowledge and belief; and

(d) I/We undertake to comply with the provisions of the Recycling of Ships Act, 2019, the Recycling of Ships Rules, 2021, and all applicable regulations during the validity of the temporary registration.

Signature of Ship Owner / Agent authorized by them

Name:

Designation (if applicable):

Declared before the Registrar in person/digitally in India on:

Sign:

Name of Registrar:

TEMPORARY CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR RECYCLING

PROPELLED/NON-PROPELLED

PARTICULARS OF VESSEL			
Name of Vessel	**IMO Number**	**MMSI Number**	**Official Number**
Call Sign	**Place & Year of Build**	**Details of Previous Registration (as applicable)**	
		Name and Registry:	
Trading Area	**Date Keel Laid**	Official Number:	
		Date of Registration:	

Registered Dimensions	
Length (overall): Registered Length (Loadline): Extreme Breadth: Moulded Depth Amidships:	Type of Vessel: Type of Propulsion: Vessel Construction Material:

PARTICULARS OF TONNAGE		
The Tonnage of this Vessel is in accordance with the vessel's International Tonnage Certificate (1969)/ Indian Tonnage Certificate (2026**):**	**GROSS TONNAGE:**	**NET TONNAGE:**

PARTICULARS OF ENGINE/TURBINES/MOTOR					
Description of Engine/Turbines/Motor	**Details of Engine/Turbines/Motor**				**Number of Shafts & BHP @RPM**
Propulsion Details:	Make:	Model:	Maker:	Year Made:	
Engine/Turbines/Motor 1:					**Estimated Speed**
Engine/Turbines/Motor 2:					
Name of Owner/Charterer	**Address of Owner/Charterer**				**No of Shares**

I, the undersigned, Registrar of Indian Vessels, hereby certify that the vessel, the description of which is prefixed to this certificate has been duly surveyed and that the above description is in accordance with the Register book. Dated:	Registrar

Registered with the Registrar of Indian Vessels as on

The Temporary Certificate of Registration for Recycling shall be valid solely for the purpose of vessel recycling
and shall stand automatically cancelled upon completion of the recycling process or upon expiry of its validity period, whichever is earlier.

Note:

I. The Temporary Certificate of Registration for Recycling is not a document of Title. It is to be used only for the lawful navigation of the vessel and is not subject to detention by reason of any title, lien charge or interest possessed or claimed by any owner, mortgagee or other person.

II. This certificate is issued solely for the purpose of recycling. During the period of such temporary registration, the vessel shall not be used for any commercial activity, trading, carriage of cargo or passengers, or for the provision of any other maritime services.

III. The vessel shall carry a valid CIOFS for the duration of its possession of this certificate as stated in Rule 20(5)(e) of the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026.

IV. Any person, other than the authorised holder of this Temporary Registration Certificate who comes into possession of this certificate is requested to send it to: The Directorate General of Maritime Administration, 9th Floor, Beta Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Marg East, Mumbai – 400042.

Mortgage (To Secure Principal Sum & Interest)

(1) Official Number	(2) Name of Vessel	(3) Port and Year of Registry	(4) Type of Vessel	(5) Horsepower of Engines

(6) Particulars of Vessel		(7) Tonnage of Vessel	
	Meters	**Gross**	**Net**
Length (overall): Registered Length (Load line): Extreme Breadth: Moulded Depth Amidships:			

and as described in more detail in the Certificate of the Survey and the Register Book.

We, **[Name(s) of Mortgagor(s)], being an individual / joint owners / LLP / a company** incorporated under the **Companies Act, 2013**, or a **foreign individual / company** incorporated under the applicable laws of its jurisdiction and having its registered office or principal place of business at ……, in consideration of the sum of **₹[Amount]** this day lent to us by **[Name of Mortgagee/lender]**, do hereby covenant with the said **[Name and Address of Mortgagee]** and its assigns as follows:

1. **Covenant for Repayment:**

That we shall duly pay or cause to be paid to the said/ensure payment **[Mortgagee]** or its assigns the principal sum of **₹[Amount]**, together with interest thereon at the rate of **[Rate]% per annum**, on or before **[Due Date]**, and until such payment, interest shall be payable **[annually / half-yearly]** on **[specified dates]**.

2. **Mortgage and Charge:**

For the better securing repayment of the said principal sum and interest, we hereby mortgage and charge unto the said **[Mortgagee] [number/percentage]** share(s) of which we are the owner(s) in the vessel above described, together with all her boats, engines, tackle, apparel, furniture, and appurtenances.

3. **Covenant as to Title and Encumbrances:**

We further covenant that we have good right, full power, and lawful authority to mortgage the aforesaid share(s), and that the same are free from all mortgages, charges, liens, and encumbrances whatsoever **[save as appears by the Registry of the Vessel, if any]**.

IN WITNESS WHEREOF

I/We have hereunto subscribed my/our name(s) and affixed my/our signature on this **[Day]** Day of **[Month, Year]**.

Signature(s) of Mortgagor(s):

Name(s) / Designation (if Company):

Executed in the presence of:

1. **Name, Address & Signature of Witness:**
2. **Name, Address & Signature of Witness:**

Mortgage (To Secure Principal Sum & Interest)

ENDORSEMENT

TRANSFER OF MORTGAGE (Individual / Joint Owners / LLP / Company)

I/We, **[Name(s) of Mortgagee]**, in consideration of **₹[Amount]**, do hereby transfer, assign, and convey unto **[Name(s) of Transferee]** the full benefit of the within-written mortgage and all rights, powers, and remedies thereunder.

Executed at: On:

Signature(s):

Name(s) / Designation:

In the presence of:

1. **Name, Address & Signature of Witness**
2. **Name, Address & Signature of Witness**

Mortgage (To Secure Principal Sum & Interest)

MEMORANDUM OF DISCHARGE OF MORTGAGE
(Individual / Joint Owners / LLP / Company) Reasons
for discharge (retain as applicable):
(1) Received the sum of ₹[Amount] in full satisfaction and discharge of the within-written mortgage;
(2) Substitution of the vessel with another vessel;
(3) Release of the vessel due to sufficiency of other security;
(4) mortgage waived/ loan written off by the lender;
(5) Other –

Executed at: _____ **On: _____**

Signature(s) of Mortgagee: _____

Name(s) / Designation: _____

In the presence of:

3. **Name, Address & Signature of Witness**
4. **Name, Address & Signature of Witness**

Note:

1. The Owners and mortgagees shall promptly notify the Registrar of any change in address.

Mortgage (To Secure Current Account)

(1) Official Number	(2) Name of Vessel	(3) Port and Year of Registry	(4) Type of Vessel	(5) Horsepower of Engines

(6) Particulars of Vessel	(7) Tonnage of Vessel		
	Meters	**Gross**	**Net**
Length (overall): Registered Length (Load line): Extreme Breadth: Moulded Depth Amidships:			

and as described in more detail in the Certificate of the Survey and the Register Book.

WHEREAS there exists an account current and continuing financial arrangement between **[Name(s) of Mortgagor(s)]**, **individual / joint owners / LLP / company incorporated under the Companies Act, 1956 / 2013, or a foreign individual / company incorporated under the applicable laws of its jurisdiction and having its registered office or principal place of business at ……,** and **[Name of Mortgagee / lender(s)]**, **[individual / joint mortgagees / LLP / company with full address]**, pursuant to which monies are advanced and become payable from time to time, the amount due at any given time being ascertainable in accordance with the said arrangement.

NOW THIS DEED WITNESSETH that I/We, **[Name(s) of Mortgagor(s)]**, for myself/ourselves and my/our heirs, executors, administrators, successors, and assigns, do hereby covenant with the said **[Name and Address of Mortgagee]** and its assigns as follows:

1. **Covenant for Payment:**

That I/we shall duly pay / ensure payment to the said **[Mortgagee]** or its assigns all sums for the time being due and payable under the said account, whether by way of principal or interest, at the times and in the manner agreed.

2. **Mortgage and Security:**

For the purpose of better securing payment of all monies so due, I/we hereby mortgage and charge in favour of the said **[Mortgagee] [number/percentage]** share(s), of which I am/we are the owner(s), in the vessel above particularly described, together with all her boats, engines, tackle, apparel, furniture, and appurtenances.

3. **Covenant as to Title:**

I/We further covenant that I/we have full right, power, and authority to mortgage the aforesaid share(s), and that the same are free from all mortgages, charges, liens, and encumbrances whatsoever **[save as appears by the Registry of the said Vessel, if any]**.

IN WITNESS WHEREOF:

I/We have hereunto subscribed my/our name(s) and affixed my/our signature on this **[Day]** Day of **[Month, Year]**.
Signature(s) of Mortgagor(s):

Name(s) / Designation (if Company):

Executed in the presence of:

1. **Name, Address & Signature of Witness:**
2. **Name, Address & Signature of Witness:**

Mortgage (To Secure Current Account)

ENDORSEMENT

TRANSFER OF MORTGAGE (Individual / Joint Owners / LLP / Company)

I/We, **[Name(s) of Existing Mortgagee]**, in consideration of **₹[Amount]**, do hereby transfer, assign, and convey unto **[Name(s) of Transferee]** the benefit of the within-written mortgage together with all rights, powers, and remedies thereunder.

Executed on:

On:

Signature(s):

Name(s) / Designation:

In the presence of:

1. **Name, Address & Signature of Witness**

2. **Name, Address & Signature of Witness**

Mortgage (To Secure Current Account)

MEMORANDUM OF DISCHARGE OF MORTGAGE
(Individual / Joint Owners /
LLP / Company) Reasons for
discharge (retain as
applicable):

(1) Received the sum of ₹[Amount] in full satisfaction and discharge of the within-written mortgage;
(2) Substitution of the vessel with another vessel;
(3) Release of the vessel due to sufficiency of other security;
(4) mortgage waived/ loan written off by the lender;
(5) Other –

Executed at:

On:

Signature(s) of Mortgagee:

Name(s) / Designation:

In the presence of:

1. **Name, Address & Signature of Witness:**

Note:

1. A mortgage takes priority from the date of its production for registration at the Port of Registry and not from the date of execution.
2. Registered owners and mortgagees shall notify the Registrar of any change in address without delay.

INTIMATION OF RECORDING OF MORTGAGE

(Section 26 of the Merchant Shipping Act, 2025 read with rule 35 of the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026)

F. No. _____ Dated: _____

To

_____

_____

_____

Subject: Recording of mortgage in respect of the vessel **[Name]**, Official Number **[ ]**, Port of Registry **[ ]**.

Reference: Application No. _____ dated _____.

Madam / Sir,

The instrument of mortgage in **Form 14 / Form 15** dated _____, executed by **[mortgagor]** in favour of **[mortgagee, with address]**, securing **[sum or moneys secured, as described in the** instrument**]** over **[the whole of the said vessel / _____ shares therein]**, has been recorded in the register book in Form 1 at entry number _____ on _____ at _____ hours. The mortgage has been indicated in the register book as priority **[A / B / C]** under sub-rule (2) of rule 35 of the said rules.

2. The mortgages subsisting against the said vessel, as recorded in the register book as on the date and hour stated in paragraph 1 above, are set out below in the order of their priority. Where there is no other subsisting mortgage, the entry is to read Nil.

Sl. No.	Entry No.	Date and hour of record	Mortgagee	Sum or moneys secured	Extent mortgaged	Priority (Rule 35(2))
1.						
2.						
3.						
4.						

3. The Transcript of Registry in Form 2, certified under section 42 of the said Act, is enclosed. Under sub-section (5) of section 26 of the said Act, and as noted in the said forms, a mortgage takes priority from the date of its production for registration and not from the date of its execution. Additionally, the priority of mortgage indicated above operates as between the mortgages recorded in the register book and are subject to sub-rule (8) of rule 33 of the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026.

Yours faithfully,

( )

Registrar of Indian Vessels

Mercantile Marine Department, Chennai

Encl: Transcript of Registry in Form 2(a).

Copy to:

1. All mortgagees, for information.
2. Registered owner, for information.

The transmission of the interest of a mortgagee in a vessel or share on death, or insolvency

(1) Official Number	(2) Name of Vessel	(3) Date and Port of Registry	(4) Type of Vessel	(5) Horsepower of Engine
(6) Name of Owner/s	**(7) Father's Name**	**(8) Details of Residence**	**(9) Occupation**	**(10) Place of Birth**

(11) Particulars of vessel	Meters	(12) Particulars of Tonnage	
		Gross	Net
Length (overall): Registered Length (Loadline): Extreme Breadth: Moulded Depth:			

and as described in more detail in the Certificate of the Survey and the Central Register.

I/We, **[Name(s)]**, whose name(s) are hereunto subscribed, do hereby solemnly declare as follows:

In case of Insolvency

1. **Compliance with Section 15 of the Merchant Shipping Act, 2025:**
That I / We hereby declare that I / We, whether in my / our individual capacity or as a limited liability partnership or a company, am / are duly qualified and compliant with the requirements prescribed under Section 15 of the Merchant Shipping Act, 2025.

2. **Transmission by Insolvency:**
That the person appearing in the Register Book as the **[owner / mortgagee]** of **[number/percentage]** share(s) in the vessel above described was, on the **[date]** day of **[month, year]**, adjudged insolvent by the **[name of Court]**, and that **[name of trustee / official receiver]** was appointed as trustee of the property of the said person.

That I am / We are entitled, by virtue of such insolvency proceedings, to be registered as **[owner / mortgagee]** of the said **[number/percentage]** share(s) in the vessel.

OR

In case of Death

1. **Transmission by Death:**

That the person appearing in the Register Book as the **[owner / mortgagee]** of **[number/percentage]**

share(s) in the vessel above described is deceased, and that I am / We are the **[legal representative(s)**

/ executor(s) / administrator(s)] of the said deceased, duly entitled under applicable law to the interest so transmitted.

That I am / We are accordingly entitled to be registered as **[owner / mortgagee]** of the said

[number/percentage] share(s) in the vessel.

The transmission of the interest of a mortgagee in a vessel or share on death, or insolvency

2. **Entitlement to Registration:**
That I am / We are entitled to be registered in respect of the said interest by transmission in accordance with the **Merchant Shipping Act, 2025**, and the rules made thereunder.

I/We solemnly affirm that the particulars stated herein are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

On:

Made and subscribed at:
_____

Signature(s) of Declarant(s): ____
_____ **Name(s):**
_____

Capacity _____

Declared before:

Signature of Attesting Authority: _____
_____

Name & Designation: _____

Place: _____

Certificate of Closure of Registration

File No: **Date:** xx.xx.xxxx

This is to certify that the Registry of the following vessel is closed on _____.

Vessel Name	Official Number	Ownership Details
		Name: **Address:**

Further it is also confirmed from our records that there was no registered mortgage outstanding against the Vessel at the time of Closure of Registry.

Registrar
Mercantile Marine Department

_____

To Owner:

Reference email dated_____received from _____

Reason for Closure:

Deletion Certificate

Reference No:

Issued as required under Section Part A of the
INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES
(ISPS CODE)

Official Number	**IMO Number**	**Call Sign**	**Name of Vessel**
Date and Port of Registry		**Date of Deletion**	**Type of Vessel**
Name of Registered Owner		**Address of Registered Owner**	

It is hereby certified that the Vessel has been deleted from the Register.

Issued at: _____

(Place of Issue of Certificate)

Issued at: _____

(Place of Issue of Certificate)

Registrar
Mercantile Marine Department

_____

Notice of Intended Sale of Mortgaged Vessel or Share by Registered Mortgagee

To,

The Registrar of Indian Vessels,
Port of Registry: _____

1. Details of the registered mortgagee

Name of the registered mortgagee	
Registered address	
Address for service of communications in India	
Telephone number and email address	
Name and designation of the authorised signatory	

2. Particulars of the

Name of the vessel	
Official number	
IMO number	
Port of registry	
Type of vessel	
Gross and Net tonnage	
Name and address of the registered owner (mortgagor)	
Share or shares mortgaged	

3. Particulars of the registered

Date of the instrument of mortgage (Form 14 or Form 15, as applicable)	
Amount secured by the mortgage	

Amount due and outstanding under the mortgage as on the date of this notice (principal, interest and costs, separately stated)	

4. The mortgagee declares that it is the sole registered mortgagee of the above vessel or share under sub-section (1) of section 27 of the Act.

5. Notice is hereby given, under sub-section (3) of section 27 of the Act read with sub-rule (4) of rule 35 of the Merchant Shipping (Registration of Vessels) Rules, 2026, that the mortgagee intends to sell the vessel or share on or after (not earlier than fifteen days from the date of this notice), by (private treaty or public auction, including electronic auction), at .....

6. Proof of payment of the wages and other amounts due to the seafarers under sub-section (4) of section 27 of the Act is enclosed.

7. The mortgagee undertakes to—

(a) inform the Registrar of the outcome of the sale within fifteen days;

(b) produce the instrument of sale for registration of the transfer, where applicable; and

(c) apply the sale proceeds in accordance with law and account to the mortgagor.

Declaration and Verification

I, ..., authorised signatory of the mortgagee, declare that the contents of this notice are true and correct to the best of my knowledge and belief.

Signature of the authorised signatory
Place & Date:

Enclosures:

1. Certified copy of the instrument of mortgage and the entry recording it in the register book;
2. Statement of the amount due and outstanding under the mortgage;
3. Proof of payment of the wages and other amounts due to the seafarers under sub-section (4) of section 27 of the Act; and
4. Board resolution or power of attorney authorising the signatory, where the mortgagee is a company or body corporate.

Note:

This notice shall be given at least fifteen days before the intended sale, in accordance with sub-rule (4) of rule 35. Where more than one mortgage is recorded in respect of the vessel or share, the mortgagees shall proceed under sub-section (2) of section 27 of the Act, and this Form shall not be used.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.03 13:28:33 +05'30'